लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

[खंड 48 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19--मंगलवार, 30 नवम्बर, 1965/9 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 19—Tuesday, November 30, 1965/Agrahayana 9, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
536	खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of Foodgrains .	1699-1703
537	चुनाव चिन्ह "झोपड़ी"	Election symbol 'Hut' .	1704-09
538	चुनाव चिन्हों का नियतन	Allotment of Election symbol .	1709-12
539	खाद्यान्नों का व्यापार	Trading in foodgrains . .	1712-13
540	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया गेहूं तथा चावल	Wheat and Rice purchased by Food Corporation of India .	1714-16
541	भव्य होटल	Luxury Hotels .	1716-17
542	चावल का आयात	Import of Rice	1717-18
543	होटल व्यवसायियों को ऋण	Loans to Hoteliers.	1718-19

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
544	पशुओं के चारे का राशन	Rationing of cattle-feed .	1719
545	खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय	Measures to increase food production . .	1720
546	हल्दिया बन्दरगाह	Haldia Port	1720-21
547	जहाजों को मरम्मत करने वालों तथा जहाज निर्माताओं का संगठन	Organisation of ship-repairers and ship-builders	1721
548	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियो के लिये अनुग्रह-पूर्वक राशि	Ex-gratia Amount for I. A. C. Employees	1721-22
549	गुड़ बनाने के लिये गन्ने का प्रयोग	Diversion of cane for Manufacture of Gur	1722
550	पर्यटन विकास परिषद्	Tourist Development Council .	1722-23
551	खाद्यान्न की आवश्यकता	Foodgrains requirement . .	1724
552	भारतीय शिशु कल्याण परिषद्	Indian Councial for Child Welfare	1724
553	खाद्यान्न उत्पादन के लिए राज-सहायता	Subsidising of Foodgrains Production	1725

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

तां० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
554	राशन अभ्यंश	Ration quota	1725
555	राज्यों को उर्वरकों का सम्भरण	Supply of Fertilizers to States.	1725-26
556	उड़ीसा में चुनाव	Elections in Orissa . . .	1726
557	दिल्ली में टैक्सी तथा स्कूटर के भाड़े	Taxi and Scooter Fares in Delhi	1727
558	गेहूं के दाम	Prices of Wheat . . .	1727-28
559	आयकट विकास कार्यक्रम	Ayacut development programme	1728-29
560	कृषि बैंक	Agricultural Bank . . .	1729
561	हल्दिया बन्दरगाह	Haldia Port	1729
562	पाकिस्तान द्वारा पकड़ी गई नावें	Boats seized by Pakistan . .	1730
563	भारतीय जहाजों में खाद्यान्न का आयात	Import of foodgrains in Indian Ships	1730
564	अनाज का समाहार	Procurement of foodgrains .	1730-31

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1518	राज्यों को दुग्ध चूर्ण का कोटा	Milk Powder quotas of States .	1731
1519	चमड़े की बरबादी	Wastage of Leather Potential .	1731 32
1520	उर्वरकों में चोरबाजारी	Black-marketing in fertilizers	1732-33
1521	केरल में चावल मिलें	Rice Mills in Kerala. . .	1733
1522	कोचीन और गोआ में मत्स्य पालन विकास	Fishery Development for Cochin and Goa	1733
1523	कोचीन शिपयार्ड	Cochin Shipyard . . .	1733-34
1524	आन्ध्र प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Andhra Pradesh . . .	1734
1525	अध्यापकों को राशन कार्ड बनाने के लिये पारिश्रमिक	Remuneration to Teachers for Preparing Ration Cards . .	1735
1526	धान के भाव	Prices of Paddy . . .	1735
1527	सुल्तान जिले में चीनी मिल	Sugar Mill in Sultanpur District.	1735-36
1528	चीनी का निर्यात	Export of Sugar . .	1736
1529	चारा बैंक	Fodder Banks	1736
1530	केरल में बेकरी	Bakery in Kerala . . .	1736-37
1531	अतिथि नियंत्रण आदेश	Guests Control Order . .	1737
1532	मध्य प्रदेश में चीनी मिलें	Sugar Mills in Madhya Pradesh	7337
1533	नागपट्टिनम बन्दरगाह पर शैड	Sheds at Nagapattinam Port .	1737-38
1534	नागपट्टिनम बन्दरगाह	Nagapattinam Port . .	1738
1535	धान की वसूली	Procurement of Paddy .	1738-39

० प्र० संख्या . Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
536	थंजावूर जिले में "सामलिया" फसल	'Samlea' Crop in Thanjavur Distt.	1739
537	केन्द्रीय पण्य समितियां	Central Commodity Committees .	1739-40
538	दिल्ली में खाद्यान्नों के भाव	Prices of Foodgrains in Delhi .	1740
539	पर्यटक होटल निगम	Tourism Hotel Corporation .	1740-41
540	रबी की फसल का अनुमानित उत्पादन	Estimates Production of Rabi Crop	1741
541	बीकानेर-अगरा राष्ट्रीय राजपथ	Bikaner-Agra National Highway	1741
542	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को शीतकालीन समय सारिणी	I.A.C. Winter Time Table	1741-42
1543	रेलवे निरीक्षणालय	Railway Inspectorate . .	1742-43
544	सरसों के भाव	Prices of Mustard Seeds .	1743
545	किसानों को ऋण	Loan to Agriculturists . .	1744
546	चीनी का मूल्य	Prices of Sugar . . .	1744
1547	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	Social Security Programmes .	1745
1548	पंचायत अधिकारियों को मासिक भत्ते	Monthly Allowances to Panchyat Officials	1745
1549	सामाजिक नीति	Social Policy . . .	1745-46
1550	भारतीय कृषि अनुसन्धान सेवा	Indian Agricultural Research Service	1746
1551	हाथ से बोने की (डिब्बलर) प्रणाली	Dibbler Method of Sowing .	1746
1552	मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स को जमीन का दिया जाना	Allotment of Land to M/s Birla Brothers.	1747
1553	भारत-ईरान विमान सेवा	Indo-Iran Air Service . .	1747
1554	विशाखापटणम पत्तन का घाटभाड़ा	Wharfage Charges at Visakhapatnam Port	1747-48
1555	विशाखापट्टणम बन्दरगाह	Visakhapatnam Port . . .	1748
1556	वनस्पति तेल के मूल्य	Prices of Vegetable Oils . .	1748-49
1557	मैसूर को अनाज का दिया जाना	Supply of Foodgrins in Mysore .	1749
1558	मीनक्षेत्र योजना	Fisheries Plan . . .	1749
1559	सहकारी खेती योजना	Co-operative Farming Scheme .	1750
1560	जमीन में खेती करना	Cultivation of Land . . .	1750
1561	रसायनों से भरे जहाजों में आग	Fire in Vessels Carrying Chemicals	1751
1562	अनाज का सट्टा	Speculation in Foodgrains . .	1751
1563	केरल की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियां	S. Cs. & S.Ts. in Kerala .	1751-52
1564	गन्ने का उत्पादन	Production of Sugarcane .	1752
1565	भाड़े की दर में वृद्धि	Increase in Freight Rate .	1752-53

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1566	सिंचाई का पानी	Water for Irrigation .	1753
1567	पौदा संरक्षण उपाय	Plant Protection Measures	1753
1568	फाम मूल्य	Farm Prices	1753-54
1569	राष्ट्रीय सहकारी बैंक	National Co-operative Bank	1754
1570	उत्तर प्रदेश को उर्वरक ले जाने के लिए स्पेशल गाड़ियां	Special Trains for carrying Fertilizers to U.P. . . .	1754
1571	होटलों और रैस्ट्रारैंटों को मान्यता	Recognition of Hotels and Restaurants	1755
1572	उड़ीसा में नलकूप	Tube-wells in Orissa	1755-56
1573	उड़ीसा में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण कोर्स	Ambar Charka Training Courses in Orissa	1756
1574	केरल में थोक डिपो	Wholesale Depots in Kerala .	1756
1575	आदिम जातीय विकास खंडों में सड़कें	Roads in Tribal Blocks	1757
1576	खादी की बिक्री	Sale of Khadi .	1757
1577	सिंचाई के लिये पानी	Water for Irrigation . .	1757-58
1578	भू-संरक्षण कार्यक्रम	Soil Conservation Programme	1758-59
1579	मालाबार क्षेत्र में खेती	Agriculture in Malabar Region	1759
1580	नेफा (उपूसी) भू-संरक्षण तथा लघु सिंचाई योजनायें	Soil Conservation and Minor Irrigation Schemes in N.E.F.A..	1759-60
1581	नेफा (उपूसी) में सहकारी बस संस्थायें	Co-operative Bus Societies in N.E.F.A.	1760
1582	मध्य प्रदेश में बनाई गई खादी	Khadi Produced in Madhya Pradesh	1760
1583	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिए व्योम बालायें (एयर होस्टस)	Air Hostesses for I.A.C. . .	1760-61
1584	जापान से वातानुकूलित बसें	Air Conditioned Buses from Japan	1761
1585	मोटरगाड़ी के पंजीयन तथा मोटर गाड़ी चलाने के स्थायी लाइसेंसों के प्रपत्र	Vehicle Registration and Permanent Driving Licences Forms .	1761
1586	दिल्ली में मनोरंजन उड़ान	Joy Flights in Delhi .	1762
1587	इन्दोर का हवाई अड्डा	Indore Airport .	1762
1588	मद्रास बन्दरगाह	Madras Port	1762-63
1589	किसानों को ऋण	Loan to Farmers .	1763

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारें में (प्रश्न)	Re : Calling Attention Notice—(Query).	1763
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—	
उत्तर सिक्किम तथा नेफा में चीनियों, का अनाहूत प्रवेश—	Chinese intrusion into North Sikkim and NEFA	
श्री लिंग रेड्डी	Shri Lirga Reddy . .	1764
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . .	1764-67
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1767-68
नियम 388 के अन्तर्गत भारत द्वारा राष्ट्रमंडल से सम्बध विच्छेद कर लेने सम्बधी संकल्प के बारे में प्रस्ताव—	Motions under Rule 388 re : Resolution on India quitting the Commonwealth—	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . .	1768-69
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	1769
श्री मी० रु० मसानी	Shri M. R. Masani .	1769
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	1769
बलूरघाट के लिए रेलवे लाइन के बारें में याचिका	Petition re : Railway Connection for Balurghat . . .	1770
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न	Point re : Banaras Hindu University	1770-71
केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1965 पारित	Kerala Appropriation (No. 5) Bill, 1965—Passed . . .	1771-72
भारतीय नारियल समिति तथा भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के बारें में संकल्प स्वीकृत—	Resolutions re : Indian Coconut Committee and Indian Central Oilseeds Committee—*adopted*—	
श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan .	1772-74
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	1774-75
दिल्ली प्रशासन विधेयक—	Delhi Administration Bill—	
संयुक्त समिति के सौंपने का प्रस्ताव—	Motion to refer to Joint Committee	
श्री नन्दा	Shri Nanda . . .	1777-79
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	1780-81
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi .	1781-82
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	1782-83
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	1783-84
श्री बालकृष्णन	Shri Balakirshnan . .	1784

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	Motion re : First Annual Report of Central Vigilance Commission—	1784-85
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh .	1785-86
श्री विद्या चरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	1786-87
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh .	1787-89
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	1789-90
श्री दाजी	Shri Daji	1790-92
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary .	1792
श्री बड़े	Shri Bade .	1792-93

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 30 नवम्बर, 1965/9 अग्रहायण, 1887 (शक)
Tuesday, November 30, 1965/Agrahayana 9, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि

+

*536. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री गुलशन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से पाकिस्तान के साथ वर्तमान संघर्ष आरम्भ हुआ है क्या तब से खाद्यान्नों के दाम बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दामों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि पाकिस्तान के साथ वर्तमान संघर्ष आरम्भ होने से खाद्यान्नों के भाव बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर अगस्त के अन्त से अक्तूबर के अन्त तक खाद्यान्नों के भावों में गिरावट आयी थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the value of our rupee has decreased or the prices of foodgrains have gone up ?

श्री दा० रा० चव्हाण : प्रश्न तो मूल्यों की कमी के बारे में है । मैंने बताया है कि अगस्त के अन्त से अक्तूबर के अन्त तक मूल्यों में सब जगह कमी हुई है । जहां तक इसके कारण का संबंध है, हो सकता है रुपये के मूल्य में कमी भी इसका एक कारण हो ।

अध्यक्ष महोदय : यदि रुपये का मूल्य घटा है तो भाव बढ़ने चाहिये ।

श्री शिंकरे : उन्होंने 'भी' कहा है । फिर अन्य कारण क्या है ?

Shri Yashpal Singh : When the Mill-owners get the profit of their commodities even after ten years when the prices rise, whether the farmer would also get the same benefit when wheat, which he had sold at Rs. 14 a maund, is now being sold at Rs. 32 per maund ?

Mr. Speaker : How can this be possible?

Shri Bagri : This is possible.

Mr. Speaker : Who called you?

Shri Bagri : Since you gave a reply, I said that was possible.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह अनुमान ठीक नहीं है कि जो गेहूं 14 रु० मन खरीदा गया था और अब 32 रु० मन बेचा जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल और राजस्थान आदि में चावल तथा गेहूं दोनों के भाव खुले बाज़ार में अत्याधिक बढ़ गये हैं और चावल, पश्चिमी बंगाल में 3 रु० तथा मध्य प्रदेश में काले बाज़ार में 3 रु० के भाव पर बिक रहा है जहां यह वैसे उपलब्ध नही है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार खुले बाज़ार में मूल्यों की वृद्धि रोकने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम खाद्य स्थिति पर कल चर्चा करेंगे । प्रश्न काल में मेरे लिये इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा देना संभव न होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय सभी कारण नही बताये जा सकते ।

Shri Bagri : Discussion is one thing and the question's answers is another thing.

श्री म० ला० द्विवेदी : इन प्रश्नों की सूचना एक मास पूर्व दी गई थी और यदि चर्चा कल होनी है तो इसका यह अर्थ नहीं कि अब वे कारण न बतायें ।

श्री प्र० के० देव : इस से तो कल की चर्चा में सहायता मिलेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी, जिसके साथ मैंने मध्य प्रदेश से प्राप्त तारे भी लगायी थी जो कठनी और खमरिया जैसे स्थानों से आयी थीं वहां चावल बिलकुल नहीं मिल रहा । आपने इसकी इसलिये आज्ञा नहीं दी क्योंकि हम इस पर चर्चा करने वाले हैं । यदि इस समय हमें उत्तर मिलता तो इससे कल की चर्चा में हमें सहायता मिलती ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले से ही क्यों ऐसा अनुमान लगा रहे हैं..... (**अन्तर्बाधायें**)

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न संघर्ष छिड़ने के बाद खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि के बारे में है । मैंने बताया है कि यह सच नहीं है, परन्तु मैं मानता हूं कि इस वृद्धि के

अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिन पर हम कल चर्चा करने वाले हैं और तब हमें उठाये जा रहे पगों की व्याख्या करने का अवसर प्राप्त होगा ।

श्री श्रीनारायण दास : माननीय मंत्री ने बताया कि खाद्यान्न के मूल्यों में कमी हुई है । मैं जानना चाहूंगा कि कितनी कमी हुई है । गत वर्ष की इसी अवधि में मूल्यों सम्बन्धी स्थिति क्या थी ?

श्री दा० रा० चव्हाण : अगस्त-अक्तूबर 1965 में खाद्यान्नों के थोक मूल्यों के सर्व-भारतीय देशनांक में 152 से 148 तक कमी हुई, गेहूं 144 से 138, चना 166 से 159 और दालें 171 से 160 ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह सब कागज़ी कार्रवाई है ।

श्री दा० रा० चव्हाण : मुझे पहले पढ़ तो लेने दीजिये । चने के मूल्यों में यह कमी प्रत्येक वर्ष होती है । यदि गत वर्ष के मूल्यों से इन्हें मिलाया जाये तो हम पायेंगे कि अगस्त 1965 में थोक मूल्य का देशनांक 142 था जबकि गत वर्ष यह 146 था । गेहूं का देशनांक गत वर्ष के 124 के मुकाबले में 1965 में 144 था ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मुझे संबोधित करना चाहिये ।

श्री दा० रा० चव्हाण : जोवार का देशनांक गत वर्ष के 180 के मुकाबले में इस वर्ष 198 था—यह मूल्यों के बारे में है ।

Shri Madhu Limaye : The Deputy Minister has just stated that prices had fallen after August-September. But we have received letters, telegrams etc. in which it is stated that wheat is sold at Rs. 2 to 2·50 and Rice at Rs. 2.50 to Rs. 3. About the index-figures which he gave, may I know whether the Government are aware that at Bombay and Ahmedabad we had once proved that their index of cost of living and other index were all farce and wrong and that there was no relation between actual facts and Index number. This is one thing and.....

Mr. Speaker : That is all. Let one thing be answered first.

Shri Madhu Limaye : Will the Government make some arrangement of cheap grain in famine stricken areas?

Mr. Speaker : Only first part would be replied to.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मान्यता प्राप्त मण्डियों में बाज़ार-भाव संबंधी आंकड़े एकत्र करने के लिये हमने एक व्यवस्था कर रखी है । इसी आधार पर हम आंकड़े एकत्र करके प्रकाशित करते हैं ।

Shri Madhu Limaye : Are retail prices taken into account or only wholesale prices?

Mr. Speaker : Can both you and I extract and answer from his mouth. After all, he would have to give an answer (**Interruption**). When a debate takes place, you might prove whether this figure is correct or not. But now you are obstructing him when he is giving a reply.

Shri Madhu Limaye : Sir, I only wanted to know whether he is talking about wholsale prices or retail prices?

Mr. Speaker : Please listen to him.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह मूल्य थोक का है ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो यह कह रहे हैं कि जो मूल्य सरकार बता रही है उसका उस वास्तविक बाज़ार भाव से कोई सम्बन्ध नहीं है जिस पर जनता ये चीज़ें खरीदती है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में यह बात ठीक नहीं है । हम ये आंकड़े मण्डियों से प्राप्त करके प्रकाशित करते हैं ।

Shri Madhu Limaye : I ask one thing and he replies another. Sir, I seek your protection. I had asked about retail prices and he has replied about wholesale prices. Consumers buy in retail and not in wholesale?

Mr. Speaker : What can I do now?

श्री प्र० के० देव : मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विशेषकर और मेरे राज्य, उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में हमें बाज़ार में चावल न मिलने की बहुत चिन्ताजनक खबरें आ रही हैं और जो भी टूटा चावल उपलब्ध है वह मानव उपभोक्ता योग्य नहीं है, इससे बदबू आती है और उन्हें खरीदना भी . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री प्र० के० देव : ठीक है प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जाये कि क्या यह सच नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सच है कि वर्षा न होने के कारण छत्तीसगढ़ और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बहुत प्रभाव पड़ा है और स्थिति संभालने के लिये मध्य प्रदेश सरकार अपनी ओर से सभी संभव कार्यवाही कर रही है ।

श्री कपूर सिंह : क्या मंडी में खाद्यान्न के मूल्य स्थिर करने के लिये सरकार ने कोई स्वचालित व्यवस्था बना रखी है ? यदि नहीं तो क्या शीघ्र ही ऐसा करने का उनका प्रस्ताव है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे किसी ऐसी स्वचालित व्यवस्था की जानकारी नहीं है जो मूल्य घटाने अथवा बढ़ाने में सहायक हो । यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई ऐसा सुझाव दें तो मैं इस पर विचार करने को तैयार हूं ।

श्री कपूर सिंह : मैं ने तो केवल यही पूछा था कि क्या ऐसी कोई प्रशासन व्यवस्था है जो अपने आप बदलती परिस्थितियों के अनुसार कार्य करती हो ? मैं उनकी इस टिप्पणी का विरोध करता हूं । उनके यह कहने का तात्पर्य प्रशासन के मानवीय पहलू की आलोचना करना था । मानवीय पहलू एक बिलकुल भिन्न मामला है । मैं मनुष्य के तौर पर उनके व्यक्तित्व की ओर कोई निर्देश नहीं कर रहा था ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार जानती है कि मंडियों के वह थोक भाव जिनके आधार पर सरकार यह देशनांक तैयार करती है नगरों तथा गांवों के खुले बाज़ार भाव से भिन्न होते हैं और उन काले बाज़ार के भावों से भी भिन्न होते हैं जो न केवल नगरों में बल्की गांवों में भी प्रचलित हैं और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कर रही है अथवा करने जा रही है कि यह थोक भाव गावों तथा नगरों में खुले बाज़ार भाव के अनुसार हो और काले बाज़ार को बिलकुल समाप्त किया जा सके ?

श्री नाथ पाई : श्रीमान् क्या आपने कम से कम एक मिनट वाला सुविख्यात नियम स्थगित कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : कई बार मेरे द्वारा भूल हो जाती है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : थोक भाव खुले बाज़ार भाव होते हैं और खुदरा भावों का सदा ही थोक भावों से सम्बन्ध होता है । इसलिये जहां हम यही खुले बाज़ार के थोक भाव के अनुसार देशनाक तैयार करते हैं, वहां मैं यह भी मानता हूं कि कुछ सुदूर स्थानों पर खुदरा भाव बहुत ऊंचे होते हैं परन्तु हमें तो यही खुले बाज़ार के थोक भावों के अनुसार ही कार्य करना होता है ।

Shri Bagri : Whether the Government is aware that apart from the price-level known to them, another price-level exists in the country in scarcity areas of Punjab, Rajasthan, M. P. etc. where wheat is being sold at Rs. 30 to Rs. 32 a maund and whether they have received such high figures? If so, what steps they are taking to remove scarcity in these areas?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं मानता हूं कि विशेष क्षेत्रों में वर्षा न होने से अभाव की स्थिति है और इस कारण से मूल्य बढ़ सकते हैं । हम समस्या हल करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं परन्तु यह समस्या बहुत बिकट है और मेरा विश्वास है कि इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे और माननीय सदस्य भी अपने सुझाव देंगे और मैं भी इस दिशा में की जाने वाली विशेष कार्यवाही का ब्योरा सभा के समक्ष रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Shri Bagri : My question related to the action being taken by Government in this regard and I had asked about the action already taken by them.

(प्रश्न संख्या 537 के बारे में)

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमान्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रश्न (संख्या 537) सभा में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये था क्योंकि इसमें अपमानजनक वाक्य तथा आरोप लगाये गये हैं । यदि आप प्रश्न का (ग) भाग देखें तो आपको ज्ञात होगा कि अन्तिम भाग इस प्रकार है "..... इसे इस दल से अलग होकर बनाये गये दल को दे दिया गया है जो अपने आप को प्रजासमाजवादी दल कहता है ।" अब मैं आप को इसी प्रकार इस वाक्य पर ध्यान देने का निवेदन करता हूं कि यदि मैं यह कहूं कि "भ्रष्ट गृह मंत्री को इस प्रकार उत्तर देने का कोई अधिकार नहीं है," तो क्या यह नियमानुसार ठीक होगा ? यह कुछ व्यक्तियों का मत तो हो सकता है, जो एक सुस्थापित तथा मान्यता प्राप्त दल को अलग होकर बने दल का नाम दे सकते हैं और स्वयं वे कुछ व्यक्तियों के समूह के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं । उन्हें दल नहीं माना गया, इसलिये उनसे यह चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है । कार्यालय इस प्रकार के प्रश्न को पूछने की आज्ञा कैसे दे सकता है ? मेरे विचार में तो इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिये और इसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिये । आपको निर्णय देना चाहिये कि यह प्रश्न नियमानुकूल नहीं है ।

Shri Madhu Limaye : Sir, one thing. After you have heard it.....

Mr. Speaker : No. I do not feel the necessity.

जहां तक (क) भाग का सम्बन्ध है यह कुछ जानकारी पूछने के बारे में है और मेरे विचार में इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है । जहां तक (ख) भाग का सम्बन्ध है, वह भी जानकारी के बारे में ही है और आपत्तिजनक नहीं है । परन्तु (ग) भाग जो इस प्रकार है :

"क्या यह भी सच है कि आयोग ने हाल ही में यह चिन्ह संयुक्त समाजवादी दल से वापिस लेकर, इसे इस दल से अलग होकर बनाये गये दल को दे दिया है, जो अपने आपको प्रजा समाजवादी दल कहता है।"

जब मैं इसे आज प्रातः को देख रहा था मुझे भी इस बारे में कुछ संदेह हुआ था कि क्या यह अंश "अलग होकर बने और अपने आप को प्रजा समाजवादी दल कहने वाले" बने रहने की अनुमति दी

जाती अथवा नहीं। परन्तु फिर मैं ने सोचा कि मंत्री उचित ढंग से इसका उत्तर देंगे कि चुनाव आयोग ने इस मामले पर विचार किया है कि प्रजा समाजवादी दल पहले ही एक ऐसा दल है जिसे एक चिन्ह मिला हुआ है, आदि। मेरा विचार यही था कि मंत्री महोदय उचित उत्तर देंगे।

श्री नाथ पाई : श्रीमान मैं आपके निर्णय के प्रति नतमस्तक हूं परन्तु मेरा नम्र निवेदन है कि उत्तर तो तथ्य पर ही आधारित होगा--परन्तु प्रक्रिया नियमों के नियम 41 (iii) में यह स्पष्ट कहा गया है कि :

"उस में प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगे।"

यह बिल्कूल आदेशात्मक नियम है और कार्यालय ने ऐसे वाक्य रहने देकर गलती की है। मैं आशा करता हूं कि इसका उत्तर तथ्यों पर आधारित होगा परन्तु प्रश्न की ग्राहीयता ही दोषपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना मत पहले ही व्यक्त कर चुका हूं।

श्री नाथ पाई : मैं यहीं पर बहुत सी उपमाएं दे सकता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : वरिष्ठ मंत्री कहां हैं और वह क्या कर रहे हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : उत्तर देने के लिये मैं बैठा हूं।

Shri Madhu Limaye : Sir, you heard two Hon. Members. I may also be allowed to say something I had used this expression simply with legal point of view. Both have said that integration has taken place and a new party has been formed. When it is formed? **(Interruption).**

When they and the old Socialist Party had said that integration had taken place and therefore the 'Hut' symbol shoul be allotted to the new Party. This is not what I say, but the old Socialist Party and P.S.P. had written to the Election Commission to this effect.

In Banaras conference, some persons left the Party. The chamiran of the old P.S.P. remains the chairman of the new Party even today, that is why the question of break-away group arises. If all of them had left that Party, then I would not have used the expression 'break-away'.

Mr. Speaker : Now, you may allow me to listen.

श्री श्रीनारायण दास : जब कि (क) और (ख) भाग का उत्तर पहले ही उपलब्ध था तो यह प्रश्न ग्रहण ही क्यों किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये।

चुनाव चिन्ह "झोपड़ी"

\+

*537. **श्री मधु लिमये :**
श्री बागड़ी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 में संयुक्त समाजवादी दल के बनने पर निर्वाचन आयोग ने उस दल के लिए "झोंपड़ी" का चिन्ह नियत किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त समाजवादी दल ने उत्तर प्रदेश और बिहार में दो संसदीय उप-चुनाव, राजस्थान और आसाम में विधान सभा के दो उप-चुनाव तथा 1964–65 में केरल में एक आम चुनाव में भाग लिया और "झोंपड़ी" चिन्ह के साथ उसे नियत किये जाने के लिये मान्यता पाने के लिए अपेक्षित संख्या से अधिक मत प्राप्त हुए ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आयोग ने हाल ही में यह चिन्ह संयुक्त समाजवादी दल से वापिस लेकर इसे इस दल से अलग होकर बनाये गये दल को दे दिया है, जो अपने आप को प्रजा समाजवादी दल कहता है ; और

(घ) यदि हां, तो यह निर्णय करने के क्या कारण हैं तथा इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथराव) : (क) जी हां ।

(ख) संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को मिले झोंपडी प्रतीक के साथ, एक संसदीय उप-निर्वाचन उत्तर प्रदेश में, दो संसदीय उप-निर्वाचन बिहार में और एक विधान सभा उप-निर्वाचन आसाम में लड़ा । राजस्थान में उसने कोई उप-निर्वाचन नहीं लड़ा । इन उप-निर्वाचनों में संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को मान्य मतों में से 30 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच मत मिले । केरल में हुए मध्यावधि साधारण निर्वाचन में, झोपड़ी प्रतीक वाले संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को राज्य में डाले गये कुल मान्य मतों के 8.13 प्रतिशत मत मिले ।

(ग) और (घ) : जी हां । पुनरुज्जीवित प्रजा सोशालिस्ट पार्टी का अपना पुराना प्रतीक फिर से प्राप्त करने का दावा, उस प्रतीक को अपने पास रखने के संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी के दावे से अधिक प्रबल था । इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(एक) पुनरुज्जीवित प्रजा सोशालिस्ट पार्टी व्यवहारतः वही पार्टी है जो पहले थी और इसके नेता भी लगभग वही हैं जो पहले थे । अतः उसे नई पार्टी माने जाने के बजाय उसके साथ उसी आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिये ।

(दो) प्रजा सोशालिस्ट पार्टी के पास "झोंपड़ी" प्रतीक पिछले बारह वर्षों से रहा है ।

(तीन) केरल में हुए हाल ही के साधारण निर्वाचन के अतिरिक्त संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी ने निर्वाचन के "झोंपड़ी" प्रतीक के साथ केवल चार उप-निर्वाचन लड़े ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether it is a fact that after the merger of old Socialist Party with old Praja Socialist Party the General Secretary of Old Praja Socialist Party and the Chairman of old Socialist Party had written to the Election Commission that since both the Parties have been merged, therefore, symbol of "hut" should be allotted to the new Party?

श्री जगन्नाथ राव : इन दोनों दलों के विलय के पश्चात् चुनाव आयोग को एक सुझाव भेजा गया था कि "झोंपड़ी" का प्रतीक नये दल को दिया जाय । चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार कर लिया था और 18-9-1964 को प्रैस नोट जारी कर दिया था ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, my question has not been answered.

Mr. Speaker : It has been answered. He must have written and it is only then that the Election Commission has agreed to it.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether he has written them a letter.

Mr. Speaker : The Minister has told that he has written a letter.

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister has himself said that in the bye-election S. S. P. candidates have polled votes varing from 30 to 60 per cent and eight or nine per cent in the election contested in Kerala after the break-away, when the votes required for recognition for allotment of symbol are, perhaps, three or five per cent, then on what grounds the symbol has been taken away from the Samyukta Socialist Party?

Mr. Speaker : We are not sitting here as a court of appeal on their decisions.

Shri Madhu Limaye : I want to seek information.

Mr. Speaker : It is not a question of seeking information. The Hon. Member wants to know the grounds on which the Election Commission took this decision. The Hon. Minister has already told the decision of the Election Commission. Now the Hon. Member wants to know the reasons for taking this decision. The Hon. Member may differ from this decision but he cannot make an appeal in this regard. We can't take any decision on it in this House.

Shri Bagri : When this thing is kept in view that the symbol allotted to any Party is not taken back till that Party continues polling the prescribed votes then what are the reasons for taking back the symbol from the Samukta Socialist Party when its candidates in elections and bye-elections had polled more votes than were required?

Mr. Speaker : The remaining question is the same. The Hon. Minister may answer the first portion of the question that whether there is any rule that the Party can retain the symbol if it polls the required votes?

श्री जगन्नाथ राव : ऐसा कोई नियम नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त इस बारे में निर्णय करता है। उस निर्णय पर सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संविधान के अनुच्छेद 224 के अन्तर्गत चुनाव संबंधी अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन का काम उसी का होता है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस दल को झौंपड़ी का चिन्ह नियत करने से पहले दोनों दलों के प्रतिनिधियों से उनकी बातचीत हुई थी और तभी उन्होंने सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह चिन्ह नियत किया था।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग ने 22 सितम्बर, 1965 के प्रैस नोट में सारी स्थिति को स्पष्ट कर दिया था जिस को पढ़ने से कोई भी समझदार व्यक्ति यह समझा जायेगा कि चुनाव आयोग . . .

एक माननीय सदस्य : कोई भी समझदार व्यक्ति ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये . . .

श्री हरि विष्णु कामत : ठीक है, मैं "कोई व्यक्ति" कह दूंगा। मैं "समझदार" शब्द वापिस ले लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिये था। यह कोई ऐसी चीज तो नहीं थी कि आपत्ति होने पर उन्हें अवश्य ही बदला लेना था।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग ने प्रजा सोशलिष्ट पार्टी का बारह वर्ष पुराना चिन्ह "झौंपड़ी" अपने आप को संयुक्त सोशलिष्ट पार्टी कहने वाले दल को देने से सीधा इंकार कर दिया था ..... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री हरि विष्णु कामत : .... जिसने इस मामले पर कोलाहल मचाया है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । कुछ शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति की गई है ।

श्री हरि विष्णु कामत : तब क्या उन्हें निकाल दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं ने नहीं निकाला है ।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, तब तो आप बिल्कुल ठीक थे जब आपने कहा था कि "मुझे असंसदीय भाषा पसन्द नहीं है ।" अब उन्ह कहने दीजिये । यदि वे शब्द निकाल दिये जाते तो मैं श्री कामत से आग्रह करता कि वह ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं स्वयं ही प्रयोग न करता ।

श्री नाथ पाई : इस सभा में इस प्रकार के वाद-विवाद से हमें कोई रुचि नहीं है । मेरे विचार से ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति देकर गलती की गई है । जब ऐसे शब्दों का पहले प्रयोग किया जा चुका है तो आप श्री कामत को पुनः उनका प्रयोग करने से कैसे रोक सकत है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री नाथ पाई को यह अवश्य महसूस करना चाहिये कि मैं ने कहा है कि...

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने इस मामले पर कोलाहल पैदा कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह जो कहना चाहते थे कह चुके हैं ।

श्री नाथ पाई : थोड़ी देर के लिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : अध्यक्ष महोदय आप अपना विनिर्णय दीजिये, हम उसका पालन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कहता हूं कि उस प्रश्न को समझाने के लिये उन शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक नहीं था । इसलिये मैं इस बात से सहमत हूं और मानता हूं कि जब उनका प्रयोग किया गया था तो उन्हें निकाल दिया जाना चाहिये था । परन्तु यदि अब नहीं निकाला गया है तो इस का यह अर्थ नहीं कि मेरे कहने पर भी अन्य ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाये । मुझे यह पसन्द नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आप उन्हें निकाल सकते हैं । तथापि, चुनाव आयोग ने प्रजा सोशलिष्ट पार्टी के पुराने चुनाव चिन्ह "झौंपड़ी" को तथाकथित संयुक्त सोशलिष्ट पार्टी को देने से साफ इंकार कर दिया और संयुक्त सोशलिष्ट पार्टी के सामान्य मंत्री, श्री राम सेवक यादव, द्वारा जो इस सदन के सदस्य भी है, इस सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई याचिका गत दस दिन हुए पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा आरम्भ में नामंजूर कर दी गई थी । क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है ।

श्री जगन्नाथ राव : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय का पता नहीं है तो उन्हें प्रैस नोट के बारे में तो पता है या वह भी नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कह चुके है कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव : मेरे पास तो चुनाव आयोग द्वारा जारी किये गये विवरण की एक प्रति है ।

श्री हरि विष्णु कामत : उच्च न्यायालय के निर्णय की नहीं ।

श्री जगन्नाथ राव : जी, नहीं ।

श्री हरि विष्णु कामत : दस दिन के बाद भी नहीं ?

श्री वासुदेवन नायर : इस झगड़े से उत्पन्न मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ...**(अन्तर्बाधायें)**

श्री नाथपाई : कोई झगड़ा नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या "झगड़ा" (सक्वैबल) शब्द का प्रयोग किया जा सकता है । क्या संसद् में झगड़ा हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रयोग गलत नहीं हुआ है । यह शब्द असंसदीय नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : तब कोलाहल (रमपस) शब्द का प्रयोग करना भी गलत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । वह इस प्रकार तर्क नहीं दे सकते । वह इस प्रकार आदेश नहीं दे सकते ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं आदेश नहीं दे रहा हूं । मैं तो निवेदन कर रहा हूं । उनका अब झगड़ा है—वाम पंथियों और दक्षिण पंथियों के बीच .... **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Madhu Limaye : Why are they saying things which are un-warranted?

अध्यक्ष महोदय : यदि वे लड़ना चाहते हैं, तो बाहर जा कर लड़े ।

श्री वासुदेवन नायर : हम आप से बहुत हद तक सहमत है । चिन्ह देने के मामले में चुनाव आयोग द्वारा किये गये कुछ निर्णयों के सम्बन्ध में जब कुछ सही दिक्कतें आती हैं, तो उनका हल निकालने के लिये हमें सोचना पड़ता है । क्या सरकार को इस बात का पता है कि चुनाव आयोग ने चिन्ह देने के मामले में कुछ स्पष्ट नियम अथवा सिद्धान्त बनाये हुए हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं बनाया गया है । परन्तु चुनाव आयोग दल की संख्या को ध्यान में रखता है । विलय से पहले लोक सभा में प्रजा सोशलिष्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 12 थी और विधान सभा के सदस्यों की संख्या मिला कर उनकी कुल संख्या 125 थी । अलग होने पर उनकी संख्या 80 रह गई है । पहली संख्या से यह संख्या एक-तिहाई कम हो गई है । इसलिये राज्यों में उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें यह चिन्ह दिया गया था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि विधानमण्डलों और संसद् के सचिवों से पूछताछ करने पर चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि पुराने दल के रूप में काम करने वाले प्रजा समाजवादी दल को पुनरुज्जीवित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । परन्तु क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग को इन विधानमण्डलों से जो उत्तर मिले हैं उनसे पता चलता है कि संयुक्त समाजवादी दल किसी चिन्ह को लेने का हकदार नहीं है और यदि वे कोई चिन्ह चाहते हैं तो उन्हें "पेड़" का चिन्ह दिया जा सकता है जो पहले समाजवादी दल को केवल चार राज्यों में दिया गया था । क्या यह बात सही है या नहीं ?

श्री जगन्नाथ राव : चुनाव आयोग ने विस्तृत जांच करके "पेड़" का चिन्ह संयुक्त समाजवादी दल को चार राज्यों में अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश में दिया है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संयुक्त समाजवादी दल ने दावा किया है कि यह दल समाजवादी दल और प्रजा समाजवादी दल को मिला कर बना है और इस बात को भी देखते हुए कि प्रजा समाजवादी दल फिर अलग हो गया है, क्या चुनाव आयोग संयुक्त समाजवादी दल को, जो अपने आप को संयुक्त समाजवादी दल कहता है, कहगा कि वह अपना पुराना नाम अर्थात् समाजवादी दल रख ले ?

अध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मंत्री महोदय कुछ कहेंगे ?

Dr. Ram Manohar Lohia : It appears from the Hon. Minister's reply that leadership is a test for the Election Commission and the old leadership of the Praja-Socialist Party is not there. May I know whether this test will apply to other parties as well? Is he also aware that in Uttar Pradesh the strength of S. S. P. is 36 and of P.S.P. four or five and in Bihar it is 16 of S.S.P. and six or seven of P. S. P. May I know whether leadership will be the test or strength will be the test?

श्री जगन्नाथ राव : नेतृत्व ही केवल कसौटी नहीं है, यह एक कसौटी है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है उत्तर प्रदेश में संयुक्त समाजवादी दल का बहुमत है और यही कारण है कि प्रजा समाजवादी दल को वह चिन्ह नहीं दिया गया है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I have given figures of both Uttar Pradesh and Bihar.

Mr. Speaker : That has been answered.

चुनाव चिन्हों का नियतन

+

*538. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1956 में समाजवादी दल के बनने के पश्चात् निर्वाचन आयोग ने चिन्ह नियत करने के लिए उस दल को मान्यता देना तब स्वीकार किया था जब उसे यह सन्तोष हो गया था कि समाजवादी दल में निष्ठा रखने वाले प्रत्याशियों को प्राप्त कुल मत, आयोग द्वारा चिन्ह नियत करने के लिए मान्यता देने के संबंध में निर्धारित की गई न्यूनतम मत संख्या से अधिक थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यही पहला अवसर है जब किसी दल का इस मामले में संयुक्त समाजवादी दल का चुनाव चिन्ह उस से वापिस ले लिया गया है, यद्यपि उसे निर्धारित न्यूनतम मत संख्या से अधिक मत प्राप्त होते रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो दूसरे आम चुनाव से पहले तथा आम चुनावों के बाद भिन्न भिन्न मापदण्ड अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : जी, नहीं। "झोपड़ी" प्रतीक को जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को फिर से दे दिया गया है, अपने पास रखने का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का दावा निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं माना गया। इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(एक) पुनरुज्जीवित प्रजा सोशलिस्ट पार्टी व्यवहारतः वही पार्टी है जो पहल थी और इसके नेता भी लगभग वही हैं जो पहले थे। अतः उसे नई पार्टी माने जाने के बजाय उसके साथ उसी आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिये।

(दो) प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पास "झोपड़ी" प्रतीक पिछले बारह वर्षों से रहा।

(तीन) केरल में हुए हाल ही के साधारण निर्वाचन के अतिरिक्त, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने निर्वाचन के "झोपड़ी" प्रतीक के साथ केवल चार उप-निर्वाचन लड़े।

Shri Madhu Limaye : When the old Socialist Party was allotted a symbol then all the candidates were asked whether they were with the new Socialist Party. But this time when the new Praja Socialist Party was allotted a symbol only the Members of the Legislative Assembly were asked. I want to know the reason for this discrimination? Last time all the Members were asked but this time only the Members of the Legislative Assembly have been asked?

Mr. Speaker : Why it has been done so, I cannot allow this question. The second part of the question may be answered.

श्री जगन्नाथ राव : पिछले प्रश्न के उत्तर में मैं ने इस प्रश्न के बारे में वक्तव्य दे दिया था।

Shri Madhu Limaye : I want to ask about what you have said. While allotting the symbol in 1956-57 all the candidates were asked and this time while allotting them the symbol "hut" only the Members of the Legislative Assembly have been asked?

श्री जगन्नाथ राव : यह विलय 1964 में 1962 के चुनाव के बाद हुआ था और विलय के बाद संयुक्त समाजवादी दल ने केवल चार उपचुनाव लड़े।

अध्यक्ष महोदय : पहले, सभी उम्मीदवारों से सलाह ली गई थी। वह यह कह रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : मेरी जानकारी तो यह है कि हमने दोनों दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी और सभी परिस्थितियों पर विचार करके ही हमने यह निर्णय किया था।

Shri Madhu Limaye : Whether Government have laid down a policy to give encouragement to the breakaways? It has not been done only in the case of my party. So was the case with the Communist Party also. They were not allotted the symbol they had asked for. But the same symbol was allotted to the breakaways. May I, therefore, know whether it is a part of duty of the Election Commission to encourage the breakaway tendencies and discourage the merger tendencies ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या चुनाव आयुक्त की यह नीति है कि दल तोड़ने वालों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : जी, नहीं। उन्हें प्रोत्साहन देने की नीति नहीं है।

Shri Bagri : The general policy is to allot a symbol to the organisers of the party and not to the breakaways. It is only the principles of the party that

remain in democracy. May I know whether Government propose to take such steps to allot the symbol to the organisers of the party and not to the breakaways?

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसी किसी कार्यवाही के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री जगन्नाथ राव : जी, नहीं। मैं इसका उत्तर कैसे दे सकता हूं।

Shri Bagri : What is the meaning of decision? Which policy will run? What will be the arrangement?

Mr. Speaker : No such steps are under contemplation.

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या चुनाव आयुक्त ने दलों को मान्यता देने और उन्हें चिन्ह नियुक्त करने के लिये लोक-सभा और विधान सभा के स्थानों के सम्बन्ध में विभिन्न दलों द्वारा प्राप्त करने के लिये न्यूनतम मत संख्या निर्धारित की हुई है ?

श्री जगन्नाथ राव : नये राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिये तो उन्होंने कसौटी बनाई हुई है। परन्तु ये तो पुराने दल हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को लोगों की, विशेषकर पंजाब के लोगों की आम शिकायत का पता है कि कभी कभी चिन्ह का नियतन लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं से न करके राजनीतिक बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है और यदि हां, तो क्या वे इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने के लिये विचार कर रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ राव : जी, नहीं।

श्री कपूर सिंह : क्या उनका कार्यवाही करने का विचार नहीं है अथवा उनको इस बात का पता नहीं है ?

श्री जगन्नाथ राव : मुझे इस बारे में पता नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि 1952 में प्रथम आम चुनाव से लेकर इस वर्ष तक अर्थात् 13 वर्षों में चुनाव आयोग का यही विचार रहा है कि ऐसे किसी दल को ऐसा चुनाव चिन्ह नहीं दिया जायेगा जो वह अपने दल के झण्डे में प्रायः प्रयोग करता हो और, यदि हां, तो इस निर्णय को 1965 में क्यों बदला गया और मार्क्सवादी साम्यवादी दल को उसी चिन्ह का प्रयोग करने की अनुमति क्यों दी गई जो वह अपने दल के झण्डे में प्रयोग करता था ?

श्री जगन्नाथ राव : यह एक पृथक प्रश्न है। मुझे इस के लिये सूचना चाहिये।

Shri Rameshwaranand : The Election Commission makes alteration in the constituencies so often. What are the reasons to change the decisions taken by the Election Commission previously? What are the reasons for making alterations?

Mr. Speaker : I cannot allow this question.

Shri Rameshwaranand : I want to know the reasons for making alteration.

Mr. Speaker : I cannot allow it.

श्री शिंकरे : क्या सरकार चिन्ह नियत करने के लिये चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा न्यूनतम मत प्राप्त करने की प्रतिशतता को बढ़ाने के लिये विचार करेगी ताकि देश में आगे ऐसी समस्यायें उत्पन्न न हो।

श्री जगन्नाथ राव : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि चुनाव आयोग इन मामलों पर निर्णय करते समय हमेशा स्थिर रहा है ; जब उन्होंने अलग हुए साम्यवादी दल तथा अलग हुए संयुक्त समाजवादी दल और प्रजा समाजवादी दल, को जो एक दूसरे से मुतफिक नहीं थे, चिन्ह नियत करने के प्रश्न पर निर्णय किया था, तो क्या चुनाव आयोग स्थिर नहीं था, और यदि हां, तो क्या सरकार ठीक ठीक स्थिति बतायेगी कि क्या आयोग इस मामले में स्थिर रहा है या नहीं ?

श्री जगन्नाथ राव : मैं चुनाव आयोग जैसी अस्थिर नीति नहीं अपनाना चाहता।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि नये दलों को चिन्ह देते समय किसी विशिष्ट दल द्वारा प्राप्त किये गये मतों की प्रतिशतता को देखा जाता है ? यदि हां, तो चूंकि संयुक्त समाजवादी दल एक नया दल है, इसलिये इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, क्या चुनाव आयोग ने संयुक्त समाजवादी दल को अस्थायी तौर पर "पेड़" चिन्ह देने से पहले देश में उन द्वारा प्राप्त किये गये मतों की प्रतिशतता को ध्यान में रखा था ताकि उसे नियमित दल के रूप में मान्यता दी जा सके ?

श्री जगन्नाथ राव : चुनाव आयुक्त ने इस दल द्वारा चार राज्यों में अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश में, जहां वे बहुत संख्या में हैं, और प्रजा समाजवादी अधिक संख्या में नहीं है प्राप्त किये मतों को ध्यान में रखा है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हमने इसकी मांग नहीं की है।

श्री दाजी : चाहे हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि निर्णय करने में चुनाव आयोग स्वायत्तशासी निकाय है, फिर भी क्या यह सच नहीं है कि स्थिर नियमों के अभाव में चुनाव आयोग चिन्ह देने में ऐसे निर्णय कर सकता है जिससे प्रतिवाद हो जैसे कि पुराने साम्यवादी दल को हथौड़ा और दांती का चिन्ह न देकर वह चिन्ह मार्क्सवादी साम्यवादी दल को दे दिया गया और जन संघ को अपने झंडे पर दीपक के चिन्ह का प्रयोग करने की अनुमति देकर अन्य दलों को अपने झंडों पर चुनाव चिन्ह का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई ? ऐसे भ्रम को दूर करने के लिये क्या सरकार चुनाव चिन्ह देने के मामले में कुछ निश्चित नियम बनाने के लिये विचार कर रही है ?

श्री जगन्नाथ राव : चिन्ह देने के मामले में सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। परन्तु इस प्रश्न पर चुनाव आयोग विचार कर सकता है। हम यह सुझाव उनके पास भेज देंगे।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री हरि विष्णु कामत : इस मामले पर विचार करने के लिये चुनाव आयोग के साथ सभी दलों की गोल मेज कांफ्रेंस होनी चाहिये।

खाद्यान्नों का व्यापार

+

*539. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री पाराशर :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री रा० बरूआ :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिये जाने के प्रस्ताव के बारे में कोई कार्यवाही की गई है, जिससे खाद्यान्नों का संतुलित वितरण सुनिश्चित किया जा सके और दामों को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके ;

(ख) यदि सरकार ने राज्य सरकारों के माध्यम से खाद्यान्नों का व्यापार अपने हाथ में लेने का निर्णय किया, तो विस्थापित होने वाले खाद्यान्न व्यापारियों के पुनर्वास के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार है ; और

(ग) जब तक इस व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं होता तब तक के लिये दामों को बढ़ने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार का राष्ट्रीय पैमाने पर खाद्यान्नों की एकाधिकार अधिप्राप्ति लागू करके खाद्यान्नों का सारा व्यापार अपने हाथ में लेने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) व्यापारियों पर लाइसेंसिंग नियन्त्रण कड़ा कर दिया गया है । खाद्यान्नों के प्रति दी जाने वाली बैंक पेशगियों को विनियमित किया जा रहा है । बहुत सारे राज्यों में सांविधिक अधिकतम भाव निर्धारित किय गये हैं और भावों पर अनुशासन लागू करने के लिये प्रशासनिक मशीनरी सुदृढ़ कर दी गयी है ।

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the replies given by the State Governments to their letters suggesting that Government would take over the foodgrains trade and whether they are prepared to take over the foodgrains trade or not and what progress has been made in this respect?

श्री दा० रा० चव्हाण : एकाधिकारी खरीद का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : कुछ राज्य सरकारों ने यह सुझाव दिया है कि उन्हें एकाधिकार अधिप्राप्ति करनी चाहिये और उन्होंने, विशेषत: पश्चिम बंगाल राज्य ने, एकाधिकार अधिप्राप्ति के लिये अनुमति भी दे दी है ।

Shri M. L. Dwivedi : In view of the replies given by other State Governments that Government cannot take over the foodgrains trade, what arrangement will be made there for trading in foodgrains and what decision has been taken by Government for having a uniform policy throughout the country?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : समान नीति यह है कि उत्पादकों पर शुल्क लगाया जाए और जहां कहीं संभव हो, व्यापारियों पर शुल्क लगाया जाए । लेकिन केवल कुछ ही राज्यों ने एकाधिकार अधिप्राप्ति का आरम्भ किया है और यह कार्य केवल पश्चिम बंगाल में चालू किया गया है ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इस व्यवस्था में खाद्यान्न व्यापार निगम कहां आता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अगला तारांकित प्रश्न इसी के बारे में है ।

श्री रा० बरूआ : कुछ राज्यों में देखभाल की कमी और त्रुटिपूर्ण भंडार सुविधाओं के कारण काफी मात्रा में खाद्यान्न खराब हुआ है । इस बर्बादी को दूर करने और भंडार व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने कई भांडागार बनाए हैं और पिछले दो या तीन वर्षों में हमने भांडागार व्यवस्था में काफी सुधार किया है और अब गोदामों में बर्बादी बहुत कम होती है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया गेहूं तथा चावल

+

*540. श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कपूर सिंह :
श्री बासप्पा :
श्री योगेन्द्र झा :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने आज तक राज्यवार तथा अखिल भारतीय आधार पर कुल कितना गेहूं और चावल वसूल किया है ;

(ख) निगम का प्रत्येक राज्य में कुल कितना गेहूं और चावल वसूल करने का विचार है ; और

(ग) भारत के खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत कितने निगम स्थापित किये गये हैं तथा किन किन राज्यों में तथा किन किन अन्य राज्यों में ऐसे निगम स्थापित करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक गेहूं की कोई अधिप्राप्ति नहीं की गयी है और नही चालू वर्ष में गेहूं खरीदने का कोई विचार है। निगम ने 1-4-1965 से 31-10-1965 की अवधि में कुल लगभग 413 हज़ार मीट्रिक टन चावल खरीदा है। इस मात्रा के राज्य-वार आंकड़े तथा 1965-66 के सीज़न में खरीदी जाने वाली सम्भावी मात्रा बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–5261/65।]**

(ग) कोई राज्य में खाद्य निगम अब तक स्थापित नहीं किया गया है और ऐसा निगम स्थापित करने का इस समय कोई विचार भी नहीं है।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या यह सच है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत अनाज खाद्य निगम द्वारा सीधे किसानों से न खरीदा जाकर आडतियों से खरीदा जा रहा है और इस प्रकार किसानों को निर्धारित प्रोत्साहन मूल्य नहीं मिलता ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का किसानों से प्रोत्साहन मूल्य पर नकद मूल्य दे कर अनाज खरीदे जाने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : खाद्य निगम हर जगह ग्रामस्तर पर काम नहीं कर सकता। इसीलिये जहां कहीं संभव होता है यह खरीददारी करने के लिये अपने अभिकर्त्ताओं के रूप में सहकारी समितियों को नियुक्त कर देता है। जहां सहकारी समितियां नहीं हैं वहां अन्य व्यवस्था की जाती है। जो मूल्य दिया जाता है वह निर्धारित प्रोत्साहन मूल्य होता है।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या भारत के खाद्य निगम को पहले ही वर्ष हानि हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार निगम को अनाज खरीदने और बेचने का अधिकार देगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक निगम के कार्यकरण का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि कुल मिला कर इसको हानि होगी। मैंने अभी लेखे देखे नहीं हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको हानि नहीं होगी।

Shri Yashpal Singh : Have Government ever thought over this that ultimate sufferer is the farmer whether Government purchase through

cooperative societies or through agents ? Under such circumstances why Government do not offer remumerative prices so that farmers could sell direct and there is no middlemen?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने लाभप्रद मूल्य निर्धारित कर दिये है। इस बात पर मतभद हो सकता है कि यह मल्य लाभप्रद है या नहीं। वास्तव में खरीद-मूल्य इस न्यूनतम मूल्य से कुछ अधिक होता है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government would make it a rule that grains will be purchased forcefully from those producers who have marketable surplus with them and there will be no compulsion on small producers ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बडे और छोटे उत्पादकों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यदि उनके पास अतिरिक्त अनाज है तो वह उन्हें सरकार को देना होगा ; नियम ये है।

Shri Bagri : Is it in the knowledge of Government that in the border areas of Punjab and Rajasthan rice is being sold in black market at Rs. 60 or Rs. 70 per md. under these circumstances are government making some efforts to give them rice and if so, what efforts are being made?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं समझता हूं कि पंजाब के बारे में माननीय सदस्य की जानकारी ठीक नहीं है। हम निर्धारित मूल्य पर खुले बाजार में खरीद कर रहे है और यह उचित स्तर पर है। मै मानता हूं कि कुछ कमी वाले स्थानों पर मूल्यों में वृद्धि हो रही है, यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। इसीलिये हम उचित मूल्य वाली दुकानों के जरिये बिक्री की व्यवस्था कर रहे है।

Shri Bagri : On a point of order, Sir, he said that rice is available in Punjab in the open market. But actually he dose not know that in Rajasthan.....

Mr. Speaker : He has said that at certain places there are such difficulties.

Shri Bagri : There is restriction on the movement of rice. He does not know.

श्री इंद्रजीत गुप्त : विवरण से पता चलता है कि इस खाद्य निगम ने केवल दक्षिण में, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, मैसूर और पांडिचेरी में ही चावल खरीदा है। क्या मैं जान सकता हूं कि खाद्य निगम ने अन्य राज्य में, विशेषत: पूर्वी भारत में कोई भी खरीद क्यों नहीं की है ? क्या यह कारण है कि वे राज्य सरकारें उन क्षेत्रों में निगम के कार्य करने के विरुद्ध हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसमें विरोध का कोई प्रश्न नहीं है। इस निगम को भी अपना कार्य बढाने से पहले अनुभव प्राप्त करना है। सरकारी क्षेत्र के किसी निगम को बेकार सिद्ध करने का सबसे सरल तरीका संभवत: यह है कि उस पर कार्य-भार लाद दिया जाय और फिर कहा जाए कि सरकारी निगम इस प्रकार कार्य करते हैं। इसलिये हम इस संगठन को इस प्रकार बनाना चाहते हैं कि यह कार्यक्रमानुसार खरीद कर सके। अब इन चार राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी प्रादेशिक कार्यालय खोले गये हैं और वे खरीद-कार्य करेंगे।

श्री दी० च० शर्मा : जब यह खाद्य निगम बनाया गया था तब इसके उद्देश्य काफी व्यापक बताए गए थे। क्या मैं जान सकता हूं कि जब इस देश में अधिक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है और हमें कमी का सामना करना पड रहा है, इस खाद्य निगम का काय-क्षेत्र दिन प्रति दिन संकुचित होता जा रहा हैं और इस निगम को इस स्तर पर लाने में, कि वह अधिकतम सीमा पर कार्य कर सके, कितना समय लगेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह कहना ठीक नहीं है कि कार्य-क्षेत्र संकुचित हो रहा है । दूसरी ओर, हर महीने इसका विस्तार हो रहा है । मैं समझता हूं कि निगम को देश भर में सभी राज्यों में फलने में लगभग एक वर्ष और लगेगा ।

श्री कपूर सिंह : इन खाद्यान्नों के समाहार मूल्य की इनके तत्कालीन बाजारमूल्य और चालू मूल्य से क्या तुलना है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसमें अधिक अन्तर नहीं है क्यों कि जहां खाद्य निगम कार्य कर रहा है वहां, अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं । लेकिन यदि माननीय सदस्य विशेषतः कुछ कमी वाले क्षेत्रों में खुले बाजार मूल्य का उल्लेख कर रहे हैं तो ये अधिक होंगे ही ।

भव्य होटल

\+
*541. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या परिवहन मंत्री 24 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 157 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिल्टन्स फर्म के साथ सहयोग करने के लिये आवेदन-पत्र देने वाली भारतीय पार्टी ने भारत में भव्य होटलों की प्रस्तावित श्रृंखला स्थापित करने के लिए अन्तिम प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की मुख्य रुपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या ये प्रस्ताव इस प्रकार सहयोग के सम्बंध में सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम शर्तों को पूरा करते है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस भारतीय पार्टी को अपना प्रतिवेदन देने में इतना समय क्यों लग रहा है और यदि इसमें इतना समय लग रहा है तो इसकी स्थापना क्यों की गयी थी ?

श्री राज बहादुर : मैसर्ज़ हिल्टन्स ने भारतीय पार्टी के सहयोग के लिये, जो शिवाजी शिवसागर एस्टेट, जिसमें ग्वालियर पलेस भी शामिल है, के स्वामी हैं, एक योजना बनायी है । उनको अपने करार की सभी बातों और शर्तों का अध्ययन करना है । हम उनको शीघ्र करार करने के लिये नहीं कह सकते । यह हमें उनकी सुविधा पर छोडना होगा ।

श्री दि० चं० शर्मा : 'हिल्टन्स' फर्म के साथ भारतीय पार्टी के सभी सदस्य बातचीत कर रहे हैं या उनका कोई प्रतिनिधि बातचीत कर रहा है और यदि हां, तो 'हिल्टन्स' फर्म का प्रतिनिधि कौन है और भारतीय पार्टी का प्रतिनिधि कौन है ।

श्री राज बहादुर : मुझे ठीक नामों का तो पता नहीं है । लेकिन संभवतः भारतीय पार्टी का अपना प्रतिनिधि है और हिल्टन्स फर्म का अपना प्रतिनिधि है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : देश में इमारती सामान की बहुत कमी को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का इस समय भव्य होटलो के निर्माण के प्रश्न को आस्थगित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री राज बहादुर : केवल होटल ही एक उद्देश्य नहीं है बल्कि उद्देश्य का साधन है, पर्यटक व्यापार को प्रोत्साहन देने का एक साधन है, पर्यटक यातायात के लिये व्यवस्था करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का साधन है। और यदि हम उचित स्थान, के अभाव में पर्यटक योजना को क्षति पहुंचने दें और अपने पर्यटक व्यापार के हित में कार्य न करें तो यह बुरी अर्थ व्यवस्था होगी।

चावल का आयात

+

*542. **श्री प्र० के० देव** :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री द० दे० पुरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आगामी महीनों में खाद्य सम्भरण को बनाये रखने के लिये सरकार का संयुक्त अरब गणराज्य, बर्मा और थाईलैंड से चावल खरीदने का विचार है; और

(ख) क्या चावल की खरीद के लिये इन देशों के साथ दीर्घकालीन करार करने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : मौजूदा करारों के अधीन आजकल चावल का आयात संयुक्त अरब गणराज्य, बर्मा और थाईलण्ड से किया जा रहा है। भविष्य में इन देशों से चावल आयात करने की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री प्र० के० देव : कितनी मात्रा में चावल आयेगा और उसका मूल्य क्या होगा ? भुगतान किस प्रकार किया जायगा रुपयों में अथवा विदेशी मुद्रा में ?

श्री दा० रा० चव्हाण : चालू वर्ष में विभिन्न करारों के अन्तर्गत जो मात्रा आयात की जायगी वह इस प्रकार है : पी० एल० 480 के अन्तर्गत लगभग 2.87 लाख टन, और वर्ष के अन्त तक निम्नलिखित देशों से लगभग 5.16 लाख टन का आयात किया जायेगा : बर्मा 203,000, थाईलैण्ड 214,000 कम्बोदिया---39,000; संयुक्त अरब गणराज्य---48,000 और पाकिस्तान–10,000 टन।

श्री प्र० के० देव : भुगतान के बारे में---रुपयों में ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : सामान्यतः संयुक्त अरब गणराज्य के साथ यह वस्तु-विनिमय आधार पर है। बर्मा, थाइलैण्ड और कम्बोदिया को हम विदेशी मुद्रा में भुगतान करते है।

श्री प्र० के० देव : यह आयात कब तक किया जायगा और भारत कब तक खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हो जायगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक हम आत्म-निर्भर हो जायेंगे।

Shri Yashpal Singh : By what time there will be long term agreement or we shall have to approach them every month?

श्री दा० रा० चव्हाण : इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या यह सच है कि अधिक पालिश किये जाने, किडों और त्रुटिपूर्ण भांडागार व्यवस्था के कारण लगभग 110 लाख टन चावल खराब हुआ है और यदि हां, तो धान कूटने वालों को यह कह कर कि चावल पर 4 प्रतिशत से अधिक पालिश न चढाएं, क्या चावल के आयात में काफी कमी नहीं की जा सकती थी ?

श्री दा० रा० चव्हाण : वास्तव में पालिश की मूल सीमा 5 प्रतिशत थी और अब इसको घटा कर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि आजकल संसार भर में चावल की कमी है और यदि हां, तो उन्होंने इसका सामना करने के लिये व्यवस्था की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : चावल की संसार भर में कमी है। वास्तव में किसी भी अन्य देश में इतना चावल पैदा नहीं होता जितना भारत में। इसीलिये हम अपना उत्पादन बढाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

होटल व्यवसायियों को ऋण

*543. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के भिन्न भिन्न भागो में होटल व्यवसायियों को ऋण देने के मामले में समान नीति अपना रही है;

(ख) क्या होटल उद्योग को ऋण देने की नीति में कोई निश्चित नीति सम्बधी उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा किस सीमा तक इन उद्देश्यों को सफलता-पूर्वक पूरा किया जाता है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार होटल उद्योग को ऋण नही देती है। ये औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्तीय निगम द्वारा दिये जाते हैं।

(ख) और (ग) : जी हां। होटल उद्योग को ऋण देने में नीति सम्बन्धी उद्देश्य नये होटलों की वृद्धि को प्रोत्साहन देना है। औद्योगिक वित्त निगम और राज्य वित्तीय निगम द्वारा दिये गये ऋणों को सूचित करने वाला विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी० 5262/65।]**

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने अथवा औद्योगिक वित्त निगम ने इन ऋणों की उपयोगिता का पता लगाया है और क्या सरकार इन ऋणों के आधार पर इस देश में होटल उद्योग के विकास से संतुष्ट है ?

श्री राज बहादुर : य ऋण कुछ निश्चित शर्तों पर दिये जाते है और जहां तक उपयोगिता का प्रश्न है, इस पर भी विचार किया गया है। लेकिन ऋण का प्रमुख पहलू पुनः भुगतान, ब्याज पर आदि है जिसपर ध्यान दिया जाता है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार होटल उद्योग के विकास से संतुष्ट है और क्या इसने देश में होटल उद्योग के विकास के लिये एक दीर्घ-कालीन योजना बनाने की संभावना पर विचार किया है।

श्री राज बहादुर : पिछले 12 से 18 महीनों में होटल निर्माण कार्य में विकास प्रवत्ति रही है और 1200 कमरे निर्माणाधीन हैं। लेकिन हमें और बनाने हैं और इसके लिये हमने एक होटल वित्त निगम स्थापित करने की योजना बनायी है जिस पर सरकार विचार कर रही है। मैं नहीं कह सकता कि इस पर हम कब अन्तिम निर्णय करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

Shri Yashpal Singh : On a point of order, Sir, when the Chair assured that there should be ten questions then how the question hour is over.

Mr. Speaker : I said that ten questions should be disposed of during 60 minutes and not that I will extend the time.

Shri Inderjit Gupta : From tomorrow we should try to dispose of ten questions.

Mr. Speaker : I shall try but I am helpless when there is a dispute between two parties.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पशुओं के चारे का राशन

*544. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी नगरों में दुध के बढने हुए दामों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार को डेरी फार्मों के मालिकों के लाभार्थ पशुओं के चारे का राशन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) कुछ शहरों के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई है उससे ज्ञात होता है कि पिछले एक वर्ष से दुध की कीमतें सामान्य रूप से बढ़ी हुई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय

*545. श्री श्रीनारायण दास :
श्री बासप्पा :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मधू लिमये :
श्री बागड़ी :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री व० कु० दास :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री बालकृष्णन :
श्री किशन पटनायक :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री वारीयर :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ० सि० सहगल :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न कर दी गई युद्ध समान स्थिति को देखते हुए खाद्यान्न सम्बन्धी पूरी आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने के लिये भूमि, पानी और जनशक्ति संसाधनों को गतिशील बनाने तथा उनका उपयोग करने के लिये हाल ही में क्या क्या अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या उन योजनाओं का संगठन, अधीक्षण तथा कार्यान्वयन करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर कोई संस्थायें स्थापित की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ? :

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5263/65।]**

(ख) और (ग) : इन कार्यक्रमों को कार्यरुप देना मौजूदा केन्द्रीय व राज्यों की प्रशासकीय तथा अन्य निकायों की जिम्मेदारी है।

हल्दिया बन्दरगाह

*546. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के विशेषज्ञों का दल हल्दिया बन्दरगाह के बारे में भारत की आवश्यकताओं का अन्तिम रूप में अनुमान लगाने के लिए कलकत्ता आया था;

(ख) क्या हल्दिया में अयस्कों के "बर्थों" की व्यवस्था करने की परियोजना से सम्बन्धित मामला तय हो चुका है ;

(ग) मंत्रालय द्वारा नियुक्त अध्ययन दल के प्रतिवेदन में इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में विश्व बैंक के मतों पर किस सीमा तक विचार किया गया है और स्पष्टीकरण किया गया है; और

(घ) क्या कलकत्ता पत्तन आयुक्तों ने अपने पुनरीक्षित प्रस्तावों में लौह अयस्क की इन "बर्थों" की व्यवस्था में परिवर्तन की कोई गुंजाइश रखी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने हल्दिया और कलकत्ता पर होने वाले यातायात का सर्वेक्षण कर लिया है और हल्दिया डाक योजना के वित्तीय तथा अन्य पहलुओं की भी जांच कर ली है। उसकी राय से हल्दिया पर लोह धातुक बर्थ की व्यवस्था करना पूर्ण रूप से न्यायसंगत है। अध्ययन दल की रिपोर्ट की एक प्रति विश्व बैंक को भेज दी गयी थी। इस रिपोर्ट पर अब विश्व बैंक एप्रेजल दल, जो आजकल भारत में है साथ विचार-विमर्ष हो रहा है। कलकत्ता पत्तन ट्रस्ट कमिशनरों द्वारा तैयार किये गये अनुमानों में लोह धातुक बर्थ की व्यवस्था की गयी है। विश्व बैंक एप्रेजल दल द्वारा बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने और बैंक की प्रतिक्रिया मालूम होने के बाद इस विषय में अन्तिम निर्णय किया जाएगा।

जहाजों की मरम्मत करने वालों तथा जहाज निर्माताओं का संगठन

***547. श्री स० चं० सामन्त :**

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज मरम्मत सम्बन्धी समिति ने जहाजों की मरम्मत करने वालों तथा जहाज निर्माताओं का एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की सिफारिश की थी ; और

(ख) क्या यह संगठन स्थापित किया जा चुका है और उसे सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) इस उद्योग सम्बन्धी समस्त मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में पोत निर्माण और पोत मरम्मत पर एक केन्द्रीय सलाहकार समिति के नाम से एक स्थायी निकाय स्थापित किया गया है। इस परिषद में बड़े पोत निर्माण, पोत मरम्मत, देश में जहाजरानी और तत्सम्बन्धी मामले तथा संबंद्ध केन्द्रीय सरकार के विभागों का प्रतिनिधित्व है।

इंडियन एअरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारिओं के लिए अनुग्रह-पर्वक राशि

***548. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों को बोनस की बजाय हाल ही में अनुग्रहपूर्वक राशि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो दी गई राशि का आधार तथा उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या एयर इंडिया के कर्मचारियों को भी इसी प्रकार राशि दिये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : इण्डियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने 1964-65 में अपने सभी कर्मचारियों को, उनके अलावा जो केन्द्रीय या राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर हों, जिन्होंने 1-4-65 को एक वर्ष या अधिक की सेवा पूरी कर ली हो, उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत की रकम के बराबर या 1,000 रुपये के अधिकतम मूल्य के अधीन अनुग्रहपूर्वक अदायगी कर दी है ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

गुड़ बनाने के लिए गन्ने का प्रयोग

*549. **श्री हेडा** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में बड़ी मात्रा में गन्ना गुड़ बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया, जबकि गन्ने की कमी के कारण चीनी मिलें बन्द हो गई थीं;

(ख) इस कारण चीनी के उत्पादन में कुल कितनी कमी हुई; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए यदि कोई उपाय किये गये हैं तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां, कुछ हद तक 1964-65 के सीज़न में ।

(ख) लगभग एक लाख मीट्रिक टन ।

(ग) गुड़ बनाने में गन्ना न लगाए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये थे ।

(1) शर्करा फैक्ट्रियों को गन्ना सप्लाई करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र आरक्षित किये गये थे ;

(2) फैक्ट्री क्षेत्रों में शक्ति-चालित कोहलुओं की स्थापना और कार्यचलन को विनियमित किया गया ;

(3) उत्तर प्रदेश के फैक्ट्री क्षेत्रों में शक्ति-चालित कोहलुओं और खंडसारी एककों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने पर बिक्री कर बढ़ा दिया था ।

(4) उत्तर प्रदेश में फैक्ट्रियों के आरक्षित क्षेत्रों से खंडसारी एककों के हटाने पर उन्हें बिक्री कर में छूट;

(5) प्रदेश में कुछ फैक्ट्रियो ने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत से गन्ना की अधिक कीमत दी थी ;

(6) राब के अन्तर-राज्य संचलन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ।

पर्यटन विकास परिषद

*550. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था के माध्यम से विमान यात्रा का किराया कम करवाने के सम्बन्ध में पर्यटन विकास परिषद द्वारा अपनी पिछली बैठक में की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ख) भारत की ओर पर्यटन यातायात को बढ़ाने के लिए सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों ने इस परिषद की कौन-कौन सी अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें मान ली हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : पर्यटक विकास परिषद की सिफारिशें एयर इंडिया को भेज दी गई थीं। सितम्बर 1965 में बारामुडा में होने वाली अपनी बैठक में आयटा ने इस प्रश्न पर विचार किया था और कुछ कमी करने पर सहमति दी गयी थी। अक्टूबर 1965 में वियना में आयटा की जो वार्षिक सामान्य बैठक हुई थी उसमें कुछ अन्तर्ग्रथित मामलों के कारण बारामुडा बैठक में पारित प्रस्ताव को अन्तिम रूप से स्वीकार नहीं किया। बारामुडा बैठक में की गई सिफारिशों का एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

विवरणी

एकमुश्त दौरे के विषय में सितम्बर, 1965 में बारामुडा में हुई बैठक में आयाटा के सदस्यों की सिफारिशें नीच दी जाती हैं :—

जे० टी० 123 उत्तरी अटलांटिक किराया पैकेज

(1) किफायती वर्ग 28 दिवसीय सैर के किराये :

यू ०एस ० ए ०/कनाडा-भारत/पाकिस्तान/श्रीलंका/नेपाल।

28 दिवसीय सैर के नये किराये जो एयर इंडिया के कहने पर मंजूर किये गये, नीचे दिये गये हैं :—

न्यूयार्क से	किफायती वर्ग साधारण राउंड यात्रा	सैर के लिए नया किराया	कमी
बम्बई .	. 1127.90 डालर	846.00 डालर	281.90 डालर
कलकत्ता	. 1180.30 डालर	886.00 डालर	294.30 डालर
दिल्ली . .	.. 1127.90 डालर	846.00 डालर	281.90 डालर

(2) किफायती वर्ग इन्क्लूसिव यात्रा किराये :

य ० एस ० ए ०/कनाडा-भारत/पाकिस्तान/श्रीलंका/नेपाल।

इसी प्रकार किफायती वर्ग इन्क्लूसिव यात्रा किराये के बाबत में इस बात की सहमति दी गयी कि यूरप और मध्य पूर्व के बजाय 50 प्रतिशत अधिक डिस्कौंट होगा। याने 28 दिवसीय सैर के नया किराया 45 डालर होगा। इन्क्लूसिव यात्रा किराया इस प्रकार होगा :—

न्यूयार्क से	किफायती वर्ग साधारण राउंड यात्रा किराया	इन्क्लूसिव यात्रा किराया	कमी
बम्बई .	. 1127.90 डालर	801.00 डालर	326.90 डालर
कलकत्ता .	. 1180.30 डालर	841.00 डालर	339.30 डालर
दिल्ली . .	. 1127.90 डालर	801.00 डालर	326.90 डालर

खाद्यान्न की आवश्यकता

*551. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर देश में कम से कम कितने अनाज की आवश्यकता है ; और

(ख) इसमें से कितनी आवश्यकता देश में हुए उत्पादन से पूरी की जायेगी तथा कितनी विदेशों से आयात के द्वारा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) देश की खाद्यान्नों की न्यूनतम आवश्यकताओं के बारे में ठीक ठीक अनुमान देना कठिन है क्योंकि इस प्रकार का अनुमान तैयार करने में कई तत्वों जैसे कि खाद्य आदतें, अभिरुचियां, आय-स्तर आदि जिन में प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक अन्तर है, को ध्यान में रखना पड़ता है ।

(ख) 1965-66 के उत्पादन स्तर और सम्भावी आयातों के बारे में कोई ठीक ठीक अनमान अभी उपलब्ध नहीं है । अत: यह कहना असम्भव है कि दश की कितनी आवश्यकताएं घरेलू उपज और कितनी आयातों से पूरी की जाएंगी ।

Indian Council for Child Welfare

*552. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Yashpal Singh : **Shri N. P. Yadab :**
Shri J. B. S. Bist :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether the Indian Council for Child Welfare have rendered accounts of the funds granted to it for the years 1963-64 and 1964-65;

(b) if not, whether any reasons have been given; and

(c) whether some complaints have been received regarding the misuse of the funds granted to it?

Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. M. Chandrasekhar) : (a) Accounts have been received for 1963-64 in respect of all grants other than grants given to 6 branches of the Indian Council for Child Welfare in Madras and Maharashtra for a sum of Rs. 11,310 and Rs. 6,785·10 towards Seminar. For 1964-65 accounts have been rendered for grants totalling Rs. 5,89,419 and accounts in respect of grant of Rs. 2,74,653 are awaited.

(b) In some cases the accounts are awaited by the Indian Council for Child Welfare from its State Branches. In respect of grants given by the Central Social Welfare Board, it has not yet received the requisite information from the State Boards.

(c) No, Sir.

खाद्यान्न उत्पादन के लिए राज सहायता

*553. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए राज-सहायता देने की कोई योजना विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में तथा किस सीमा तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो कृषि आय को किस प्रकार स्थिर करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5264/65।]

Ration Quota

*554. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Andhra Pradesh has suggested to the Prime Minister and the Minister of Food and Agriculture that the people of higher income group should be given less ration than poor people; and

(b) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Food and Agriculture (Shri C. Subramaniam) : (a) Yes, Sir.

(b) The suggestion is under consideration ?

राज्यों को उर्वरकों का सम्भरण

*555. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने, चालू योजनावधि में, उनके लिए नियत किये गये अभ्यंश से अधिक उर्वरकों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय भारत सरकार उनको अधिक अभ्यंश दे सकती है ; और

(ग) क्या बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के सम्बन्ध में कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां। पूछी गई जानकारी का एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) तथा (ग) : जी नहीं।

विवरण

उन राज्यों के नाम जिन्होंने चालू योजनावधि में नियत किये गये अभ्यंश से अधिक उर्वरकों की मांग की है ।

वर्ष 1961-62	वर्ष 1962-63	वर्ष 1963-64	वर्ष 1964-65	वर्ष 1965-66
1. बिहार	1. आन्ध्र प्रदेश	1. आन्ध्र प्रदेश	1. आन्ध्र प्रदेश	1. आन्ध्र प्रदेश
2. केरल	2. बिहार	2. मद्रास	2. आसाम	2. आसाम
3. जम्मू तथा काश्मीर	3. केरल	3. पंजाब	3. दिल्ली	3. दिल्ली
4. मध्य प्रदेश	4. जम्मू तथा काश्मीर		4. गुजरात	4. गुजरात
5. महाराष्ट्र	5. मध्य प्रदेश		5. गोवा	5. हिमाचल प्रदेश
6. मैसूर	6. मैसूर		6. हिमाचल प्रदेश	6. केरल
7. राजस्थान	7. राजस्थान		7. केरल	7. जम्मू तथा काश्मीर
8. उत्तर प्रदेश			8. जम्मू तथा काश्मीर	8. मद्रास
			9. मद्रास	9. मध्य प्रदेश
			10. मध्य प्रदेश	10. महाराष्ट्र
			11. महाराष्ट्र	11. मैसूर
			12. मनिपुर	12. उड़ीसा
			13. पंजाब	13. पाण्डेचरी
			14. राजस्थान	14. पंजाब
			15. त्रिपुरा	15. त्रिपुरा
			16. उत्तर प्रदेश	16. उत्तर प्रदेश
			17. पश्चिम बंगाल	17. पश्चिम बंगाल

उड़ीसा में चुनाव

*556. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कृष्णदेव त्रिपाठी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा विधान सभा के लिये अगले चुनाव करवाने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं । प्रश्न अब भी सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में टैक्सी तथा स्कूटर के भाड़े

*557. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के टैक्सी तथा स्कूटर ड्राइवर उनके मोटर में दिखाये गये भाड़ से अधिक भाड़ा लोगों से वसूल कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कुरीति को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) ऐसे मामलों को मालूम करने और उनपर कार्यवाही करने के लिए दिल्ली पुलिस की यातायात यूनिट ने निम्न उपाय किये हैं :—

(1) जब सर्वसाधारण स्कूटर या टैक्सी ड्राइवर द्वारा अधिक प्रभार लेने के बारे में लिखित शिकायत भेजता है, तब यातायात पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के बाद ड्राइवर पर कार्यवाही की जाती है।

(2) सर्व साधारण को दोशी स्कूटर और टैक्सी ड्राइवरों के विरुद्ध शिकायत करने में प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण चौराहों और विशेष कर टैक्सी/स्कूटर अड्डों के निकट काम करने वाले पुलिस मैनों को छप हुए शिकायत फार्म दिये गये हैं। निकटतम स्थान पर काम कर रहे पुलिस मैन से सर्वसाधारण छपा हुआ फार्म मांग सकता है। ऐसी शिकायतों पर जांच पड़ताल के बाद कार्यवाही की जाती है।

(3) 16 जुलाई 1965 से। जब से दिल्ली और नयी दिल्ली रेल स्टेशनों पर के यातायात का नियंत्रण दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने हाथ में लिया है, उन स्टेशनों पर बोर्ड लगा दिये गये हैं और यात्रियों की शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायत घर स्थापित किये गये हैं।

(4) एक टैक्सी-शुल्क-जांच-पोस्टकार्ड छापा गया था और हाल ही में पालम हवाई अड्डे पर टैक्सी करने वाले यात्रियों को वह वितरित किया गया था। उन से निवेदन किया गया था कि वे यात्रा के समाप्त होने पर मीटर के किराये और लिये गये वास्तविक किराये को उस में दर्ज करके यातायात पुलिस को भेज दे। यदि यातायात पुलिस को यह मालूम होगा कि यात्री से अधिक किराया लिया गया है तो यह आवश्यक कार्यवाही करेंगी। रेल स्टेशनों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही कार्यवाही करने का विचार है।

(5) सर्व साधारण को एक स्थान से दूसरे स्थान का ठीक ठीक टैक्सी किराया सूचित करने के लिए टैक्सी किराया कार्ड छापे जा रहे हैं और शीघ्र ही जारी किये जायेंगे।

गेहूं के दाम

*558. **श्री मुहम्मद कोया** :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांति :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दे० शि० पाटिल :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा कुल अन्य राज्यों में हाल ही में गेहूं उत्पादों के दाम बढ़ा दिय गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) इसके क्या कारण है और आयातित गेहूं तथा गेहूं उत्पादों के दामों में इस प्रकार वृद्धि किये जाने के कारण उपभोक्ता मूल्य स्तर में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) गेहूं के पदार्थों की कीमत में वृद्धि 2 रुपये प्रति क्विंटल या दो पैसे प्रति किलोग्राम है ।

(ग) गेहूं के पदार्थों की कीमत में वृद्धि आयातित गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी के फलस्वरूप हुई थी । क्योंकि यह वृद्धि केवल 2 पैसे प्रति किलोग्राम है, इसलिये इससे उपभोक्ता कीमत स्तर पर कोई उल्लेखनीय सीमा तक असर पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

आयकट विकास कार्यक्रम

*559. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई परियोजनाओं से शीघ्र तथा पूर्ण कृषि-लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने "आयकट विकास कार्यक्रम" नाम से एक कार्यक्रम बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : सिंचाई परियोजनाओं से पुरे तौर से कृषि सम्बन्धी लाभ उठाने की दृष्टि से "आयकट विकास कार्यक्रम" नामक एक कार्यक्रम तैयार किया गया है । इस कार्यक्रम में सिंचित फार्मिंग के सम्बन्ध में उन्नत कृषि पद्धतियां, सहकारिता और ग्रामीण उद्योगों का विकास शामिल है । योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू से हाथ में लेने का प्रस्ताव है ।

क्षेत्रों के लिये अधिक उपयुक्त सिद्ध होने वाली विधियों तथा वस्तुओं की पैकेज के लिए मिश्रण ही आधार होगा और इस कार्यक्रम को चलाने वाला मुख्य स्त्रोत होगा ।

यद्यपि कार्यक्रम विस्तृत रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और एक परियोजना से दूसरी परियोजना से भिन्न होगा तथापि उसके अनिवार्य तत्व निम्नलिखित हैं :--

(1) फसल आयोजना तथा सिंचाई सप्लाई की व्यवस्था जहां कहीं आवश्यक हो अनुपूरक सिंचाई उपलब्ध करना
(2) उचित वितरण तथा सिंचाई जल का देना–पर्याप्त नाली सुविधाओं की व्यवस्था
(3) भूमि शेपिंग–चकबन्दी
(4) पर्याप्त फसल तथा जल प्रयोग आयोजना के लिए भूमि सर्वेक्षण
(5) सप्लाई तथा पूरक वस्तुएं
(6) विस्तार तथा प्रदर्शन
(7) किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय प्रबन्ध
(8) सहकारी भण्डार तथा विपणन सुविधायें
(9) संचार तथा कृषि-औद्योगिक विकास

राज्यों में आयकट विकास हेतु आवश्यक कार्यक्रम बनाने के लिए एक मार्गदर्शन रेखा तैयार कर ली गई है और राज्य सरकारों को भज दी गयी है। चौथी योजना के दौरान योजना के अनुसार बिना उपयोग की गई 40 लाख एकड़ सिचाई की भूमि में से 20 लाख एकड़ भूमि में खेती हो सकेगी। यथा सम्भव यह कार्यक्रम उन सधन खण्डों में क्रियान्वित किया जायेगा जिनमें से प्रत्येक में लगभग 5,000 से 10,000 एकड़ भूमि होगी।

कृषि बैंक

*560. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन को यह सुझाव दिया है कि वह कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से विकासशील देशों को कृषि सम्बन्धी आवश्यक सामग्रियां प्रदान करने के लिए एक कृषि बैंक स्थापित करे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उस संगठन की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : औपचारिक रूप से कोई प्रस्ताव पेश नहीं हुआ है। परन्तु रोम में इंडिकेटिव प्लान के सलाहकार पैनल की बैठक में खाद्य और कृषि मंत्री ने अपने भाषण में खाद्य एवं कृषि संगठन को सुझाव दिया था कि वह एक ऐसे कृषि आदान बक की स्थापना के प्रश्न पर विचार करे जिसके लिए विभिन्न राष्ट्र विश्व खाद्य कायक्रम के आश्वासनों के आधार पर पण्य सम्भरण करें।

प्रतिक्रिया सुझाव के अनुकल थी, परन्तु कोई अन्तिम निर्णय न हो सका। परन्तु खाद्य और कृषि संगठन सलाहकार पैनल की बैठक के वक्ताओं के विभिन्न सुझावों पर विचार करेगा और उचित समय आने पर उपयुक्त कार्यवाही करेगा।

हल्दिया बन्दरगाह

*561. **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हिम्मत सिंहका : **श्री प्र० चं बरूआ :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कलकत्ता के निकट सहायक बन्दरगाह के रूप में हल्दिया का विकास करने से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर सरकारी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये विश्व बैंक से कितनी सहायता मिलेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हल्दिया परियोजना के यातायात तथा अन्य मामलों का परीक्षण करने के लिये सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट विश्व बक द्वारा भेजी गई अप्रेसल टीम के साथ विचाराधीन है।

(ख) अप्रेसल टीम द्वारा इस मामले पर विचार करने के बाद और विश्व बैंक को अपनी रिपोर्ट दे देने के बाद ऐसी आशा की जाती है कि बैंक, भारत सरकार और कलकत्ता कमिश्नर से अधिकारियों का दल वाशिंगटन जाने और ऋण के बारे में बातचीत करने के लिये बुलायेगा। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि बैंक से कितना ऋण उपलब्ध होगा।

Boats seized by Pakistan

***562. Shri Hukam Chand Kachavaiya : Shri Yudhvir Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa : Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has seized three large boats, belonging to India, across Karimganj; and

(b) if so, the nature of articles contained in the said boats as also the efforts made by Government to recover them?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No. The Government of Assam has reported that three boats tied near the Karimganj Customs Ghat drifted away to the Pakistani side in the high current and the sudden rise of water on 1st November, 1965.

(b) The three boats are reported to have been empty. State Government are further investigating into the matter.

भारतीय जहाजों में खाद्यान्न का आयात

*563. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **परिवहन** मंत्री 24 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 177 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पी० एल० 480 तथा विभिन्न देशों के साथ किये गये अन्य समझौतों के अन्तर्गत आयात किया जाने वाला अनाज अधिक से अधिक भारतीय जहाजों के द्वारा लाया जाये, क्या निर्णय किये गये हैं; और

(ख) पिछले साल आयातित अनाज को विदेशी जहाजों के द्वारा देश में लाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा देनी पड़ी और वर्तमान व्यवस्था के द्वारा इस वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सम्बद्ध मंत्रालयों की सलाह से यह मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) 1964 में 47.4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय की गई थी । पी० एल० 480 के अन्तगत खाद्यान्न की छोटी मात्रायें भारतीय जहाजों द्वारा लाई गई थीं । हमारे माल ढोने वाले पोत अधिकतर क्रास व्यापार के लाने ले जाने में लगाये गये थे जिस से वे भारतीय व्यापार में लगाये जाने की अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकें । इस प्रकार विदेशी मुद्रा की बचत अप्रत्यक्ष रूप में हुई ।

अनाज का समाहार

*564. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि फालतू अनाज वाले कुछ राज्यों की सरकारें तथा चोर बाजारी करने वाले व्यक्ति, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अनाज के लाने ले जाने पर लगे हुए, प्रतिबन्धों का उपयोग, स्थानीय उत्पादकों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने तथा काफी लाभ पर वैध अथवा अवैध रूप से अपने क्षत्र से बाहर के राज्यों अथवा उपभोक्ताओं को बेचने के लिए कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकनें के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : खाद्यान्नों के संचलन पर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध चावल, गेहूं मोटे अनाज और चने पर लगे हुये हैं। चावल और गेहूं के बारे में निर्यात योग्य फालतू माल कमी वाले राज्यों को या तो केन्द्रीय सरकार के खाते में अथवा भारतीय खाद्य निगम के खाते में भेजा जाता है। केवल कुछ मोटे अनाजों और चने के सम्बन्ध में राज्य के आधार पर सौदे होते हैं। इन कुछ सौदों में लाइसेंस शुदा व्यापारियों को भी कुछ मात्राएं निर्यात करने की अनुमति दी गयी थी। सरकार को यह सूचना मिली थी कि कुछ मामलों में इन वस्तुओं के लिए ली जा रही कीमतें कमी वाले राज्यों द्वारा उचित नहीं समझी गयीं। ऐसी बात दोबारा न हो इसे रोकने के लिए सरकार ने पिछले अगस्त मास में यह निर्णय किया कि भविष्य में अधिशेष राज्यों में मोटे अनाजों और चने की खरीदारी का काम भारतीय खाद्य निगम करेगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों के अनुसार उस माल को कमी वाले राज्यों को भेजने की व्यवस्था भी करेगा।

राज्यों को दुग्ध चूर्ण का कोटा

1518. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के लिये दुग्ध चुर्ण का कोटा किस आधार पर नियत किया जाता है ; और

(ख) गत पांच वर्षों में कितनी वास्तविक मात्रा नियत की गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) गवर्नमेंट डेरी प्लान्ट्स में से प्रत्येक जितनी मात्रा में दूध की व्यवस्था करता है और वित्त मन्त्रालय द्वारा उपलब्ध की गई सीमित विदेशी मुद्रा के आधार पर यह मन्त्रालय दुग्ध चूर्ण आयात करने के लिए राज्य सरकारों को विदेशी मुद्रा नियत करता है।

(ख) गत पांच वर्षों में आयातित दुग्ध चूर्ण की समीपवर्ती मात्राएं निम्नलिखित है :—

वर्ष	दुग्ध चूर्ण की समीपवर्ती मात्रा (टनों में)
1961–62	5,200
1962–63	5,600
1963–64	5,500
1964–65	4,500
1965–66	2,100

चमडे की बरबादी

1519. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन के चमड़ा कमाने के विशेषज्ञ श्री ओरजे के अनुसार चमड़ की बरबादी के कारण भारत को प्रति वर्ष 27 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस हानि को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) खाद्य एवं कृषि संगठन के चमड़ा कमाने के विशषज्ञ श्री ओरजे ने खाद्य एवं कृषि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में एक वक्तव्य मे कहा था कि "ग़लत ढंग से चमड़ा खींचने तथा चमड़ा कमाने और मुर्दा पशुओं के अनुपयोग के कारण भारत को 27 करोड़ रुपए की हानि हो रही है।" यूरोप में पशुओं के प्रोटीन की सख्त मांग को दृष्टिगत रखते हुए श्री ओरजे ने यह भी कहा था कि यदि और मुर्दा पशु एकत्रित किये जायें तो पशु-प्रोटीन के निर्यात द्वारा भारत विदेशी मुद्रा कमा सकेगा ।

(ख) मुर्दा पशुओं का उपयोग न करन के कारण होने वाली हानि को कम करने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) चमड़ा उतारने, चमड़ा कमाने और ठठरी के उपयोग में प्रशिक्षण देने के लिए बख्शी-का-तालाब, लखनऊमें एक माडल प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना की गई है । इस केन्द्र की स्थापना नीदरलैंड व खाद्य और कृषि संगठन की वित्तीय व तकनीकी सहायता से हुई है ।

(2) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के केसरपाली नामक स्थान पर चमड़ा खींचने, चमड़ा कमाने व ठठरी के उपयोग में प्रशिक्षण देने के लिये एक और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है । आशा है कि 1966 से यह केन्द्र अपना कार्य शुरु कर देगा ।

(3) गोसदन योजना में चमड़ा कमाने, "मीट मील" व "बोन मील" आदि की तैयारी के विषय में उन्नत विधियों के अपनाने के लिए गोसदन की योजनामें सुसज्जित चर्मालयों की स्थापना करना शामिल कर दिया गया है । ग्यारह गोसदनों में चर्मालयों की स्थापना की जा चुकी है । अन्य बहुत से गोसदनों में भी चमड़ा उतारने की सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(4) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 94.50 लाख रुपए की लागत से ठठरी के उपयोग के 35 केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि 26 और नये गोसदनों की स्थापना की जाए, जिनमें कि ऐसे सुसज्जित चर्मालयों की व्यवस्था हो जिनमें ठठरी के टुकड़ों के उपयोग का प्रबन्ध मौजूद हो ।

(5) "स्टडी ग्रुप (एक्सपोर्ट सैक्टर) आन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ एण्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़" ने ठठरी के उपयोग के लिए 30 और केन्द्र स्थापित करने; हड्डियों के एकत्रिकरण की 50 यूनिटों की स्थापना करने, पशुओं के केसिंग तैयार करने के लिए 25 यूनिटों की स्थापना करने के लिए 78 लाख रुपए की व्यवस्था करने की सिफारिश की है । इस पर विचार हो रहा है ।

(6) खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग, कोरा ग्रामोद्योग केन्द्र, बोरीवली, बम्बई में एक प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है । आयोग ने देश के विभिन्न भागों में चमड़ा खींचने के केन्द्रों की स्थापना की है ।

उर्वरकों में चोरबाजारी

1520. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 और 1965–66 में अब तक विभिन्न राज्यों में उर्वरक नियंत्रण अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत रासायनिक खाद की चोर बाजारी करने के लिये कितने मामलों में मुकदमे चलाये गये और कितने मामलों में अन्य कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई अथवा कोई मुकदमा नहीं चलाया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : जानकारी राज्यों, संघ क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में चावल मिलें

1521. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गैर-सरकारी क्षेत्र में सहकारी आधार पर तीन आधुनिक चावल मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उनके लिए प्रस्तावित स्थान कौन से हैं;

(ग) प्रत्येक मिल के लिए कितनी पूंजी विनियोजन की आवश्यकता होगी ; और

(घ) कार्य कब आरम्भ करने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

कोचीन और गोआ में मत्स्य पालन विकास

1522. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन और गोआ में मत्स्य पालन विकास का परियोजना प्रतिवेदन मिल गया है,

(ख) यदि हां, तो मुख्यत: किन योजनाओं की सिफारिश की गई है; और

(ग) कौन सी योजनायें तत्काल आरम्भ की जायेंगी?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क), (ख) और (ग): गोआ और कोचीन के लिये तैयार की गयी मात्स्यकी विकास की प्रायोजना रिपोर्ट में मछली के विपणन, मछली विधायन और छोटीमोटी सुविधाए सुलभ करने के बारे में सुझाव दिये गये हैं । उनको कार्यरूप देने के लिये ऐजंसियों और वित्त आवंटन के सम्बन्ध में उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये उन योजनाओं से सम्बन्धित हैं, जिन्हें राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्यान्वित करना है । इन योजनाओं को केवल चौथी योजना में कार्यान्वित करने की सम्भावना है ।

कोचीन शिपयार्ड

1523. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी सहयोगियों से कोचीन शिपयार्ड सम्बन्धी परियोजना-प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं, रिपोर्ट 30 अप्रैल, 1966 तक प्राप्त होन है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनायें

1524. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य की कमी को देखते हुए आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष क्रियान्विति के लिए आपातकालीन उपायों के रूप में कोई छोटी सिंचाई योजना स्वीकार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) योजनाओं पर कुल कितना खर्च होगा;

(घ) क्या सरकार ने योजनाओं का कुल व्यय वहन करना मान लिया है; और

(ङ) यदि योजनायें कुछ शर्तों के साथ मंजूर की गई हैं तो किन शर्तों के साथ ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क), (ख) और (ग) : भारत सरकार ने जून, 1965 में नहरों, झीलों तथा नदियों से पानी पम्प करने के लिए मध्य प्रदेश में क्रियान्विति के लिए एक आपातकालीन उठाव-सिंचाई योजना स्वीकार की है । संलग्न विवरण के अनुसार स्वीकृत योजनाओं का व्यय 86.68 लाख रुपए है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5264/65 ।]**

(घ) जी नहीं । 1965–66 में क्रियान्वित होने वाली योजनाओं के लिए राज्य सरकार के लिए 44 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

(ङ) आपातकालीन उठाव सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(1) सम्बन्धित क्षेत्र ऐसा हो जहा पर कि "ग्रेविटी फलो" लघु सिंचाई परियोजनायें उपयुक्त न हों ।

(2) चुने हुए क्षेत्रों में वर्ष भर में कम से कम 200 दिन काफी जल उपलब्ध होना चाहिये

(3) तकनीकी व हाईड्रालोजीकल सर्वेक्षण सम्पन्न होने चाहियें ।

(4) पम्प सेटों के स्थानों को थोड़ी दूरी से विद्युत शक्ति उपलब्ध होनी चाहिये ।

(5) मोटर, पम्प, सीमेन्ट आदि उपलब्ध होने चाहियें ।

(6) योजनाओं की क्रियान्विति के लिए उचित संगठन होने चाहियें ।

(7) योजनायें ऐसी हों जो दो वर्ष में पूरी हो सकें ।

(8) योजनाओं का आवर्तक खर्च 35 से 40 रुपए प्रति एकड़ से अधिक न होना चाहिये और कृषक लोग इसको अदा करने के लिए तैयार होने चाहियें ।

(9) योजना का प्रारंभिक लागत-लाभ अनुपात 300 रुपए प्रति एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(10) भूमि, मिट्टी, वर्षा, जलवायु व उगने वाली फसलों को दृष्टि में रखते हुए योजना, कृषी सम्बन्धी दृष्टिकोण से उपयुक्त होनी चाहिये ।

(11) नालियों के निर्माण तथा खेतों की तैयारी आदि के बारे में अग्रिम-कार्यवाही के बारे में विचार किया जाना चाहिये और आयाकट विकास कार्य शुरू होना चाहिये ।

Remuneration to teachers for preparing ration cards

1525. Shri Sidheswar Prasad : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work relating to the preparation of ration cards in Delhi has been entrusted to the teachers;

(b) if so, whether any additional remuneration would be paid to them for doing this work; and

(c) the persons other than the teachers who have been entrusted with this work?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Only honorarium would be paid.

(c) None at present. However, the inspectors of Civil Supplies Department have been deputed to assist the teachers.

धान के भाव

1526. **श्री मलाइछामी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में उत्पादन लागत को देखते हुए धान के निर्धारित भाव लाभप्रद नहीं हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप अनाज की फसल पैदा करने के स्थान पर नकदी फसल पैदा की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो किसानों को उत्पादन लागत के आधार पर लाभप्रद मूल्य मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) सरकार द्वारा धान के लिए घोषित न्यूनतम साहाय्य कीमतें रु० 35 से रु० 40 के बीच में हैं । सरकार ने ये कीमतें कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर घोषित की थीं । विश्वसनीय फार्म लागत आंकड़े न होने के कारण आयोग अपनी सिफारिशें खेती की लागत के आधार पर देने में असमर्थ रहा । अतः उसने पिछली कटाई में और गत तीन कटाइयों में धान की औसत कीमत को ध्यान में रखा । इन कीमतों की घोषणा करने से पूर्व सरकार ने इस विषय पर राज्य सरकारों के विचारों पर विचार कर लिया था ।

चावल की खेती तथा फरीफ की वाणिज्यिक फसलों के बारे में खेती के अन्तर्गत क्षेत्र के आंकड़ों से पता चलता है कि हाल ही के वर्षों में चावल की खेती की बजाय नकद फसलों की कोई अधिक खेती नहीं हुई है ।

(ख) उत्पादन लागत आंकड़े एकत्रित करने के लिए अपेक्षित अध्ययन संगठित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में धान के भाव निर्धारित करते समय यह तत्व एक मार्गदर्शी कसोटी का काम करे । यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में लागू की गयी लेवी के अन्तर्गतविभिन्न राज्यों सरकारों द्वारा धान की खरीद के लिए निर्धारित कीमतें, साहाय्य कीमतों से काफी अधिक हैं ।

Sugar Mill in Sultanpur District

1527. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) when a sugar mill is proposed to be set up in Sultanpur District of U.P.;

(b) the village in which the said mill is being set up ;

(c) the estimated expenditure likely to be incurred thereon;

(d) the amount which is being given by Government for the purpose; and

(e) the amount which would be given by the Government of Uttar Pradesh?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) No application has yet been received for the grant of a licence under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 for the establishment of a sugar factory in Sultanpur District of Uttar Pradesh.

(b) to (e). Do not arise.

चीनी का निर्यात

1528. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में कितनी चीनी का निर्यात किया गया ; और

(ख) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) वर्ष 1964–65 (नवम्बर से अक्तूबर तक) की अवधि में 2.62 लाख मीट्रिक टन

(ख) लगभग 10.6 करोड़ रुपये ।

चारा बैंक

1529. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चारे की कमी पूरी करने के लिये देश में पांच चारा बैंक स्थापित करने की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजना किन किन राज्यों में लागू होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में तीन चारा बैंक जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 2000 टोन्ज़ होगी, राजस्थान में चार बैंक जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1000 टोन्ज़ और बिहार में एक बैंक जिसकी क्षमता 3000 टोन्ज़ होगी, की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 13.75 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत पर 1965–66 में अनुमोदित की गई है । प्रस्ताव है कि कि प्रत्येक चारा बैंक वन क्षेत्र और रेल हैड्स के निकट स्थापित किया जाये ताकि सूखा तथा बाढ़ आदि से प्रभावित क्षेत्रों को सूखी घास या घास की गांठों के भेजने का प्रबन्ध किया जा सके । तीसरी योजना के अन्तर्गत योजना को अनावर्ती खर्च के लिए सौ प्रतिशत ऋण और आवर्ती खर्च के लिए 75 प्रतिशत अनुदान के लिए मिल सकता है ।

केरल में बेकरी

1530. **श्री रामहरख यादव** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में एक आधुनिक बकरी खोलने के लिये विचार कर रही है ;

(ख) क्या स्थान का अन्तिम रूप से चयन कर लिया गया है और काम आरम्भ हो गया है ; और

(ग) परियोजना पर लगभग कितनी पूंजी लगेगी?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । दिसम्बर, 1965 के मध्य तक भूमि मिल जाने की सम्भावना है । इसके बाद निर्माण कार्य किया जाएगा ।

(ग) अनुमानित पूंजीगत परिव्यय लगभग 14 लाख रुपये है ।

Guests Control Order

1531. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of persons permissible in each State for invitation at a dinner under the Guests Control Order;

(b) the number of persons Statewise who have been found guilty of violating the Guests Control Order by inviting guests more than permissible during the last three months; and

(c) the number of suits filed and the number of cases in which fines have been imposed?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). The information is given in the statement attached. **[Placed in the Library. See No. LT-5266/65.]**

मध्य प्रदेश में चीनी मिलें

1532. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आजकल कुल कितनी चीनी मिलें चल रही हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ख) पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ और इस वर्ष कितना उत्पादन होने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) मध्य प्रदेश में पांच चीनी मिलें चल रही हैं । ये डबरा, सिहोर, महिदपुर रोड, जावरा और दालोदा में स्थित हैं ।

(ख) मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष (1964-65) में चीनी का कुल उत्पादन 37,240 टन हुआ । प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार 1965-66 में लगभग 25,000 टन उत्पादन होने की आशा है ।

नागपट्टिनम बन्दरगाह पर शैड

1533. **श्री थेनगौंडर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपट्टिनम बन्दरगाह पर मलयेशिया से आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिये पर्याप्त शैड नहीं है;

(ख) क्या यात्रियों की सुविधा के लिये अतिरिक्त शेड बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित अतिरिक्त शेड बनाने में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग): राज्य सरकार से मालूम हुआ है कि यात्रियों के व्यवहार के लिये नागापत्तिनम पत्तन पर दो खुले यात्री शेड और एक सैलून यात्री शेड हैं। ये शेड कई वर्ष पूर्व बनाये गये थे और पर्याप्त नहीं समझे जाते हैं। मद्रास सरकार ने मई, 1965 में 8 लाख रु० की प्राक्कलित लागत पर एक यात्री टरमिनल स्टेशन के निर्माण करने की स्वीकृति दे दी है। यह योजना केन्द्रीय तीसरी योजना में शामिल है। मिट्टी की विशिष्टता जानने के लिये बोरिंग का काम पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्थूल नींव के लिये ठेकों पर विचार किया जा रहा है।

नागपट्टिनम बंदरगाह

1534. **श्री थेनगौंडर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपट्टिनम बन्दरगाह के नये बने स्तम्भ (पायर) के आसपास का रेत हटाने वाली मशीन ठीक काम नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो मशीन को ठीक करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से पता चला है कि नागापत्तिनम पत्तन पर बालू के जमाव को हटाने के लिये व्यवहार में आने वाला मोबाइल सैंड पम्प अच्छी दशा में है। उसे सितंबर में ही चालू किया गया था। उसके काम में लाने के परिणाम, कम से कम एक वर्ष कार्य करने के बाद उपलब्ध होंगे।

धान की वसूली

1535. **श्री थेनगौंडर** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्नारगुड़ी के गोदाम के लिए भारत के खाद्य निगम के प्राधिकारियों ने अब तक कितने मीट्रिक टन "कुरुवई" धान खरीदा है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त प्राधिकारियों ने निगम को सप्लाई किए गए धान में से लिए गए नमूनों के आधार पर बाद में किसी तारीख को व्यापारियों, किसानों आदि को दिए जाने वाले मूल्य कम कर दिये थे;

(ग) क्या निगम द्वारा खरीदे गए धान के मूल्य निर्धारण पर पुनः विचार करने की कोई प्रक्रिया है; और

(घ) यदि हां, तो पहले निश्चित किए गए मूल्य में कोई कमी वेशी होने पर क्या व्यापारियों, किसानों आदि को मूल्य का यह अन्तर पूरा किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारतीय खाद्य निगम मद्रास के तीन जिलों अर्थात् तंजवूर, दक्षिण अरकोट और तिरूचीरापल्ली में कुरूवई धान की खरीदारी कर रहा है। यह धान चावल बनाने के बाद केरल को भेजने के लिए खरीदा जा रहा है न कि मन्नारगुड़ी गोदाम में संचयन के लिये। निगम द्वारा 21-11-65 तक 5.4 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है।

(ख) से (घ) : निगम मद्रास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कीमतों पर धान/चावल खरीदता है। ये कीमतें निर्धारित निर्दिष्टियों के अनुसार उचित औसत किस्म के लिए निर्धारित हैं। किस्म में

विभिन्न कमियों के लिए कीमत में उचित काट काटी जाती है। अनाज के विश्लेषण के परिणामों के आधार पर विक्रेता को अन्तिम रूप से भुगतान किया जाता है लेकिन उसमें से किस्म सम्बन्धी काट काटी जा सकती है। यदि विक्रेता को पहले नमूने का विश्लेषण स्वीकार नहीं है तो वह पहले नमूने के विश्लेषण के परिणाम मिलने पर एक सप्ताह के भीतर निगम अधिकारियों को इस बारे में सूचना दे देवे। तब दुसरे नमूने का विश्लेषण विक्रेता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाता है और विश्लेषण के परिणाम दोनों पक्षों के लिए मान्य होते हैं।

थेजावूर जिले में "सामलिया" फसल

1536. **श्री थनगौंडर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेत्तूर,बांध से पर्याप्त पानी न मिलने के कारण तथा वर्षा न होने के कारण थेजावूर ज़िला, मद्रास राज्य में "सामलिया" फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो फसल के लिए पानी देने के लिए सरकार ने क्या विभिन्न उपाय किए हैं;

(ग) ड्रिलिंग के लिए थेजावूर ज़िले में अब तक बिजली से चलने वाले कितने रूसी डिलर भेजे गये हैं;

(घ) क्या थेजावूर ज़िले में बिजली से चलने वाले रूसी डिलरों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि वहां पर इनकी बहुत मांग है; और

(ङ) उक्त ज़िले में बिजली से चलने वाले रूसी डिलरों से अब तक कितने कुवें खोदे गये हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शहानवाज़ खां) : (क) से (ङ) : मद्रास सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय पण्य समितियां

1537. **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति, भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति, भारतीय केन्द्रीय लाख उपकर समिति, आदि निर्यात करने वाली संस्थाओं को कृषि विभाग के नियंत्रण में क्यों रखा गया है;

(ख) क्या यह सच है कि रबड़, काफी, चाय आदि की खेती वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित बोर्डों के अधीन है; और

(ग) यदि हां, तो क्या विभिन्न पण्य समितियों को विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत रखने के कारण बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) : व्यापार के निर्धारण के सिलसिले में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय मोटे तौर से समस्त कृषि वस्तुओं के अनुसन्धान तथा विकास के लिए, वाणिज्य मंत्रालय मोटे तौर पर उनके निर्यात के लिए ज़िम्मेदार है। कृषि वस्तुओं से सम्बन्धित विभिन्न समस्यायें उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार सुलझाई जाती है। फिर भी अनुसन्धान, विकास, प्रक्रिया, विपणन जैसे एक वस्तु के समस्त पहलुओं पर कार्यवाही करने के लिए एक वैधानिक या अवैधानिक एजेंसी बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित एजेन्सी खाद्य तथा कृषि मंत्रालय या वाणिज्य मंत्रालय के अधीन स्थापित की जाती है। जो एजेन्सी मुख्यतया विपणन तथा निर्यात से सम्बन्धित है उसे वाणिज्य तथा

उद्योग मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाता है। जो एजैन्सी मुख्यतया अनुसन्धान तथा विकास से सम्बन्धित है उसे खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन स्थापित किया जाता है।

उपरोक्त सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न वैधानिक और अवैधानिक पण्य समितियां और बोर्ड मोटे तौर पर वाणिज्य तथा खाद्य एवं कृषि मंत्रालयों के अधीन स्थापित की गई हैं। इसी प्रकार चाय, काफी और रबड़ बोर्ड जो निर्यात की दृष्टि से इन वस्तुओं के साथ सम्बन्धित हैं वाणिज्य मंत्रालय के अधीन स्थापित किये गये हैं जबकि केन्द्रीय पण्य समितियां जो कपास, तिलहन, लाक आदि से सम्बन्धित है खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन स्थापित की गई थीं क्योंकि इनका सम्बन्ध मुख्यतया सम्बन्धित वस्तुओं की खेती के सुधार तथा विकास से है।

दिल्ली में खाद्यान्नो के भाव

1538. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 21 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 762 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों का नवम्बर 1965 के आरम्भ तक दिल्ली में विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुओं के भावों पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ख) सितम्बर और अक्तूबर, 1965 के अन्त में उपभोक्ता मूल्य देशनांक क्या था, और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित भाव गत दो वर्षों में नवम्बर के आरम्भ तक भावों की तुलना में कैसे तथा प्रत्येक वस्तु के प्रति वर्ष रिकार्ड किये गये भावों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

खाद्य तथा कृषिमंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) पाकिस्तान के साथ संघर्ष आरम्भ होने से नवम्बर, 1965 के पहले सप्ताह मे कुल मिलाकर विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुएं जैसे कि गेहूं, चावल, दालें और सरसों के तेल के भावों में गिरावट का रुखा आया है। तथापि, आलू और मूंगफली के तेल के भाव में कुछ बढ़ोतरी हुई थी।

(ख) दिल्ली के श्रमिक वर्ग के लिये उपभोक्ता भाव सूचकांक निम्न प्रकार था :—

	आधार 1960=100	
महीना	खाद्य	सामान्य
सितम्बर	146	137
फरवरी	144	135

(ग) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5267/65।]

पर्यटक होटेल निगम

1539. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक होटल निगम ने चुने हुये पर्यटन केन्द्रों में होटल बनाने के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इन होटलों के निर्माण के लिये कौन से स्थान चुने गये हैं; और

(ग) निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कुछ परियोजनाओं के बारे मे प्रारंभिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

(ख) अपने कार्यक्रम की प्रथम प्रावस्था में निगम द्वारा होटलों की स्थापना के संभावित स्थान मदरास, बंगलौर, हैदराबाद, बबई, कलकत्ता, आगरा और वाराणसी है।

(ग) निर्माण अगले वर्ष किसी समय प्रारंभ हो सकता है।

रबी की फसल का अनुमानित उत्पादन

1540. **श्री प्रं० चे० बरुआ :**
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **खाद्य** तथा कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में रबी की फसल में गेहूं तथा अन्य अनाजों का कितना उत्पादन होने का अनुमान है तथा पिछले वर्ष की तुलना में यह उत्पादन कैसा है; और

(ख) इस वर्ष खाद्य के उत्पादन की दर में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अभी तक 1965-66 की रबी की फसलें बोई जा रही हैं और रबी की फसल की बुवाई के क्षत्र का प्रारंभिक अनुमान भी उपलब्ध नहीं है। अत: इस समय 1965-66 की उपज का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बीकानेर आगरा राष्ट्रीय राजपथ

1541. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या परिवहन मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ठेकेदार द्वारा उसे सौंपे कार्य को न कर सकने के कारण बीकानेर-आगरा राष्ट्रीय राजपथ संख्या 11 के निर्माण में प्राय: एक वर्ष का विलम्ब हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान आपात काल में इस सड़क को सर्वोच्च प्राथमिकता से बनाना सुनिश्चित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : शायद माननीय सदस्य का तात्पर्य एक सैक्शन अर्थात् राष्ट्रीय मुख्य मार्ग सं० 11 के बीकानेर-डुंगरगढ़ सेक्शन से है जिसे अनुसूची के अनुसार 31 मार्च, 1966 तक पूरा होना था। कुछ तो ठेकेदार के कुछ समय तक काम रोकने से और कुछ अन्य कारणों से जैसे मजदूरों की कमी, सामान के आने में देरी और सामान ले जाने वाली ट्रकों के लिये आवश्यक पेट्रोल, डीजल इत्यादि की कमी, निर्माण कार्य में 6 महीने की देरी हो गयी है। अब इस कार्य के अगस्त 1966 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।

ठेकेदार के द्वारा काम रोके जाने पर उसे करने का काम विभाग द्वारा जारी रखा गया। अब ठेकेदार ने फिर से काम शुरू कर दिया है और वह संतोषजनक रूप से चल रहा है।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की शीतकालीन समय सारिणी

1542. **श्री यशपाल सिंह** : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 1965 के टाइम्स आफ इण्डिया में इस सम्पादकीय टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की शीतकालीन समय सारिणी का पुनरीक्षण करते समय पश्चिमी प्रदेश के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है;

(ख) क्या गुजरात और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। इस सम्पादकीय में अहमदाबाद को और अहमदाबाद से चलने वाली सेवा के असुविधाजनक समय का जिक्र है और इनमें से अधिकतर बम्बई से सायंकाल चलने वाली उड़ाने हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) परिचालन सम्बन्धी कारणों से कुछ समय के लिए बम्बई-अहमदाबाद सेवा शाम को चलायी गई। अब बम्बई/अहमदाबाद से दो सेवायें चलती हैं—एक बम्बई से 0700 बजे चलती है और दूसरी 1400 बजे।

रेलवे निरीक्षणालय

1543. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा क रे कि :

(क) रेलवे निरीक्षणालय गैर-सरकारी रेलवे लाइनों और नई रेलवे लाइनों का क्या निरीक्षण करता है;

(ख) क्या इन लाइनों के बारे में पिछले पांच वर्षों में रेलवे निरीक्षणालय की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) गैर-सरकारी रेलवे लाइनों और नई रेलवे लाइनों इत्यादि से सम्बन्धित रेलवे सुरक्षा के लिये संघटन के कर्त्तव्य नीचे सूचित किये जाते हैं :—

1. **गैर सरकारी लाइनें**

इन रेलवे लाइनों के निरीक्षण के दौरान, रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त कमिश्नर को रिपोर्ट करना पड़ता है कि क्या

(i) निचली सतह के निर्माण कार्य, पुल, मार्ग, रिहायशी काम, सिगनल और अन्तर्ग्रथन उपस्कर, इंजन और डिब्बों की देखरेख ठीक तरह से होती है;

(ii) आग बुझाने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध हैं;

(iii) यात्रियों के लिये किराया-सारिणी के प्रदर्शन, गाड़ियों के दरवाजों पर सुरक्षा युक्तियों की व्यवस्था, यातायात के लिये उपर्युक्त प्रबन्ध, बुकिंग प्रबन्ध, प्रतीक्षा के लिये स्थान, जलपान प्रबन्ध और सामान्य सफाई की दशाओं की पर्याप्त सुविधायें मौजूद हैं;

(iv) रेल का परिचालन इस प्रकार किया जाता है कि जनता और रेल चलाने वाले समस्त व्यक्तियों की सुरक्षा की देखरेख हो, और क्या कर्मचारी अपने कर्त्तव्य और नियमों से भली भांति परिचित हैं;

(v) इमदादी गाड़ियों में उपस्कर, प्राथमिक उपचार के बक्से, दवाइयों की पेटियों इत्यादि की देखरेख ठीक प्रकार से की जाती है; और

(vi) विभिन्न निरीक्षण अधिकारियों द्वारा रेलवे के किये गये निरीक्षण निर्धारित मानक के होते हैं।

2. नई रेलवे लाईनें, उनका दोहरा करना इत्यादि

यात्रियों/माल को सार्वजनिक रूप से ले जाने के लिये किसी नई रेलवे लाइन के खुलने, दोहरी करने इत्यादि के पूर्व रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त कमिश्नर को रेलवे और डिब्बों का सावधानीपूर्वक इस सुनिश्चयन के लिये निरीक्षण करना होता है कि :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित चल और स्थिर आयामों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है;

(ii) रेलों का भार, पुलों की सशक्तता, निर्माणकार्यों की सामान्य संरचनात्मक प्रकृति, और किसी डिब्बे के एक्सल पर अधिकतम कुल भार, इस प्रकार के है जो सरकार द्वारा निर्धारित किये गये हैं;

(iii) रेल को पर्याप्त संख्या में डिब्बों की सप्लाई की गई है;

(iv) यात्रियों को सार्वजनिक रूप से ले जाने के लिये उसके खुलने से पूर्व रेलवे के कार्य करने के लिये सामान्य नियम, भारती रेलवे अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत, बनाये, स्वीकृत किये, और प्रकाशित किये गये हैं;

(v) यात्रियों को सार्वजनिक रूप से ले जाने के लिये, व्यवहार करने वाली जनता के लिये खतरे के बगैर रेल खोली जा सकती है।

(ख) जी, हां।

(ग) कई सिफारिशें हैं, और इन सिफारिशों पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी सूचना का संकलन करने में बहुत समय और श्रम लगेगा जो संभाव्य प्राप्त परिणामों से सम्मत नहीं होगा।

Prices of mustard seeds

1544. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the difference in the prices of mustard which were prevalent at the time of harvest this year and the prices which are prevalent at present;

(b) whether it is a fact that the prices of mustard oil produced by cooperative mills and the mustard oil produced by private mills are not the same; and

(c) if so, the action Government propose to take to enforce a uniform fixed rate?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Prices of mustard during September-October, 1965 were higher by about 25% when compared to the average prices prevailing at the time of harvest in the months of February to April, 1965.

(b) The information has been asked for from the States concerned and will be placed before the House when received.

(c) Does not arise.

Loan to Agriculturists

1545. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are advancing loans to the agriculturists for the purchase of seeds and fertilizers with a view to increase the food production in the next Rabi and Kharif seasons;

(b) if so, the total amount allotted for this purpose; and

(c) whether similar loans are also to be advanced to the agriculturists for installing tube-wells during the remaining period of the Third Plan?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Loans to the agriculturists for the purchase of seeds and fertilisers are advanced by the State Governments with a view to increasing food production. The Government of India, however, render financial assistance to the State Governments by way of short-term loans for the purchase of fertilisers and improved seeds and distributing them to the cultivators on credit. Such short-term loans have been sanctioned for the 1965 Kharif season and the current Rabi season. It is too early to sanction these loans for the next kharif season.

(b) Short term loans aggregating Rs. 2,602·06 lakhs have so far been sanctioned during 1965-66 to the various State Governments for the aforesaid purpose.

(c) Yes. Loans to the agriculturists for installing tubewells are also advanced by the State Governments. Private or Cooperative Lift Irrigation schemes, such as pump-sets, tubewells, filter points etc. are eligible for a subsidy of 25%, the subsidy being shared equally between the Central and the State Governments and for the balance 75%, loans are admissible.

Prices of Sugar

1546. Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of sugar has considerably increased during the current year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to check the increase in price?

The Dy. Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). Prices of sugar of some factories in Western U. P., Gujarat, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh were increased with effect from 6th August, 1965 on the basis of the actual recovery and duration obtained in the respective regions during the season 1964-65. No increase in sugar price occurred in other regions.

Social Security Programmes

1547. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether a Tripartite Committee, comprising of officers, social workers and Members of Parliament, has been formed to assess the social security programmes;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when its report is likely to be received?

Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. M. Chandrasekhar) : (a) The position is that seeing that the Department of Social Security had been newly created, it was decided that a conference of State Ministers in charge of Social Welfare and allied subjects would be called to take stock of the situation, and that on the basis of the deliberations of the conference, the terms of reference of the proposed Tripartite Committee would be drawn up. But, owing to the Emergency, the Conference could not be called and the Tripartite Committee could not be formed.

(b) and (c). Do not arise.

पंचायत अधिकारियों को मासिक भत्ते

1548. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों के गैर-सरकारी पदाधिकारियों को सामान्य सवारी-भत्ते के अतिरिक्त मासिक भत्ते देने के लिए विभिन्न राज्यों में व्यवस्था की गई है;

(ख) किन राज्यों ने ये भत्ते देने की मंजूरी देने से इंकार किया है तथा उन्होंने ऐसा करने के क्या तर्क दिये हैं; और

(ग) इस नवीन क्रिया के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कुशलता में कहां तक वृद्धि हुई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : एक विवरण, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5268/65**]

सामाजिक नीति

1549. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पष्ट रूप से परिभाषित सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक संसद् के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं। यह विषय योजना आयोग के साथ प्रसंगाधीन है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय कृषि अनुसन्धान सेवा

1550. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री क० ना० तिवारी : **श्री हिम्मत सिंहका :**

क्या **खाद्य** तथा **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि अनुसन्धान के राष्ट्रीय कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान सेवा बनाने का निश्चय किया है;

(ख) क्या प्रस्तावित सेवा भारतीय प्रशासन सेवा के ढांचे पर आधारित होगी;

(ग) नियुक्ति तथा पदोन्नति की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की जायेंगी; और

(घ) योजना पर कितना व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की अन्तरंग सभा ने अपनी 23 सितम्बर 1965 की बैठक में भारतीय कृषि अनुसन्धान सेवा बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया था। अन्तरंग सभा ने सैद्धान्तिक रूप से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। विवरण तैयार किया जा रहा है और प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अभी विचार करना है।

(ख) जी नहीं। प्रस्तावित सेवा सिविल सर्विस (जैसा कि आई०ए०एस) के ढांचे पर आधारित नहीं होगी। शब्द 'सर्विस' का प्रयोग इंगलैंड (जहां पर कि ऐसे नाम का अभिप्राय उन कृषि अनुसन्धान संस्थाओं तथा एककों में कार्य करने वाले व्यक्तियों से होता है जिन्हें कि सरकारी खज़ाने से रुपया मिलता है और जो इंगलैंड की कृषि अनुसन्धान सेवा की देख-रेख में कार्य करते हैं) की एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस की तरह ही प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) : ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

हाथ से बोने की (डिब्बलर) प्रणाली

1551. **श्री हडा :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन फार्मों में हाथ से बोने की (डिब्बलर) प्रणाली का प्रयोग किया गया है;

(ख) इस परीक्षण के परिणाम क्या हैं; और

(ग) यह प्रणाली आगे किन क्षेत्रों में अपनाई जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) यह प्रणाली उत्तर प्रदेश के काफी फार्मों में अपनाई जा रही है।

(ख) डिब्बलर प्रणाली से बीज की बचत होती है।

(ग) उत्तर प्रदेश में डिब्बलर प्रणाली के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव है। और राज्यों से भी प्रार्थना की गई है कि वे इस प्रणाली की आजमाइश करें।

मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स को जमीन का दिया जाना

1552. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पंजाब राज्य सरकार से कहा है कि मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स को एक हजार एकड़ से भी ज्यादा जमीन कम से कम किराये पर दे; और

(ख) क्या अन्य पार्टियों को भी इसी प्रकार की रियायत दी गई है ताकि वे बीज उत्पादन करने तथा बीजफार्म बनाने की ओर आकर्षित हो सकें ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भारत ईरान विमान सेवा

1553. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार तथा ईरान सरकार के बीच 1960 में दोनों देशों के बीच विमान सेवा चलाने के बारे में हुआ करार 20 सितम्बर, 1965 से लागू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की क्रियान्विति में दीर्घकालिक विलम्ब होने के क्या कारण थे ?

परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) करार सत्यांकन की तारीख से लागू हो गया है। भारत/ईरान हवाई सेवा करार के सत्यांकन में देरी, ईरान सरकार के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की आवश्यकता के कारण हुई। यह मार्च 1964 तक नहीं हो सका और हमें करार की सम्पुष्टि केवल जुलाई-अगस्त, 1964 में प्राप्त हुई। पत्रों में आदान प्रदान की अन्तिम तिथि ईरान के नये राजदूत के आ जाने के बाद सितम्बर में निश्चित हुई थी।

विशाखापट्टनम पत्तन का घाटभाड़ा

1554. **श्री कोत्ला वेंकया** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालटैक्स आयल रिफायनिंग (इंडिया) लिमिटेड के साथ किये गये समझौते के अनुसार विशाखापट्टनम पत्तन पर तेल के निर्यात और आयात के घाटभाड़े का पुनरीक्षण करने के पत्तन अधिकारियों के प्रस्तावों पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रकार के तेल के लिये पत्तन अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित दरें क्या थीं और सरकार ने क्या दरें मंजूर की हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) दरें संलग्न विवरण में सूचित की गई हैं। ये वही हैं जो पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अन्तिमरूप से प्रस्तावित की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्णन	एकांश	दर
		रु०
डीजल तेल तथा अन्य तरल तेल . .	आयात 1000 लीटर	2.70
	निर्यात ,, ,,	1.80
इंधन तेल . .	आयात ,, ,,	3.60
	निर्यात ,, ,,	1.80
कच्चा तेल	आयात ,, ,,	3.60
	निर्यात ,, ,,	2.70
मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) (खतरनाक पेट्रोलियम दमकांक 76° से नीचे)	आयात ,, ,,	4.40
	निर्यात ,, ,,	2.86
नेफथा टरपीन, बेनजोल और बेन्जोलीन विपुल मात्रा में	आयात ,, ,,	4.20
	निर्यात ,, ,,	4.20

विशाखापटनम बन्दरगाह

1555. **श्री कोल्ला वकया** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, पूना ने विशाखापट्टनम बन्दरगाह में जहाज़रानी मार्ग को चौड़ा और गहरा करने तथा दूसरा जहाज़रानी मार्ग बनाने के प्रस्ताव पर अपनी निश्चित राय दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इतनी अधिक देर होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दूसरी जहाजीनहर स्थापित करने से संबंधित मामलों को विशाखापत्तिनम पोर्ट ट्रस्ट ने केन्द्रीय जल और बिजली अनुसन्धान स्टेशन पूना को भेज दिया था। मौजूदा जहाजीनहर को गहरा और चौड़ा करने के मामले को पोर्ट ट्रस्ट ने सलाह के लिये पूना अनुसन्धान स्टेशन को भेजना ठीक नहीं समझा। दूसरी जहाजीनहर के बारे में पूना अनुसन्धान स्टेशन की अन्तिम राय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

वनस्पति तेल के मूल्य

1556. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री कपूर सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य** तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में वनस्पति तेलों के मूल्य बहुत बढ़ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) पिछले 3 महीनों में कई मामलों में सरसों के सिवाय अन्य प्रमुख वनस्पति तेलों के मूल्यों में 10 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

(ख) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं: मूंगफली व मूंगफली के विषय में "नान-ट्रान्सफेरेल स्पेसिफिक डिलिवरी कन्ट्रैक्टस" के बारे में अग्रवर्ती व्यापार को नियंत्रित करना, अलसी तथा अरन्डी के भावी सौदों के बारे में लाभ की कठोर सीमा को लागू करना; तिलहनों तथा वनस्पति तेलों के लिए बैंकों द्वारा अग्रिम धन प्रदान करने के विषय में नियम बनाना; खाने के तेलों तथा उनके बीजों के निर्यात पर नियंत्रण जारी रखना; खाने के तेलों को औद्योगिक कार्यों तथा खाने के सिवाय अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करने पर पाबन्दी लागू करना तथा पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से सोयाबीन के तेल का आयात करना।

मैसूर को अनाज का दिया जाना

1557. **श्री बासापा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बंगलौर तथा अन्य स्थानों में कानूनी राशन व्यवस्था आरम्भ करने से पहले पांच-छः महीनों के लिये अनाज देने का आश्वासन मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मीनक्षेत्र योजना

1558. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मीनक्षेत्र विकास योजना में सरकार की सहायता करने के लिए सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के एक दल ने समुद्रवर्ती राज्यों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अपनी यात्रा कब पूरी की थी;

(ग) क्या उन्होंने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का स्वरूप क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : सोवियत संघ का एक दल जिसमें एक मात्स्यकी विशेषज्ञ, प्रोसेसिंग विशेषज्ञ और बन्दरगाह विशेषज्ञ थे, विभिन्न मत्स्य-हरण केन्द्रों और प्रयोग में लाए जा रहे सामानों के बारे में बातचीत करने और उनकी पहली जानकारी लेने के लिये भारत आया था। इस दल ने अभी अभी अपना दौरा पूरा किया है।

(ग) और (घ) : विशेषज्ञों का यह दल मास्कों में सोवियत सरकार के साथ और विचार विमर्श करने के बाद सामान और सहायता जोकि सोवियत संघ दे सकेगा, के बारे में ठोस सुझाव देगा।

Co-operative Farming Scheme

1559. Shri Ramchandra Veerappa : Will the Minister of **Community Development** and **Co-operation** be pleased to state :

(a) the particulars of the areas in India which have been covered by the co-operative farming scheme so far; and

(b) the extent to which it has achieved success?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) A statement showing location of areas of pilot projects of cooperative farming is enclosed (Annexure I.) **[Placed in the Library. Sec. No. [LT-5269/65]** In addition to the pilot project areas, scieties are also organized in other areas. As these societies are scattered, information about their location is not available.

(b) The progress made, up to the end of August, 1965 in the organization of societies is given in Annexure II **[Placed in the Library. Sec. No. LT-5269/65.]** which shows that the progress in the states has been uneven. An evaluation of the working of the pilot projects was made recently by a committee of Direction headed by Prof. D. R. Gadgil. A copy of the report has already been placed in the Parliament Library. A summary of the main recommendations of the Committee was laid on the Table of the Lok Sabha in reply to Lok Sabha starred Question No. 400 on 23-11-1965.

Cultivation of Land

1560. Shri Yogendra Jha : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any programme for the prompt reclamation of about 10-crore acres of cultivable fallow land in the country to meet the shortage of foodgrains has been formulated in view of the present emergency; and

(b) if so, the measures taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The area under cultivable waste according to the land utilisation statistics of the country is 85·25 million acres. The bulk of this area cannot however be reclaimed at an economic cost. In order to determine the exact extent of wasteland in the country that could be reclaimed and cultivated, the Government of India appointed a Wastelands Survey Committee to survey blocks of 250 acres and above. This committee recommended the reclamation of 12·2 lakh acres. In order to determine areas in small blocks of less than 250 acres which are suitable for cultivation, a centrally sponsored scheme was taken up. This survey is in progress so far an area of 25·80 lakh acres have been located for reclamation and cultivation. The exact area would be known only after the survey is completed.

(b) Attempts are being made to utilise the cultivable wastelands which are suitable for cultivation by allotting such lands to the landless people in the States under the States normal land allotment rules and under a centrally sponsored schemes for resettlement of landless agricultural families.

Fire in Vessels Carrying Chemicals

1561. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three small vessels loaded with chemicals had caught fire during the last week of October, 1965 in the Sewri area of Bombay;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the estimated loss caused thereby?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes. Three sailing-vessels which were loaded with chemical drums are reported to have been involved in a fire accident in the Sewri Bunder area of the Bombay port on 22nd October, 1965.

(b) and (c) . Neither the cause of the fire nor the extent of damages is yet known. However, a preliminary equiry under the Merchant Shipping Act, 1958, is in progress.

अनाज का सट्टा

1562. श्री रामपुरे :

श्री मुहम्मद कोया :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1965 के पैट्रियट में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के कुछ व्यापारी भांडारों का प्रयोग स्वामित्व परिवर्तन द्वारा सट्टेबाजी के लिए कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार माल की वास्तव में ढुलाई नहीं होती; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सभी संस्थाओं और व्यक्तियों को जोकि वास्तव में भाण्डारगारों में अपना स्टाक जमा करवाते हैं, भाण्डारगार रसीदी दी जाती है। विभिन्न राज्य भाण्डारगार अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसी रसीदें पदक्राम्य-पत्र हैं और ये या तो वित्त देने वाली संस्थाओं जिनमें बैंक भी हैं, के पास बन्धक रखे जा सकते हैं या पृष्ठांकन द्वारा बेचे जा सकते हैं। सामान्य व्यापार प्रथाओं के अनुसार वास्तव में माल दिये बिना भी स्वामित्व बदला जाता है और भाण्डारगार रसीदें कोई अपवाद नहीं हैं।

केरल की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियां

1563. श्री यशपाल सिंह : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आर्थिक तथा सांख्यकी विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार केरल की अनुसूचित जातियों के लगभग 74 प्रतिशत तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 36 प्रतिशत लोग ऋणग्रस्त है; और

(ख) यदि हां, तो इन लोगों की दशा सुधारने के लिये क्या कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) हां। सर्वेक्षण प्रतिवेदन में सूचित किया गया है कि अनुसूचित जातियों के लगभग 47% (और 74% नहीं) परिवार और अनुसूचित आदिम जातियों के लगभग 36% परिवार ऋणग्रस्त है।

(ख) केरल सरकार ने ऐसे उपाय करने का विनिश्चय किया है, जिससे लोगों को कर्ज देने वालों के पास न जाना पड़े। उसने आदिम जातियों के लोगों को इस शर्त पर कृषि के लिये अग्रिम कर्ज देने का विनिश्चय किया है कि उत्पादित माल की बिक्री व्यवस्था सहकारी समितियों द्वारा की जाय।

अनुसूचित जातियों के संबंध में केरल सरकार ने विनिश्चय किया है कि एक सामान्य सहकारी समिति के क्षेत्राधिकार में आने वाले अनुसूचित जातियों के सब लोगों को समिति का सदस्य बना लिया जाये और समिति द्वारा उस क्षेत्र में दिये जाने वाले कर्जों तथा अन्य लाभों का एक अच्छा प्रतिशत अनुसूचित जातियों को दिया जाये।

Production of Sugarcane

1564. Shri Yogendra Jha :
Shri T. Ram :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the percentage increase in the national average of per acre production of sugarcane during the last five years;

(b) the average increase in sugarcane production per acre, State-wise, during the above period;

(c) whether it is a fact that Bihar is the most backward State as far as increase in sugarcane production per acre is concerned;

(d) if so, the reasons therefor; and

(e) the nature of help rendered by the Central Government to the State Government to remove it?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) According to the results of latest random sample crop cutting surveys, the All India per-acre yield of sugarcane increased at a rate of 1·66 per cent per annum during the period 1952-53 to 1961-62.

(b) A statement giving the information is attached. [**Placed in the Library. See. No.LT-5270/65.**]

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

(e) Besides normal Sugarcane Development Scheme, a scheme for intensive sugarcane cultivation around sugar factory areas has recently been taken up with the object of increasing per acre yield of sugarcane in the State. Central Government meets 1/3rd of the total expenditure on this scheme the balance being shared by the State Government and the beneficiaries on 50 : 50 basis.

भाड़े की दर में वृद्धि

1565. श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डॉ० रानेन सेन :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी तट से आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मार्ग पर जहाज चलाने वाली जहाजरानी कम्पनियों ने अक्तूबर, 1965 से भाड़े की दरों में सामान्य वृद्धि की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : जी हां, 1 अक्टूबर, 1965 से 7½ प्रतिशत की सामान्य वृद्धि की गई है।

(ग) संबद्ध जहाजरानी कंपनी से भारत सरकार ने सख्त शिकायत की है, उसने उत्तर दिया है कि श्रम दशाओं और चालन में बढ़ती हुई लागत के कारण यह जरूरी था और मुख्य व्यापारिक संस्थानों की राय को मानते हुये, जिनसे उन्होंने सलाह ली थी, कुछ माल पर वृद्धि नहीं की गई है।

सिंचाई का पानी

1566. श्री कृष्णपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1965 में प्रधान मंत्री ने योजना आयोग के सदस्यों को भेजे गये पत्र में सुझाव दिया था कि किसानों को कम से कम एक वर्ष तक सिंचाई के लिए निशुल्क अथवा नाममात्र शुल्क पर पानी दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) प्रधान मंत्री जी ने कृषकों को सिंचाई के लिए एक वर्ष तक की अवधि के लिए मुफ्त में या नाममात्र अदायगी पर जल सप्लाई करने के बारे में जो सुझाव दिया था, उस पर 20 अक्तूबर, 1965 को योजना आयोग में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में विचार किया गया था। इस बात को नोट किया गया कि अधिकांश राज्यों ने नई सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों के लिए पहले ही जल की वर्गीकृत दरों की व्यवस्था की हुई है। इस बात को स्वीकार किया गया कि नई सिंचाई परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों के अतिरिक्त इस पद्धति को पुरानी परियोजनाओं के क्षत्र में अतिरिक्त फसलों के लिए भी अपनाया जाये।

पौदा संरक्षण उपाय

1567. श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक वर्ष में कुल उत्पादन की कितनी प्रतिशत फसल पर पौदा संरक्षण उपाय लागू हुए ; और

(ख) क्या इस प्रतिशतता को बढ़ाने का कोई विचार है जिससे अनाज की बरबादी न हो ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1964-65 में लगभग 10 प्रतिशत फसल पर पौदा संरक्षण उपाय लागू हुए।

(ख) जी हां। पौदा संरक्षण उपायों को धीरे-धीरे तीव्र करने का प्रस्ताव है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तिम वर्षों में क्रमशः 6.1 तथा 16.0 मिलियन एकड़ भूमि में ये उपाय लागू किये गये थे। पूर्वानुमान है कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में प्रति वर्ष 43 मिलियन एकड़ भूमि के सीमा-क्षेत्र तक लक्ष्य पहुंच जाएगा। चौथी योजना के तीसरे वर्ष में प्रति वर्ष 210 मिलियन एकड़ भूमि के सीमा क्षेत्र तक पहुंचने का लक्ष्य है और यह लक्ष्य चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों तक बनाये रखना होगा।

फार्म मूल्य

1568. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में वर्तमान फार्म मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1950, 1955 तथा 1960 में ये क्रमश: कैसे थे ?

कृषि उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग) : इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना कठिन है क्योंकि बहुत से देशों में फार्म के तुलनात्मक मूल्य प्रकाशित ही नहीं किये जाते और फिर भारत के फार्म मूल्य कुछ देशों से कम और कुछ देशों से ज्यादा हैं। कुछ महत्वपूर्ण देशों के फार्म मूल्यों का तुलनात्मक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5168/65 ।]**

राष्ट्रीय सहकारी बैंक

1569. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय कर लिये जाने की संभावना है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : सहकारिता सम्बन्धी रामनिवास मिर्धा समिति ने राष्ट्रीय सहकारी बैंक स्थापित करने की सिफारिश की है, जो कि देश में सहकारी वित्त ढांचे की शीर्ष संस्था होगी। सहकारिता के राज्य मंत्रियों के 3 व 4 नवम्बर, 1965 को हुए सम्मेलन, जिसने मिर्धा समिति की सिफारिशों पर विचार किया, सिफारिश की है कि अखिल भारतीय सहकारी बैंक संघ से कहा जाना चाहिये कि वह भारत के रिजर्व बैंक और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के परामर्श से इस प्रस्ताव पर विचार करे। उक्त अध्ययन के प्रकाश में इस मामले पर आगे और विचार किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश को उर्वरक ले जाने के लिए स्पेशल गाड़ीयां

1570. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों में उर्वरक की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये 50,000 टन उर्वरक ले जाने के लिए 50 स्पेशल गाड़ियों की तत्काल व्यवस्था करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करने के लिए अधिकारियों का एक दल भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) राज्य सरकार को अलाट हुए उर्वरकों के कोटे को कारखानों तथा बन्दरगाहों से विशेष गाड़ियों द्वारा ढोने के काम को गतिमान करने के विषय में कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों ने दिल्ली का दौरा किया था।

(ख) 55 विशेष गाड़ियों द्वारा बन्दरगाहों तथा कारखानों से उत्तर प्रदेश के चुने हुए स्थानों तक 46,000 मीटरी टन उर्वरक पहुंचाने के लिये ऐसे प्रबन्ध किये गये हैं जिससे कि राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के अनुसार कार्य सम्पन्न हो सके।

होटलों और रैस्टोरेंटों की मान्यता

1571. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 6 जून, 1962 को नियुक्त की गई होटल वर्गीकरण समिति को प्रस्तुत किये गये आवेदनपत्रों का पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त करने में विलम्ब होने के क्या कारण है;

(ख) होटलों और रेस्टोरेंटों को मान्यता देने के सम्बन्ध में कितने आवेदनपत्रों पर पुनर्विचार किया जाना शेष है;

(ग) क्या सरकार को उन आवेदन पत्रों पर पुनर्विचार करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिन्हें पहले होटल वर्गीकरण समिति ने नामंजूर कर दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) किफायत की आवश्यकता के कारण अभी तक समिति को स्थापित करना संभव नहीं हो सका है। फिर भी इस प्रश्न पर सक्रिय विचार किया जा रहा है।

(ख) 55 होटलों और 18 रेस्टो टों को मान्यता देने के आवेदन पत्रों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) होटल व र्गीकरण समिति द्वारा वर्गीकृत 54 होटलों ने उन्हें आवंटित किये तारा वर्गीकरण से असन्तोष प्रकट किया है और अपने वर्गीकरण के पुनर्विचार के लिये प्रतिवेदन भेजे हैं।

(घ) पुनर्विलोकन समिति के स्थापित हो जाने के बाद मान्यता या पुनवर्गीकरण के लिये होटलों और रेस्टोरेंटों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा।

उड़ीसा में नलकूप

1572. **श्री रामचन्द्र उलाका** :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1965 तक उड़ीसा में कुल कितने समन्वेषी (एक्सप्लोरेटरी) नलकूप खोदे गये थे; और

(ख) उनका (ज़िलावार) ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1958-59 से 30 सितम्बर, 1965 तक उड़ीसा में भू-जल समन्वेषण के दौरान समन्वेषी नलकूप संगठन ने कृषि विभाग (खाद्य तथा कृषि मंत्रालय) के अधीन 33 समन्वेषी वेध खुदवाये जिनमें से केवल 20 ने सन्तोषजनक ढंग से जल का निकास किया।

(ख) ब्यौरा निम्नलिखित है :-

क्रम संख्या	जिला	खोदे गये वेधों की संख्या	परित्यक्त तथा उसके कारण
1	बालासोर . . .	17	1 पर्याप्त जल की कमी के कारण ।
2	कटक . . .	3	
3	मयूर भंज . . .	8	8 पर्याप्त जल की कमी के कारण ।
4	पुरी . . .	5	4 3 पर्याप्त जल की कमी के कारण तथा 1 जल की खराब किस्म के कारण ।
	कुल	33	13

उड़ीसा में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण कोर्स

1573. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में उड़ीसा में अम्बर चर्खे के कितने प्रशिक्षण कोर्स चलाये गये ;

(ख) इनमें कितने प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया; और

(ग) इस अवधि में इस सम्बन्ध में कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

केरल में थोक डिपो

1574. **श्री वासुदेवन नायर ।**
श्री वारियर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में थोक राशन डिपो गैर-सरकारी व्यापारियों को दिये गये हैं हालांकि सरकार की घोषित नीति यह है कि इस मामले के सहकारी समितियों को अधिमान दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : थोक डिपो अलाट करते समय, केरल सरकार द्वारा सहकारी समितियों को तरजीह दी जाती है । प्राइवेट व्यापारी जहां पर वे कई वर्षों से उचित मूल्य की दुकानें कुशलतापूर्वक चलाते रहे हैं केवल वहां पर दुकाने चला रहे हैं ।

आदिम जातीय विकास खन्डों में सडकें

1575. **श्री ह० च० सोय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और मध्य प्रदेश में आदिर जातीय खण्ड, वहां पर मुख्यालय को बहुत बड़े क्षत्र के साथ सड़क द्वारा मिलाये बिना ही आरम्भ कर दिये गये हैं, जिसके परिणामस्वरुप आदिम जातीय लोगों और खण्ड पदाधिकारियों को आपसी सम्पर्क स्थापित करने में अत्यन्त कठिनाई होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खण्डों में, जिनमें आदिम जातीय खण्ड भी शामिल है; सड़कों के निर्माण में सरकार का अंशदान केवल 25 प्रतिशत रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क विकास के लिये धन का पूरा पूरा उपयोग नही हो रहा ; और

(ग) यदि हां, सरकार का अंशदान बढाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

खादी की बिक्री

1576. **श्री लखमू भवानी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 22 अक्तूबर, 1965 से आरम्भ होने वाली विशेष छूट अवधि में देश के खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्रो में खादी की कितनी बिक्री हुई है ;

(ख) क्या खादी का तमाम फालतू स्टाक बिक गया है; और

(ग) इस बिक्री से सरकार को कुल कितना लाभ हुआ है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 2 अक्तूबर, 1965 से गांधी जयन्ती के उपलक्ष में आरम्भ होने वाली विशेष छूट अवधि में सीधे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा चलाये जा रहे कलकत्ता, दिल्ली, भोपाल, मद्रास, बंगलूर और गौआ के खादी भवनों द्वारा 22.02 लाख रुपये के मूल्य की सूती खादी बेची गई थी।

अन्य खादी भण्डारों द्वारा की गई बिक्री के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) सूचना एकत्रित की जायेगी और यथा समय सभा-पटल पर रखदी जायेगी ।

(ग) इन बिक्रियों से लाभ होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मुनाफा कमाने के उद्देश्य से मूल्य निर्धारित नही किये जाते ।

सिंचाई के लिये पानी

1577. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **खाद तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष दक्षिण भारत में पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर मानसून पवनों के न आने के कारण, अधिक अन्न उपजाने के उद्देश्य से, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत पानी कम खर्च करने तथा भूमिगत पानी को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उन्होंने इस मामले में दक्षिण भारत के राज्यों के साथ बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) मानसून पवनों के न होने के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके विषय में सर्वप्रथम सप्लाई का जो नहरी प्रणाली में प्राप्त है और उस ढंग का जिसमें सप्लाई का कृषि के अधिकाधिक उत्पादन लाभ के लिये प्रयोग किया जा सके एक गम्भीर मूल्यांकन किया है। इस अनुमान के आधार पर रबी खेती के लिए क्रापिंग का निर्णय किया गया है। इस सम्बन्ध में अन्य कदम उठाये जा रहे हैं :—

(1) यथा सम्भव तरीके से उपलब्ध जल सप्लाई की व्यवस्था इस कार्य के लिए कृषि विभाग के परामर्श से सप्लाई के परिक्रमण का विस्तृत कार्यक्रम बनाना और किसानों की भलाई के लिए इस कार्यक्रम का प्रचार करना।

(2) हैडवर्क और वितरण पद्धतियों में जल के अपव्यय को रोकना।

(3) सिचाई को सरल बनाने के लिए जहां ज़रूरत हो वहां अस्थायी निकास उपलब्ध करना।

(4) सारे मौसम के दौरान सभी निकासों पर जल के कम खर्च तथा सप्लाई उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के सिंचाई तथा कृषि विभागों के अधिकारियों के दौरों का प्रबन्ध करना।

(5) उपलब्ध सिंचाई जल को उचित रूप से प्रयोग करने के लिए खेतों को एक सार करने के सम्बन्ध में किसानों को जानकारी देना।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे राशनल क्रोपिंग नमुनों को अपना कर अधिक क्षत्र में फसल उगाने के उपाय करें। इसके लिए सिंचाई जल संसाधनों का प्रयोग करें विशेषतया उन क्षत्रों में जहां बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा नये सिंचाई साधन उपलब्ध किये गये हैं और उन क्षेत्रों में भी जहां लघु सिंचाई कार्य किये गये हैं।

पूरक सिंचाई देने के लिए तकनीकी मितव्यय तथा संगठनात्मक दृष्टि से लघु सिंचाई कार्यक्रम का आलोचनात्मक अवलोकन किया गया है। बड़े माध्यम सिंचाई परियोजनाओं और अन्य क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन के लिए सब भूमि जल के नल लगाने हेतू कूए तथा नलकूपों के शीघ्र निर्माण के लिए उपाय किये गये हैं। मौजूदा कूओं को गहरा कर के सुधारने को प्राथमिकता दी गई है। राज्यों को कहा गया है कि वे पम्प सैट चलायें और नदियों से पानी उठाने का प्रबन्ध करें।

लघु सिंचाई की योजनाओं को जिनमें कूओं का निर्माण, कूओं को गहरा और उनकी मरम्मत करना, डीजल इंजन तथा बिजली के पम्प सैट लगाना, लिफ्ट सिंचाई योजनाएं आदि शामिल है तीव्र करने के लिए राज्य सरकारों को और अतिरिक्त राशि निर्धारित करने पर सरकार विचार कर रही है।

पम्प सेटों और नलकूपों के विद्युत्तिकरण के क्षेत्र में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। राज्य बिजली बोर्डों को अतिरिक्त धन दिया जा रहा है ताकि वे उन क्षेत्रों में जहां नलकप तथा पम्प सैट योजनाओं के लिए काफी गुंजाइश है पावर लाइनों का विस्तार कर सकें।

(ख) तथा (ग) : इस मामले पर दक्षिणी राज्यों से बातचीत की गई थी और उन्होंने स्वीकार किया है कि वे सब सम्भव कदम उठायेंगे।

भू-संरक्षण कार्यक्रम

1578. श्री लिंग रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यों में भू-संरक्षण योजनाओं के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ;

(ख) राज्यों द्वारा कितनी धनाराशि खर्च की गई है तथा कम राशि खर्च होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में भू-संरक्षण कार्यक्रम को क्या स्थान दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : भू-संरक्षण की राज्य प्लान योजानाओं के सम्बन्ध में 57.30 करोड़ रुपये के योजना खर्च में से तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भग 64.02 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की सम्भावना है ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में भू-संरक्षण प्राथमिकता कार्यक्रमों में से एक होगा ।

मालाबार क्षेत्र में खेती :

1579. श्री अ० व० राघवन :

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के मालाबार क्षेत्र के उन किसानों की, जिनकी भूमि का अब तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, कठिनाइयों का पता है ;

(ख) क्या उन्हें कृषि विकास के लिए सहायता तथा अन्य सुविधायें इस कारण नहीं दी गई हैं कि उनकी भूमि का सर्वेक्षण नहीं वित्तीय किया गया है;

(ग) क्या सरकार उन भूमिकों से कृषि आयकर, बागान कर तथा अन्य कर वसूल करती है; और

(घ) जिन किसानों की भमियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, उनकी सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नेफा (उपूसी) भू संरक्षण तथा लघु सिंचाई योजनायें

1580. श्री रिशांग किशिंग : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा (उपूसी) में भू-संरक्षण तथा लघु सिंचाई योजनाओं के लिए तीसरी पंच-वर्षीय योजना में कितनी राशि नियत की गई थी ;

(ख) तीसरी योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये ;

(ग) ये लक्ष्य कितने पुरे हुए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या मुख्य योजनायें आरम्भ की हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : पूछी हुई जानकारी निम्नलिखित है :—

	भूमि संरक्षण योजनायें	लघु सिंचाई योजनायें
(क)	4.00 लाख रुपये	4.96 लाख रुपये
(ख)	550 एकड़	5,000 एकड़

(ग)	324 एकड़ (पूर्वानुमान)	5,810 एकड़ (पूर्वानुमान)
(घ)	1 भूमि विकास तथा सुधार 2 झूम तथा भूमि संरक्षण पर कृषि शास्त्र संबन्धी अनुसन्धान	कहल कहलाने वाली छोटी व्यपवर्तन नहरों का निर्माण

नेफा (उपूसी) में सहकारी बस संस्थाये

1581. **श्री रिशांग किशींग :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा (उपूसी) में कितनी सहकारी बस समितियां तथा संघ बस चला रहे हैं;

(ख) किन-किन स्थानों पर ये संस्थाये बसें चला रही हैं; और

(ग) क्या ये संस्थायें सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही हैं?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना नेफा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और जैसे ही वह प्राप्त होगी, सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायगी।

मध्य प्रदेश में बनाई गई खादी

1582. **श्री लखमू भवानी :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 और 1965-66 में अब तक, मध्य प्रदेश में कितनी खादी बनाई गई; और

(ख) उक्त अवधि में बनाई गई खादी का अनुमानित मूल्य क्या है?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) :

(क)

वर्ष	उत्पादित खादी (वर्ग मीटर लाखो मे)
1964-65	5.41
1965-66 (30-9-1965 तक)	0.85 (अभी तक प्राप्त हुई रिपोर्टो के अनुसार)

(ख)

वर्ष	उत्पादित खादी का मूल्य (रुपये लाखो में)
1964-65	27.20
1965-66 (30-9-1965 तक)	3.02 (अभी तक प्राप्त हुई रिपोर्टो के अनुसार)

इंडियन एअर लाइन्स कारपोरेशन के लिए व्योम बालायें (एअर होस्टेस)

1583. **श्री लखमू भवानी :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में दुसरे देशों की लड़कियों को व्योम बालाओं (एयर होस्टेस) के रूप में नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ये व्योम बालायें किन-किन देशों से नियुक्त की जायेंगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

जापान से वातानुकूलित बसें

1584. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का जापान से वातानुकूलित बसों का आयात करने का विचार है;

(ख) क्या कुछ जापानी फर्मों के साथ इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी बसों का आयात किया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी नहीं, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता है।

Vehicles Registration and permanent driving licences forms

1585. Shri Daljit Singh : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that vehicles, scooters registration forms and permanent driving licences which are required to be preserved for the life are issued on a sheet of very rough and ordinary paper in Delhi;

(b) whether it is also a fact that these documents are spoiled in less than a year and are replaced against certain fee;

(c) if so, the reasons for charging the fee to replace the documents which are spoilt due to rough and ordinary paper and not any negligence on the part of the holder; and

(d) whether Government propose to issue these documents in book form and if not, the reasons therefor ?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (d). These documents are generally issued in proper book forms. In some cases, however, on account of non-availability of printed forms, ordinary paper is used. Steps are being taken to obtain adequate supplies of printed forms from the Manager, Government of India Forme Stores.

No fee is charged for Supply of duplicate copies of the documents, issued on ordinary paper, if the cause of the damage is not attributable to the holder's fault.

Joy Flights in Delhi

1586. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that people in Delhi are taken for Joy flights around whole of Delhi at a fixed fare of Rs. 15 per head;

(b) whether young children are also charged the same fare;

(c) whether it is also a fact that the said joy flights are not arranged at fixed timings;

(d) whether there is a proposal to reduce the fare and make this service more popular and convenient so that every body could enjoy this; and

(e) if so, the steps being taken in that direction?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) to (c). There is no regular arrangement of Joy Flights in Delhi. However B. K. Airviews of Calcutta Chartered a Dakota from Indian Airlines Corporation for Joy Flights. It is known that the company has charged Fifteen Rupees for an adult/child and also charged Rs. Two extra for baby.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Indore Airport

1587. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 709 on the 16th November, 1965, and state :

(a) the reasons for which the improvement of runway at Indore Airport has not been completed;

(b) whether it is a fact that an air service from Indore to other cities was being operated previously ;

(c) if so, the reasons for which it was discontinued; and

(d) whether business men and industrial concerns of that area have demanded resumption of the said service and if so, the Government's decision thereon?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Work on the construction of a new runway at Indore is already in progress. By the end of October, 1965, about 67% of the work had been completed. The entire work is scheduled to be completed by the end of January, 1966.

(b) and (c). Yes, Sir. The air service which was operating to Indore on the route Bombay-Aurangabad-Indore was discontinued on 9th September, 1954 as the airfield was closed for repairs.

(d) Yes, Sir. It has been agreed to give a subisdy from the Civil Aviation Development Fund for Indore-Bhopal sector and the Corporation is planning to extend the Bombay-Indore service to Bhopal when the service is resumed, after the airfield is made serviceable.

मद्रास बंदरगाह

1588. डा० श्रीनिवासन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैल ठेलों के धीरे-धीरे हटा लिये जाने के कारण मद्रास बन्दरगाह में बहुत माल जमा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जमा माल को ढोने के लिये बैल ठेलों को पुन: चालू करने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और समय पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

किसानों को ऋण

1589. श्री उमानाथ : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के एक पिछड़े हुए क्षेत्र पुडूकोट्टाई डिवीजन में सिंचाई के कुएं खोदने के लिये किसानों को ऋण देने की शर्तों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनरीक्षित योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस क्षत्र में सिंचाई के कुओं के लिए ऋण देने की मूल योजनाओं की शर्तों में किन कारणों से संशोधन करने का विचार किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार ने प्रस्तावित पुनरीक्षित योजनाओं का अनुमोदन कर दिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कोई ऐसा प्रस्ताव खाद्य और कृषि मंत्रालय के विचाराधीन नहीं हैं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICES (Query)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं; इस विशेष ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में नहीं । बहुत सी ध्यान दिलाने वाली सूचनायें अभी विचाराधीन हैं और इस सत्र के समाप्त होने में केवल सात-आठ दिन रह गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई चीज मेरे विचाराधीन नहीं है । बात यह है कि समय थोड़ा रह गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्यों कि नियम यह है कि एक दिन में एक ही ध्यान दिलाने वाली सूचना सभा में ली जा सकती है इसलिये इसका परिणाम यह होता है कि बहुत सी महत्वपूर्ण ध्यान दिलाने वाली सूचनायें अस्वीकार की जा सकती हैं । इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सत्र की शेष अवधि में एक दिन में दो ध्यान दिलाने वाली सूचनायें लेने की कृपा करें ।

अध्यक्ष महोदय : कल सभा की राय ले ली गयी थी और अब आगे से एक ध्यान दिलाने वाली सूचना सभा में ली जाया करेगी और दूसरी सूचना का उत्तर या विवरण सभा पटल पर रख दिया जाया करेगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : If it is so, will not we get the answer to our Call Attention Notice regarding Lignite Corporation, Hei Valley.

Mr. Speaker : Two will be taken up. The answer of one will be given and the answer in regard to the other will be placed on the Table of the House.

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर सिक्किम तथा नेफा में चीनियोंका अनाहूत प्रवेश

श्री लिंग रेड्डी (चिकबालपुर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दे :

"24 नवम्बर, 1965 को उत्तर सिक्किम में और 27 नवम्बर, 1965 को नेफा में चीनियों का कथित अनाहूत प्रवेश ।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 24 नवम्बर को दोपहर के 12 बजकर 15 मिनट पर 40 सशस्त्र चीनी सिपाही बोम चो के पश्चिमोत्तर में सिक्किम क्षेत्र में लगभग 1,500 गज घुस आये। उस क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात भारतीय गश्ती टुकड़ी ने चीनी सिपाहियों को चेतावनी दी और कहा कि वे वापिस चले जायें। जब चीनी सिपाहियों ने उस चेतावनी की परवाह न की और हमारी गश्ती टुकड़ी की ओर बढ़ते आये, तो भारतीय सिपाहियों ने अपनी रक्षा के लिये गोली चलाई। इस पर चीनी सिपाही सिक्किम-तिब्बत सीमा से पीछे हट गये।

उसी दिन चीनियों ने नेफा में दोमला दर्रे के समीप वाली सीमा के दक्षिण में भारतीय राज्यक्षेत्र में आसाम राइफल्स के तीन व्यक्तियों की भारतीय गश्ती टुकड़ी पर, जो पहले की तरह उस दिन भी भारतीय राज्यक्षेत्र में गश्त लगा रही थीं, प्रहार कर उनका अपहरण करके उन्हें जान से मार दिया। प्रहार करने वाले चीनी सैनिक उनके शवों को सीमा के पार ले गये। बाद में इस घटना की चीनीयों ने दूसरी ही कहानी रच दी। उनके अनुसार भारतीय सिपाहियों ने उनके राज्यक्षेत्र में अनाहूत प्रवेश कर उनकी असैनिक सुरक्षा चौकियों के सिपाहियों पर गोली चलाई थी। इस घटना की चीनियों की कहानी गलत है। पहली बात तो यह है कि तीन व्यक्तियों की भारतीय टुकड़ी को केवल दोमला दर्रे का ही पता था और वह गलती से सीमा पार करके चीनियों के राज्यक्षेत्र में नहीं जा सकती थी। दूसरी बात यह है कि यदि भारतीय सिपाहियों ने प्रहार करना भी होता तो वे इतनी कम संख्या में कभी न करते।

27 नवम्बर को चीनियों ने भारतीय राज्यक्षेत्र में नेफा के सियांग जिले में गिलिंग के समीप गश्ती कर रही असनिक पुलिस पार्टी पर गोली चलाई थी जिसके परिणामस्व रूप एक भारतीय सिपाही को चोटें आईं।

इस सब घटनाओं के बारे में चीनियों को विरोधपत्र भेज दिये गये हैं। इस अवधि के दौरान चीनियों ने दोमला के निकट मारे गये भारतीय सिपाहियों के शव वापिस कर दिये हैं।

चीनियों ने अगस्त/सितम्बर से पाकिस्तान से कपट सन्धि कर के हमारी उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण करने की नीति अपना रखी है। इस वर्ष 15 सितम्बर से लेकर उन्होंने 33 बार सीमा अथवा वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया है। उन्होंने सीमा के साथ साथ सेना की संख्या में वृद्धि कर दी है। सीमा पर चीनियों की गतिविधियों के बारे में सभा को पूरी जानकारी दी जा चुकी है। चाहे हमें यह पसन्द हो या न, हमें अपनी सीमाओं पर चीनियों के होते हुए भी रहना पड़ेगा और हम उनकी चुनौती को जहां तक सम्भव होगा स्वीकार करेंगे। हमारी सुरक्षा सेनाओं ने बहुत बार चीनी आक्रमकों को भारतीय राज्यक्षेत्र से निकाल भगाया है और गोली का जवाब गोली में दिया है। चीनी सिपाही मारे भी गये हैं। हमने चीन की धमकी का उचित तरीके से उत्तर देने के लिये कार्यवाही कर ली है जो परिस्थितियों और आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।

श्री लिंग रेड्डी (चिकबालपुर) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी बार बार आक्रमण करते रहते हैं और उनको विरोध करने से कोई असर नही होता क्या यह हमारे लिये आवश्यक नहीं है कि हम कोई और उपाय करें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम केवल मौखिक विरोध ही नहीं कर रहे हैं और भी बहुत कुछ कर रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : May I know why the dead bodies of chinese are not shown here just as they return the dead bodies to us ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनकी लाशें हमारे पास नहीं हैं । हाल ही में हमने एक चीनी सिपाही को पकड़ा है और वह हमारे पास है ।

Shri Madhu Limaye : I have read the Statements of Air Marshal Arjun Singh and General Manik Sah wherein it is stated that we have become very strong militarily and that is why China is afraid of us. In this connection I want to submit that China has attacked four times in Sikkim and twice in Nefa only in the month of November. In the Ladakh area they have even occupied our territory. May I, therefore, know as to what Government is going to do against all this or they will continue to follow the weak-head policy as usual.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने इस मामले में ढीली नीति नहीं अपना रखी है । जब भी कोई बात हुई है हमने उस पर कड़ी कार्रवाई की है । यह बात भी गलत है कि उन्होंने हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया है । वे दौलत बेग ओलदी की तरफ कुछ आगे बढ़े हैं ।

Shri Madhu Limaye : In this way we have lost twelve thousand miles of our territory.

Shri Y. B. Chavan : That is your information.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : What is your information?

Shri Y. B. Chavan : I have already stated.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले हैं कि तिब्बत में चीनियों की इतनी सेना जमा है जितनी भारत की सारी सेना है । इसलिये यदि चीनी भारत पर आक्रमण कर दे तो कौन से मित्र देशों ने तुरन्त भारी मात्रा में हमारी सहायता करने का वचन दिया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है मैं उससे पूर्णतया सहमत नहीं हूं । मैं इस बात से उनसे सहमत हूं कि उन्होंने सीमा पर और सेना बढ़ा दी है । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी संख्या भारत की सेना के बराबर है । कुछ माननीय सदस्यों ने उस क्षेत्र के सेनाध्यक्ष के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए भी कहा है कि उनकी संख्या काफी है । इसमें सन्देह नहीं कि यह एक गम्भीर समस्या है पर हमें इससे घबड़ाना नहीं चाहिये । इस तरह घबड़ाने से हमारे लोगों का मनोबल गिर सकता है ।

श्री हरि विष्णु कामत : हमें यथार्थवादी होना चाहिये । उन्होंने मेरे प्रश्न को भ ली प्रकार नहीं समझा है । मेरे कहने का अभिप्राय लोगों के मनोबल को गिराना नहीं था । मेरे कहने का अभिप्राय तो यह था कि यथार्थता को देखते हुए हमें उसके लिये तैयार रहना चाहिये । उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम चीन के साथ लड़ने के लिये हमेशा तैयार हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह पहले भी कह चुका हूं और अब फिर कहता हूं । यह खतरा हमारे लिये एक दिन का खतरा नहीं है यह हमेशा के लिये है ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं यह महसूस करता हूं कि यदि भारत और चीन के बीच अन्तस्थ राज्य तिब्बत होता तो सीमा के झगड़े न होते । परन्तु अब जैसी स्थिति है इसको देखते हुए सरकार चीनियों से बचने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बता दिया है कि हम इस बारे में क्या कर रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : चीनी अन्तर्राष्ट्रीय रेखा को भी नहीं मानते। वे मानव गौरव का आदर भी नहीं करते। इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे शत्रु से बचने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य की सभी बातों से सहमत हूं। परन्तु केवल यही कह सकता हूं कि हमें उनसे गम्भीर खतरा है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिये हमने हर संभव प्रयत्न किया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि हमारी अपनी सेना ने सरकार को बताया है कि चीनी अब तो छोटे छोटे आक्रमण कर रहे हैं और बाद में बड़ा आक्रमण करेंगे ? क्या यह सच है कि हमें खतरा है कि चीनी मार्च 1966 तक चुम्बी वैली और नेफा की तरफ से बड़ा आक्रमण करेंगे ? क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य तो ऐसी जानकारी की बात कर रहे हैं जैसी किसी ज्योतिषी ने दी हो। यह जरूरी नहीं है कि वे मार्च में आक्रमण करेंगे, वे कभी भी आक्रमण कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह पूछना चाहता था कि क्या सरकार को ऐसी जानकारी गुप्त वार्ता विभाग से मिली है। यदि ऐसी जानकारी सरकार के पास नहीं है तो वे स्पष्ट कह सकते हैं कि यह जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सब कुछ नहीं बता सकता। हम तो यह कहते हैं कि वे किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं।

श्री दाजी (इन्दौर) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारी सीमाओं पर चीनियों का खतरा सदा के लिये बना हुआ है और हर बार आक्रमण करके चीनी यह कह देते हैं कि हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया है और इसलिये अपने बचाव के लिये हमने गोली चलाई है क्या भारत सरकार ऐसा करने के लिये विचार नहीं कर रही है कि जब वे आक्रमण करें तो हम उन पर गोली न चला कर उन्हें पकड़ लें और विश्व को यह दिखा दें कि आक्रमण करने वाले चीनी हैं हम नहीं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऐसा तो तब हो सकता है यदि कोई बात गलती से हो जाती हो परन्तु वे तो यह सब कुछ जानबुझ कर कर रहे हैं।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : 1962 में चीन ने कामेंग डिवीजन में आक्रमण किया था। उसके बाद उन्होंने सियांग डिवीजन में आक्रमण किया। क्या सरकार यह समझती है कि वे सियांग डिवीजन में ही आक्रमण करना चाहते हैं या नये स्थानों पर भी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बात गलत है कि उन्होंने केवल सियांग डिवीजन में ही आक्रमण करने की कोशिश की है। वे सीमा के सभी ओर आक्रमण करते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : The President in his address on 2nd July at Mettur had said :

"It is essential for us to come to terms with our neighbours—China and Pakistan—terms with honour and dignity..... We are now spending a great deal of money, on military expenditure—nearly Rs. 900 crores"

In this connection, may I ask that hon. Minister whether these are not paradoxical things?

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमदे) : क्या राष्ट्रपति के वक्तव्य के बारे में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रश्न पूछने में कोई हानि नहीं है । सरकार कह सकती है कि यह उनका वक्तव्य था परन्तु वे उनसे सहमत नहीं हैं । यदि वे सहमत हों तो वे ऐसा कह सकते हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हमारे प्रयत्नों में कोई ढील नहीं हुई है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : अध्यक्ष महोदय, मैं मजूरी भुगतान अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(एक) मजूरी भुगतान (रेलवे) दूसरा संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 13 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 3513 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) मजूरी भुगतान (खान) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 13 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 3514 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5257/65 ।]**

विशाखापट्टणम पत्तन न्यास के वार्षिक लेखे

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मुख्य-पत्तन-न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत विशाखापट्टणम पत्तन न्यास के वर्ष 1963-64 के वार्षिक लेखे और उन पर परीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5258/65 ।]**

केरल राज्य भांडागार निगम का वार्षिक प्रतिवेदन और चीनी जांच आयोग का प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उप-धारा (11) के अन्तर्गत केरल राज्य भाण्डागारण निगम के वर्ष 1964-65 के वार्षिक-प्रतिवेदन की एक प्रति, वार्षिक लेखे तथा उन पर परीक्षा प्रतिवेदन । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5259/65 ।]**

(2) चीनी जांच आयोग 1965 के प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5260/65 ।]**

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जहां तक मद 5 का सम्बन्ध है, मैं चीनी जांच आयोग, 1965 के प्रतिवेदन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई है कि चीनी की कीमत कम कर दी जाये। क्योंकि हमें उस प्रतिवेदन पर चर्चा करने का समय नहीं मिल रहा है इसलिये हम मंत्री महोदय से आश्वासन चाहते हैं कि चीनी की कीमत कम नहीं की जायेगी ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हमने पहले ही घोषणा कर दी हुई है कि चालू वर्ष में कीमत कम नहीं की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्तावों को लेंगे ।

नियम 388 के अन्तर्गत भारत द्वारा राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने सम्बन्धी संकल्प के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION UNDER RULE 388 RE : RESOLUTION ON INDIA QUITTING THE COMMONWEALTH—*Contd.*

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : कुछ दिन पहले मैं नियम 388 के वास्तविक क्षेत्र के बारे में कह रहा था। इस नियम का क्षेत्र बहुत बड़ा है क्योंकि इस नियम की धारा "सभा के समक्ष एक विशिष्ट प्रस्ताव" से तात्पर्य एक विशिष्ट दिन की कार्यसूचि में दी गई मद से ही नहीं है। यदि कोई विधेयक या संकल्प सभा में पुर:स्थापित किया गया है और उस पर पूर्ण रूप से निर्णय नहीं लिया गया है तो हमें यह समझ लेना चाहिये कि विधेयक सभा के समक्ष है ।

इस बारे में मैं आपका ध्यान कार्य-सूचि से संबंधित नियम 31 की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम 31(1) में कहा गया है :

"सचिव प्रत्येक दिन के लिये एक कार्य-सूचि तैयार करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपबन्ध की जायेगी ।"

उप-नियम 2 में कहा गया है :—

"इन नियमों से अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड कर अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठकमें कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जो उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित न हो ।"

यदि इस नियम बनाने वालों की मंशा इस धारा का संकुचित प्रयोग करने की होती तो वे इसमें भी वही शब्द लिखते जो उन्होंने नियम 31 में लिखे थे ।

दूसरे में आपका ध्यान नियम 376 की ओर दिलाना चाहता हूं। नियम 376, उप-नियम (2)में कहा गया है :—

"औचित्य-प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा ।"

नियम 376, उप-नियम (2) में दिये गये शब्द "तत्समय" नियम 388 में नहीं दिये गये हैं ।

इन तीनों नियमों को पढ़ने से पता चलता है कि नियम 388 का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यदि इस बात को स्वीकार कर लिया जाये कि नियम 388 का क्षेत्र बड़ा है तो यह बात आप के क्षेत्राधिकार में रहेगी। इसलिये इस प्रश्न पर आप ही विचार कर सकते हैं कि आपने नियम 30(2) को निलम्बित करना है अथवा सारे नियम 30 को ।

श्री आजाद का संकल्प निश्चय ही नियम 30 (2) के अन्तर्गत आता है। इसका कारण यह है कि यह अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया था। इससे यह होता है कि उस के लिये पुनः सूचना देनी होती है और उसके बाद उसके लिये शलाका की जाती है। इसलिये यदि आपको सूचना मिल गई होती और यदि शलाका में उनका संकल्प अन्त में होता और यदि उन द्वारा आवेदन पत्र दे दिया गया होता तब उस पर आपके लिये निर्णय करना आसान था। परन्तु इस मामले में सूचना नहीं दी गई है। इसलिये इस पर आप अपने विवेक से निर्णय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा यह निश्चय कर लेती है कि उसके समक्ष कोई प्रस्ताव अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिये जाये तो क्या वह मद उस दिन की कार्य-सूचि से निकल जायेगी या रहेगी ?

श्री जगन्नाथ राव : यह सभा के समक्ष रहेगी ; उस दिन के लिये नहीं। नियम 31 में प्रतिदिन के कार्य का उल्लेख किया हुआ है। यह मद सभा के समक्ष रहेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Since a new question has been raised, I would also like to submit that the other day when the motion was passed, the discussion on this matter was not adjourned *sine die*. Because if it had been adjourned *sine die*, it would have been deemed to be rejected by the House. But it was not the case. So the discussion had simply been adjourned. As regards whether this matter is before the House, I would say that it is before the House. It is however not on the Order Paper as stated out by the Deputy Minister of Law. The discussion on the resolution can, therefore, be resumed by suspending Rule No. 30.

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : अगले दिन जब सभा में मतदान हुआ था तो इस मामले पर वाद-विवाद अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दिया गया था और यदि यह सही है, तो फिर नियम 30(2) इस मामले पर लागू होता है।

चूंकि यह मामला अब सभा के समक्ष नहीं है अतः उसे अग्रेतर चर्चा के लिये तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसे शलाका में प्राथमिकता प्राप्त नहीं हो जाती। यह बात नियम 30(2) में बिल्कुल स्पष्ट है। अतः मैं अपने माननीय मित्र, श्री कामथ के इस कथन से सहमत हूं कि सभा के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिस पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित किया जा सके।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने इस स्थिति को मान लिया है कि वाद-विवाद अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किया गया था। अब यदि नियम 388 की भाषा की तुलना नियम 336 की भाषा से की जाये तो पता चलेगा कि नियम 336 में "सभा में लम्बित" शब्दों का प्रयोग किया गया है परन्तु नियम 388 में "सभा के समक्ष" शब्दों का प्रयोग किया गया है। नियम 388 के अन्तर्गत किसी नियम को निलम्बित करने का अर्थ यह होगा कि सभा के समक्ष कार्य अर्थात् जो कि कार्य-सूची में है उस पर तुरन्त विचार किया जाये। परन्तु यह मामला न ही सभा के विचाराधीन है और न ही कार्य-सूची में है। "सभा में लम्बित" मामले और "सभा के समक्ष" मामले में तो काफी अन्तर है। अतः इस मामले में नियम 388 लागू नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 30 के 2 उपखण्ड है एक 30(1) तथा दूसरा 30(2)। पहली आपत्ति यह की गई है कि कार्य-सूची में नियम 388 के अन्तर्गत नियम 30(2) को निलम्बित करने का प्रस्ताव तो है परन्तु उसमें नियम 30(1) को निलम्बित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है और जब तक कि एक अलग पूर्वसूचना न दी जाये यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। परन्तु यदि मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति दे दूं तो इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। चूंकि सभा की सामान्य इच्छा है कि ऐसा करने की अनुमति दे दी जाये, अतः मैं ऐसा करने की अनुमति देता हूं। जहां तक अब इन दोनों

[अध्यक्ष महोदय]

प्रस्तावों का सम्बन्ध है, मैं समझूंगा कि यह दोनों प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं—एक श्री द्वा० ना० तिवारी द्वारा तथा दूसरा श्री म० ला० द्विवेदी द्वारा—और दोनों अब सभा के समक्ष हैं।

जहां तक इस विशेष मामले का सम्बन्ध है, इस पर नियम 30(1) लागू नहीं होता क्योंकि यह नियम उसी अवस्था में लागू होता है जब प्रस्ताव पर चर्चा अगले नियत दिन तक के लिये स्थगित की गई हो। चूंकि इस मामले में अगले नियत दिन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है अतः इस पर केवल नियम 30 (2) लागू होता है जैसा कि विधि मंत्री ने कहा है। अब प्रश्न यह है कि क्या इस नियम को नियम 388 के अन्तर्गत निलम्बित किया जा सकता है। नियम 388 में यह व्यवस्था है कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित किया जा सकेगा। अब निर्णय केवल इस बात का करना है कि क्या राष्ट्र मंडल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने के बारे में संकल्प उस समय सभा के समक्ष था जब पिछली बार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

"सभा के समक्ष कार्य" शब्दों का प्रयोग औचित्य प्रश्न से सम्बन्धित नियम 376 के उप-खण्ड (2) में तथा इस नियम के परन्तुक में किया गया है। इस से स्पष्ट है कि कार्य तीन प्रकार का होता है। एक यह कि तत्समय सभा के समक्ष कार्य, दूसरा यह कि दिन के लिये सभा के समक्ष कार्य तथा तीसरा वह कार्य जो सभा में लम्बित है परन्तु सभा के समक्ष नहीं है। कई प्रस्ताव हैं जिनकी पूर्व-सूचना दी गई है और कई ऐसे विधेयक है जो सभा में लम्बित है अर्थात् अनिर्णित पडे हुए है, ये ऐसे ही पडे रहेंगे परन्तु ये सभा के समक्ष बिल्कुल नहीं है। मेरे विचार में नियम 388 के अन्तर्गत संल्कप सभा के समक्ष नहीं है अतः इस पर अब पुनः **विचार नहीं किया जा सकता है।**

बलूरघाट के लिये रेलवे लाइन के बारे में याचिका
PETITION RE : RAILWAY CONNECTION FOR BALURGHAT

श्री च० कां० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं बलूरघाट के लिये रेल सम्पर्क के बारे में पश्चिमी बंगाल के ज़िला पश्चिमी दिनाजपुर में बलूरघाट सब-डिवीज़न के 7,640 याचिकादात्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं जिसके लिये वे तब से आग्रह करते रहे हैं जब देश के विभाजन के फलस्वरूप इस ज़िला का विभाजन हुआ था।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न
POINT RE : BANARAS HINDU UNIVERSITY

अध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया ने मुझे पहले भी कई बातों के बारे में लिखा था और अब भी लिखा है। वह चाहते क्या हैं ?

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, My point is a very simple one, whether the name of the university in Banaras is *Kashi Vishwavidyalaya* or Banaras Hindu University. A good deal of misapprehension has been created by what has been stated here by Shri Raghunath Singh and the stand taken by the Prime Minister. The name of this University in Hindu has always been *Kashi Vishwavidyalaya.*

Mr. Speaker : This matter could be discussed when the Bill would be taken up again. If any misapprehension has been created it would be removed then. This business is not before the House at this moment.

Dr. Ram Manohar Lohia : You have noticed, Sir, that a sort of war is going on over this point.

Mr. Speaker : He should resume his seat and listen to me. A telegram was received by me in an unusual manner, which certainly he should never resort to. I mentioned it in the House that I had received a telegram from Dr. Lohia in which he had conveyed that the words *Kashi Vishwavidyalaya*'' has been inscribed on all the bricks of the University and there is no mention of the word "Hindu" in them. Shri Raghunath Singh had thereupon said in this House when discussion was going on, that he could prove this thing wrong, he had actually brought one brick. He wanted to raise that matter at that time but I did not allow him saying that that was not the right time to raise the matter. I had neither given any opinion nor made any statement. I simply said that his opinion was different than that of another hon. Member and this could be decided when the discussion would be resumed. If some misapprehension has been created, that would be removed when that business is taken up in the House again. He could raise this point when the discussion on that item of business is taken up in the House again.

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, the book which I have given to you, bear the stamp of *Kashi Vishwavidyalaya* even the foundation stone which had been laid by Pandit Madan Mohan Malviya in 1916, bear this very name. But now stone-throwing is going on, you should also take this into account.

Mr. Speaker : All these arguments are alright. But these could be advanced when discussion on this matter could be resumed.

Dr. Ram Manohar Lohia : Will Stone throwing and Stabbing go on like this till that time ?

Mr. Speaker : Can I stop that?

Dr. Ram Manohar Lohia : But you can make the Government to understand this thing that it should not raise such issues but when they have raised it why should they not follow it up.

Mr. Speaker : He should make the voters to understand this.

Dr. Ram Manohar Lohia : That is what I am saying. Shri Lal Bahadur Shastri will have to face the consequences.

Mr. Speaker : Order, Order.

केरल विनियोग (संख्या 5) विधेयक 1965
KERALA APPROPRIATION (NO. 5) BILL, 1965

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*Motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2 और 3, अनूसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*Motion was adopted.*

खण्ड 1, 2 और अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2 and 3 the schedule the enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*Motion was adopted.*

भारतीय नारियल समिति तथा भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : INDIAN COCOANUT COMMITTEE AND INDIAN CENTRAL OIL SEEDS COMMITTEE—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : दो घंटों में से एक घंटा तथा 45 मिनट पहले ही चर्चा की जा चुकी है। 15 मिनट शेष समय रहता है। श्री मणियंगाडन।

श्री मणियगाडान : (कोट्टयम) : इस बात को साभीने स्वीकार किया है कि वस्तु समितियां जिनको अब विघटित करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, अच्छा कार्य कर रहीं थीं। इन समितियों का विघटन इसलिये किया जा रहा है क्योंकि अनुसन्धान के बारे में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक वस्तु पर अलग अलग अनुसन्धान करने की बजाये एक ऐसा ढंग अपनाया जाये जिससे व्यापक रूप में तथा क्षेत्रीय आधार पर अनुसन्धान किया जा सके। मैं सिद्धान्त रूप से तो इसे स्वीकार करता हूं परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ वस्तुएं जैसे, नारियल, सुपारी, रबड़ तथा चाय ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और अनुसन्धान के मामले में भी इन पर इसी ढंग से विचार करना है। मैं यह नहीं कहता कि नारियल समिति द्वारा किये गये अनुसन्धान कार्य से सब रोग खत्म हो गये हैं, परन्तु इतना अवश्य है कि वे कुछ कार्य कर रही थीं। अब मेरी केवल यह इच्छा है कि अब नव विकसित ढंग से नारियल को वृक्षों के रोग विशेषतया जड़ और पत्तों के रोग दूर हो जायेंगे। मुझे इस ढंग के बारे में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु भय केवल इस बात का है कि नारियल तथा अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित विशिष्ट रोगों की ओर इतना ध्यान नहीं दिया जायेगा जितना कि पहले दिया जाता रहा है। इस पहल की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान करने के अतिरिक्त इस से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य निकाले गये निष्कर्षों से किसानों को अवगत करना है। परन्तु भारतीय कृषि अनुसंधान

परिषद इस स्थिति में नहीं है कि वह अनुसन्धानों के परिणामों को किसानों तक पहुंचाये। पहले ऐसा नारियल समिति द्वारा विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से किया जाता रहा है। इस प्रयोजन के लिये नारियल समिति जैसे किसी अभिकरण का होना नितान्त आवश्यक है।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : नारियल समिति का क्या लाभ है? दिल्ली में एक नारियल 1.25 रुपये में मिलता है।

श्री मणियंगाडन : नारियल समिति थोड़े ही मूल्य को नीचे ले आयेगी।

केरल में 50 प्रतिशत से अधिक नारियल के वृक्ष किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। आधार पर प्रतिबन्ध लगाने से मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि इससे केवल विचौलिये ही लाभ उठा रहे हैं। केवल नारियल समिति जैसी कोई समिति ही इसका हल निकाल सकती है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : परन्तु इसने अभी तक किया तो कुछ नहीं।

श्री मणियंगाडन : यह सही है कि यह कुछ नहीं कर सकी है अथवा जितना इसे करना चाहिये था उतना नहीं कर सकी है। परन्तु इसमें सुधार किया जा सकता है। इसको विघटित करने का कोई कारण नहीं है। यदि किसानों को अच्छे बीज दिये जाये तो नारियल के पौधों का विकास किया जा सकता है। अनुसन्धान कार्य में सुधार किया जा सकता है। ये सब कार्य नारियल समिति द्वारा ही किये जा सकते हैं। इस बात का कुछ पता नहीं है कि प्रस्तावित विकास परिषद यह सब कुछ कर सकेगी अथवा नहीं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

जैसा कि मैंने पहले कहा है केरल में 50 प्रतिशत से अधिक नारियल के वृक्ष किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं। परन्तु इतना अनुसन्धान करने के पश्चात् भी इनका कोई उपचार नहीं ढूंढ निकाला गया। विशषज्ञों ने अब सुझाव दिया है कि उन में से अधिकांश पौधों को काट दिया जाय और उनके स्थान पर एक अधिक अच्छी किस्म के पौधे लगाये जायें। यदि ऐसा किया जाना है तो इस सम्बन्ध में छोटी जोतों वाले किसानों को कुछ सहायता देने की एक ऐसी योजना का चालू किया जाना बहुत आवश्यक है जैसा कि रबड़ बोर्ड द्वारा चालू की गई है। सरकार को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

अनुसन्धान के परिणामस्वरूप समिति और भी कई कार्य करती रही है। उदाहरणार्थ अच्छे बीजों का विकास करना तथा उनका वितरण करना, नारियल के पौधों के सम्बन्ध में उपयोगी साहित्य का रचना करना, किसानों के पास जा कर उन्हें बताना कि कीटनाशि दवाइयों का प्रयोग कैसे किया जाता है तथा रोगों की रोक थाम कैसे की जा सकती है।

हमें औद्योगिक प्रयोजनों तथा खाद्य के रूप में नारियल की अधिक मात्रा की आवश्यकता है अतः हमें नारियल के पौधों में वृद्धि करनी चाहिये। इन्हें पश्चिमी बंगाल तथा असम जैसे अन्य राज्यों में भी लगाया जाना चाहिये।

[श्री मणियगाडन]

यदि इन समितियों का विघटन किया ही जाना है तो इनके कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक रोज़गार ढूंढ़ा जाना चाहिये और इससे उन्हें कोई हानि नहीं होनी चाहिये।

श्री चि. सुब्रह्मण्यम : उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि इन समितियों के पास पर्याप्त शक्तियां थीं परन्तु इन्होंने कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है। हम एक ऐसे ढांचे के अभ्यस्त हो गय हैं जिसमें किसी परिणाम अथवा असफलता के लिये अन्ततोगत्वा कोई भी जिम्मेदार नहीं है। जब भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद से पूछा जाता है कि अनुसन्धान कार्य में क्यों प्रगति नहीं हो सकी है तो वह कहती है कि यह कार्य तो वस्तु समितियों का है और जब समितियों से पूछा जाता है तो वह कह देती है कि परिषद विभिन्न योजनाओं के लिये पर्याप्त धन नहीं देती है अतः इस दिशा में कुछ नहीं किया जा सका है। ये समितियां इस प्रकार अनुसन्धान काय करती रहीं। इसके अतिरिक्त अनुसन्धान अब अलग अलग वस्तु के लिये नही किया जा सकता है। अब हमें इस कार्य को अधिक व्यापक रूप से करना पड़ेगा और इसका विकास करने तथा अच्छे परिणाम निकालने के लिये हमें एक भारी संख्या में वज्ञानिक विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करनी चाहिये। नारियल समिति द्वारा किये गय अनुसन्धान कार्य से कोई उपयोगी परिणाम नहीं निकले हैं। अब स्थिति यह है कि आज हमें लाखों पौधों को बचाना है जिनपर लाखों लोग निर्भर करते हैं। परन्तु खेद है कि इसका अभी तक कोई हल नहीं ढूंढ निकाला गया है। जहां तक विकास का सम्बन्ध है, हमारे संविधान के अनुसार इस पहलू की देखरेख करना राज्य सरकार का कार्य है। जब वर्तमान संविधान लागू हुआ तो इन समितियों ने कहा था कि य राज्य सरकारों की सहायता करेंगी और इन्हें तकनीकी सलाह देंगी। इस प्रकार की दोहरी जिम्मेदारी के आधार पर कार्य चलता रहा। राज्य सरकर वस्तु समितियों पर ज़िम्मेदारी ठोंसती रही कि इन्होंने कुछ नहीं किया और ये समितियां राज्य सरकार पर। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इन सब पहलुओं पर विचार किया। वास्तव में पिछले 10 वर्षों से यह मामला हमारे विचाराधीन था। परन्तु हम सदा ही डरते रहे और वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सके। हमने सोचा था कि जब भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का पुनर्गठन किया जायगा तभी इन समितियों के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

अब भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद केवल अनुदानों अथवा योजनाओं की मंजूरी देने वाली संस्था ही नहीं होगी। अब वह कृषि क्षेत्र में समूचे अनुसंधान के लिये उत्तर-दायी होगी। वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने हमें यह सलाह दी है कि समूचा कृषि अनुसन्धान कार्य एक ही संगठन के अन्तर्गत किया जाना चाहिए, वस्तुओं के सम्बन्ध में हमें समन्वित ढंग अपनाना चाहिए और अनुसन्धान कार्य को बढ़ाना चाहिए और इसीलिए अब यह कार्य उन वस्तुओं समितियों से लेकर परिषद को सौंपा जा रहा है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह कार्य दिल्ली में केन्द्रित किया जायगा। कार्य तो वैसे ही होता रहेगा परन्तु अब इस समूचे कार्य का समन्वय भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद द्वारा किया जायेगा और अन्ततोगत्वा यहां परिषद ही सारे कार्य के लिये ज़िमेदार होगी। समितियों के स्थान पर विकास परिषदें बनाई जायेंगी और इनमें सभी हितों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। ये परिषदें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को सलाह देंगी और इनकी सलाह को पूरा महत्व दिया जायेगा ताकि किसानों की समस्याओं को हल किया जा सके। विभिन्न वस्तु समितियों के कर्मचारियों को विकास परिषदों में ले लिया जायेगा। अनुसन्धान कार्यकर्त्ताओं को निश्चय ही भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदों में यथासम्भव समाविष्ट कर लिया जायेगा। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हम यह देखेंगे कि किसी को भी नौकरी से न निकला जाय।

समितियों का विघटन करने सम्बन्धी इस संकल्प का उद्देश्य यह है कि कार्य अधिक श्रम से किया जाये और इस क्षेत्र में सफलता पाई जाये। यह भी मैं विश्वास दिला सकता हूं कि

इन वस्तुओं की विशेषकर नारियल, तिलहन, तम्बाकू तथा अन्य वस्तुओं की उपेक्षा नहीं की जायेगी क्योंकि इनका हमारी कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। मेरा सारा उद्देश्य यह है कि इन वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्य अधिक अच्छे ढंग से किया जाये जिससे समस्याओं के हल ढूंढ़ निकाले जा सकें, उचित रूप से विकास हो तथा इसके साथ साथ पण्य सम्बन्धी कार्यों को उचित रूप से समन्वित किया जा सके। इन विकास परिषदों में इस सभा के विभिन्न प्रतिनिधियों को लिया जायेगा जो हमें इस कार्य के लिये उचित सुझाव देंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन सुझावों को उचित महत्व दिया जायेगा। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस संकल्प को स्वीकार करेंगे। एक माननीय सदस्य ने नारियल के अधिक मूल्य के बारे में बात कही। मैं जानता हूं कि यह मूल्य बहुत अधिक है परन्तु हम यह देखेंगे कि आयात पर निर्भर रहने की बजाये देश में ही अधिकाधिक नारियल उगाया जाये जिससे हम इस में आत्म निर्भर हो सकें। विकास परिषद का तथा इस द्वारा किये जाने वाले अनुसन्धान कार्य का यह भी एक उद्देश्य होगा।

श्री जोकीम आल्वा : एक बात तो यह है कि 20 वर्ष व्यतीत हो गये जब से नारियल पर अनुसन्धान किया जा रहा है और इसी काय पर मंत्रालय में इतने सारे लोग कार्य में लग हुए हैं। दूसरी बात यह कि मने कल एक नारियल खरीदा तो मूझे उसका सवा रुपया देना पड़ा। क्या मंत्रालय इस समस्या की ओर ध्यान दे रहा है? इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है कि इस समस्या को कैसे हल किया जा रहा है जिससे लोगों को नारियल सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें?

श्री ब० कु० दास (कंटाई) : क्या मैं जान सकता हूं कि रबड़, कहवा, पटसन आदि अन्य वस्तुओं के बारे में अनुसंधान कार्य किस ढंग से होगा? क्या इन वस्तुओं के सम्बन्ध में उसी पुराने ढांचे को बनाये रखा जायेगा अथवा यह कार्य भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंपा जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम कृषि क्षेत्र में समूचा अनुसंधान कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सौंप रहे हैं। परन्तु ये वस्तुएं एक अन्य मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आती हैं, अतः हमें उस मंत्रालय से इस सम्बन्ध में बातचीत करनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"जबकि भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944 (1944 का दसवां) की धारा 17 के द्वारा केन्द्रीय सरकार को, लोकसभा की पूर्व मंजूरी से तथा राजकीय राजपत्र में अधिसूचना देकर, यह घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है कि उस अधिनियम के अधीन गठित भारतीय नारियल समिति अधिसूचना में उल्लिखित तारीख से विघटित हो जायेगी;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त घोषणा इसके साथ संलग्न अधिसूचना-प्रारूप में दिये गये रूप में की जानी चाहिये ;

और जबकि कथित अधिसूचना-प्रारूप तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से उसके समर्थन में व्यक्त किये गये विचारों पर विचार करने के पश्चात इस सभा की यह राय है कि अधिसूचना-प्रारूप में प्रस्तावित घोषणा को इस सभा की पूर्व मंजूरी दी जानी चाहिये ;

[उपाध्यक्ष महोदय]

अतः अब भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944 (1944 का दसवां) की धारा 17 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना के प्रारूप को, जिसमें उपर्युक्त घोषणा की गई है, मंजूरी प्रदान करती है ।

अनुबन्ध

अधिसूचना-प्रारूप

भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944 (1944 का दसवां) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, लोक-सभा की पूर्व मंजूरी से, एतद्-द्वारा यह घोषणा करती है कि उस अधिनियम के अधीन गठित भारतीय नारियल समिति 1 अप्रैल, 1966 से विघटीत हो जायेगी ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"जबकि भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, 1946 (1946 का नवां) की धारा 16 द्वारा केन्द्रीय सरकार को, लोक-सभा की पूर्व मंजूरी से तथा राजकीय राजपत्र में अधिसूचना देकर, यह घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है कि उस अधिनियम के अधीन गठित भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति अधिसूचना में उल्लिखित तारीख से विघटित हो जाएगी ;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त घोषणा इसके साथ संलग्न अधिसूचना-प्रारूप में दिये गये रूप में की जानी चाहिये ;

और जबकि कथित अधिसूचना-प्रारूप तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से उसके समर्थन में व्यक्त किये गये विचारों पर विचार करने के पश्चात् इस सभा की यह राय है कि अधिसूचना-प्रारूप में प्रस्तावित घोषणा को इस सभा की पूर्व मंजूरी दी जानी चाहिये ;

अतः, अब भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, 1946 (1946 का नवां) की धारा 16 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना के प्रारूप को जिसमें उपर्युक्त घोषणा की गई है, मंजूरी प्रदान करती है ।"

अनुबन्ध

अधिसूचना-प्रारूप

भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, 1946 (1946 का नवां) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, लोक-सभा की पूर्व मंजूरी से, एतद्-द्वारा यह घोषणा करती है कि उस अधिनियम के अधीन गठित भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति 1 अप्रैल, 1966 से विघटित हो जाएगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ *The motion was Adopted.*

दिल्ली प्रशासन विधेयक

DELHI ADMINISTRATION BILL

गृह कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : मैं अपने प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए और उस से संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात् :—

श्री कृष्णमूर्ति राव ; श्री बड़े ; श्री ब्रह्म प्रकाश ; श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ; श्री शिवाजी राव शं० देशमुख ; श्री शिव चरण गुप्त ; श्रीमती सुभद्रा जोशी ; श्री हरि विष्णु कामत ; श्री कपूर सिंह ; श्री मेहर चन्द खन्ना ; श्री टी० मेनन ; श्री धुलेश्वर मीना ; श्री जसवन्त मेहता ; श्री बाकर अली मिर्जा ; श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर ; श्री नवल प्रभाकर ; श्री अ० व० राघवन ; श्री र० वें० रेड्डियार ; डा० मरोजिनी महिषी ; श्री शाम नाथ ; श्रीमती राम दुलारी सिन्हा और श्री नन्दा।

और राज्य सभा के 11 सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी।

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध दिल्ली के भावी ढांचे से है। इस विधेयक के उपबन्ध इस प्रकार बनाये गय ह कि वे इस क्षेत्र की विशेष स्थितियों के अनुकूल हों और उस की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करें, दिल्ली की स्पष्ट विशेषता यह है कि यह भारत की राजधानी है और केन्द्रीय सरकार का मुख्यालय है। इस से इस क्षेत्र के लोगों पर कुछ विशेष उत्तरदायित्व आता है और उन से यह आशा की जाती है कि वे उदारतापूर्वक इस विधान को स्वीकार करेंगे।

स्वतंत्रता से पहले दिल्ली का प्रशासन केन्द्रिय सरकार द्वारा मुख्य आयुक्त के माध्यम से किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद इसे 'ग' वर्ग का राज्य बना दिया गया। दिल्ली की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग ने निगम के रूप में नगरपालिका को स्वायत्तता दिये जाने की सिफारिश की थी। नई दिल्ली और छावनी को छोड़कर दिल्ली के समूचे संघ राज्य क्षेत्र के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अप्रैल, 1958 में दिल्ली नगर निगम का गठन किया गया था।

विधान-मंडल तथा मंत्री-मंडल समाप्त किये जाने के पश्चात् इस राज्य-क्षेत्र का प्रशासन केन्द्रीय सरकार मुख्य आयुक्त के द्वारा सीधे चला रही है। यह बात समझ में आती है कि इस ढांचे से इस क्षेत्र के लोगों की राजनैतिक आकांक्षायें पूरी नहीं हुई और इस बात की लगातार मांग

[श्री नन्दा]

की गई है कि केवल नगर निगम द्वारा किये जाने वाले अनिवार्य रुप से नगरिया कार्यों के लिए ही नहीं बल्कि प्रशासन के दूसरे व्यापक क्षेत्रों में भी जनता को अधिक भाग लेने का अवसर दिया जाये। विधान-मंडल और मंत्रि-मंडल पुनः स्थापित किये जाने की मांग की गई है। यह बात स्मरण-योग्य है कि संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, 1962 पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि दिल्ली के प्रशासनिक ढ़ांचे में परिवर्तन करने के लिए इस राज्यक्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं पर विशेष रूप में विचार करने की आवश्यकता है।

उस अवसर पर स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दिल्ली के साथ अन्य संघ राज्य-क्षेत्रों की भांति व्यवहार नहीं किया जा सकता। प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने, जोकि उस समय गृह-कार्य मंत्री थे, भी कहा था कि निगम की सिफारिशें प्राप्त होने के शीघ्र बाद निगम की क्रियान्विति में आवश्यक परिवर्तनों के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

सभी बातों पर विचार करने और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों और दूसरे लोगों के साथ विस्तार पूर्वक विचार के प्रश्चात् राज्य क्षेत्र और दिल्ली नगर निगम के प्रशासकीय ढ़ांचे के पुर्नर्गठन की योजना बनाई गई थी।

18 अगस्त, 1965 को इस सभा के सामने योजना की विस्तृत रुप रेखा पेश की गई थी, यह विधेयक योजना के उस भाग को प्रभावी बनाने के लिए है जिसमें राज्यक्षेत्र के प्रशासक की सहायता करने और उन्हें परामर्श देने के लिए महानगर परिषद् और कार्यपालिका परिषद् स्थापित करने का उपबन्ध किया गया था।

विधेयक की मुख्य बातें यह हैं कि इस राज्यक्षेत्र का प्रशासक उप-राज्यपाल होगा कुछ मामलों को छोड़कर, जोकि प्रशासक के सर्वथा अधिकार मे होंगे, उनको सहायता और परामर्श देने के लिये कार्यपालिका परिषद् होगी। 42 निर्वाचित और 5 नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर सम्मिलित एक परामर्शदाता समिति होगी जिसे महानगर परिषद् कहा जायेगा। उसे प्रशासक के लिए कुछ रक्षित मामले छोड़कर राज्य-क्षेत्र के प्रशासन और विकास के विषयों पर चर्चा करने और सिफारिश करने का अधिकार होगा।

विधेयक को चार भागों में बांटा गया है। खण्ड 4 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग को निर्वाचित क्षत्र निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। खण्ड 6 से 9 में परिषद् की सदस्यता के लिए अर्हतायें दी गई हैं। खण्ड 10 में यह व्यवस्था है कि महानगर परिषद् की अवधि पांच वर्ष होगी और संकट की उद्घोषणा लागू होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी।

खण्ड 12 और 13 का सम्बन्ध महानगर परिषद् के सभापति के निर्वाचन से है। खण्ड 15 से 20 महानगर परिषद् में मतदाता सदस्यों की शपथ तथा प्रतिज्ञान से सम्बन्धित है। खण्ड 21 में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जिन पर महानगर परिषद् चर्चा कर सकेगी और जिनके सम्बन्ध में वह सिफारिशें कर सकेगी। इसमें राज्य सूचि तथा समवर्ती सूचि में उल्लिखित मामले शामिल हैं और इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि इन मामलों के सम्बन्ध में विधान पर भी महानगर परिषद् विचार कर सकेगी। इस राज्य क्षेत्र सम्बन्धी आयव्ययक भी महानगर परिषद् के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा

खण्ड 22 एक और महत्वपूर्ण खण्ड है जिस के अन्तर्गत सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है। खण्ड 23 में महानगर परिषद् को अपनी प्रक्रिया, कार्य संचालन और नियमों के विनियमन का अधिकार दिया गया है। खण्ड 27 के अन्तर्गत प्रशासक को अपने कार्यों में चार से अनधिक सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद् द्वारा सहायता तथा सलाह दी जायेगी। यह केवल विधि और व्यवस्था के सम्बन्ध में, जिसमें पुलिस बल का संगठन और अनुशासन और अन्य ऐसे मामले, जिनको समय समय पर राष्ट्रपति निश्चित करेंगे, भी शामिल है, अपने विवेक से कार्य कर सकेगी। प्रशासक और कार्यकारी परिषद्

के सदस्यों के बीच किसी मामले पर मतभेद होने पर प्रशासक उस विवाद को राष्ट्रपति के निर्णय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। खण्ड 27 में इस बात का भी उपबन्ध है कि नई दिल्ली के सम्बन्ध में कार्यकारी परिषद् के निर्णयों के सम्बन्ध में उप राज्यपाल की सहमति प्राप्त करनी होगी।

खण्ड 28 में इस बात का उपबन्ध है कि कार्यकारी परिषद् की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। उद्देश्य यह है कि कार्यकारी परिषद् के सदस्यों को महानगर परिषद् के सदस्यों में से चुना जायेगा और वे अपने कर्त्तव्यों के दैनिक निर्वहन में मंत्रियों की भांति कार्य करेंगे।

खण्ड 32 के अधीन महानगर परिषद् के सामान्य निर्वाचन होने तक एक अन्तरिम महानगर परिषद् का गठन किया जायेगा। अन्तरिम महानगर परिषद् के 42 सदस्यों को सरल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर दिल्ली के निर्वाचक मण्डल के वर्तमान सदस्यों द्वारा चुना जायेगा। खण्ड 33 में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महानगर परिषद् के स्थापित होने तक एक अन्तरिम कार्यकारी परिषद् की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है।

खण्ड 35 में यह उपबन्ध रखा गया है कि अन्तरिम महानगर परिषद् को दिल्ली के लिए निर्वाचक मण्डल समझा जायेगा। खण्ड 36 में यह उपबन्ध किया गया है कि दिल्ली के लिये संसदीय स्थान 5 से बढ़ाकर 7 कर दिये जायें। यह सुझाव दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि के कारण किया गया है।

इस विधेयक के उपबन्धों द्वारा प्रशासन में जनता के प्रतिनिधियों का भाग लेना यथासम्भव सुनिश्चित किया गया है। यह ठीक है कि पृथक् विधान-मण्डल और मंत्रिमंडल के साथ संघ राज्य-क्षेत्र की मांग को स्वीकार नहीं किया गया है। उन आकांक्षाओं में कोई बुरी बात नहीं है परन्तु याद रखने वाली बात यह है कि यहां की परिस्थितियां विशेष हैं। दिल्ली के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में व्यवहार्य अधिकतम मात्रा में लोगों की इच्छाओं की अभिव्यक्ति को इस विधेयक में व्यवस्था की गई है। इसमें लोगों के लिये अच्छे प्रशासन की, जो उनकी आवश्यकतायें पूरी करे और अधिक सहानुभूति, उत्सुकता तथा शीघ्रता के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करे, एकीकृत और दक्ष मशीनरी की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने का प्रयत्न किया गया है।

नगर पालिका के ढांचे का भी पुनर्गठन किया जा रहा है। नगरपालिकाओं के ढांचे में हम कुछ विशेष स्वरूप रखेंगे। मेरा विश्वास है कि इससे इस क्षेत्रके लिये अधिक प्रभावी और दक्ष प्रशासन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मैंने मुख्य मुख्य बातों का स्पष्टीकरण कर दिया है। जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है, महानगर परिषद् का ढांचा विधान-मंडल के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है। राज्य और समवर्ती क्षेत्र के अन्तर्गत विषयों के इस राज्य सम्बन्धी विधेयकों पर यह परिषद् विचार करेगी और सिफारिशें करेगी जो सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। इस प्रबन्ध को उचित रूप से आजमाया जायेगा। निश्चिय ही इस प्रबन्ध के अच्छे फल निकलेंगे और इससे अच्छे और एकीकृत प्रशासन की मांग पूरी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए और उस से संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 33 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में इस सभा के 22 सदस्य, अर्थात् :—

श्री कृष्णमूर्ति राव श्री बड़े ; श्री ब्रह्म प्रकाश; श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ; श्री शिवाजीराव शं० देशमुख; श्री शिव चरण गप्त; श्रीमती सुभद्रा जोशी; श्री हरि विष्णु कामत; श्री कपूर सिंह ; श्री मेहर चन्द खन्ना ; श्री टी० मेनन ; श्री धुलेश्वर मीना ;

[उपाध्यक्ष महोदय]

श्री जसवन्त मेहता ; श्री बाकर अली मिर्ज़ा; श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर ; श्री नवल प्रभाकर ; श्री अ० व० राघवन; श्री र० वें० रेड्डियार; डा० सरोजिनी महिषी; श्री शाम नाथ ; श्रीमती राम दुलारी सिन्हा और श्री गुलज़ारीलाल नन्दा :

और राज्य सभा के 11 सदस्य हों ;

कि संयक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्त्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ।

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलिति हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 11 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।"

संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी दो अन्य प्रस्ताव हैं । क्या श्री ब्रह्म प्रकाश अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ?

श्री ब्रह्म प्रकाश (बाहय दिल्ली) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करूंगा ।

Shri Naval Prabhakar : I would like to speak.

उपाध्यक्ष महोदय : संयुक्त समिति के सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह विधेयक 8 फरवरी , 1966 तक राय जानने के लिये परिचालित किया जाये ।"

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुज़ा) : यह विचित्र बात है कि माननीय मंत्री और संघ सरकार ने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है । केन्द्रीय सरकार दिल्ली पर प्रशासक का राज्य थोपना चाहती है । वह यह भी चाहती है कि हम विश्वास करें कि यहां लोकतंत्रात्मक ढांचा स्थापित किया जा रहा है । माननीय गृह-कार्य मंत्री की यह चाल सफल नहीं होगी ।

यह विधेयक राजधानी के लोगों को चुनौती है और यदि सरकार इस विधेयक को इसी रूप में पारित करने में सफल हो जाती है तो वह लोकतंत्र को जड़ से समाप्त कर देगी ।

माननीय मंत्री ने राजधानी की विशेष परिस्थितियों के बारे में बहुत कुछ कहा है परन्तु उन्होंने विशेष परिस्थितियां विस्तारपूर्वक नहीं बताई हैं । माननीय मंत्री को सभा में यह बात स्पष्ट करनी चाहिये थी कि किन कारणों से दिल्ली में लोक-प्रिय सरकार स्थापित नहीं की जा सकती । मैं नहीं जानता कि दिल्ली के लोगों ने ऐसा कौनसा पाप किया है कि उनको राज्य के प्रशासन में भाग लेने से वंचित रखा जा रहा है ।

जहां तक हमारे दल का सम्बन्ध है, हम दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में विधान मण्डल और मंत्रि-परिषद् का पूर्ण समर्थन करते हैं। समाचार-पत्रों में यह समाचार छपा है कि केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय ने सत्तारुढ़ दल को अपने विश्वास में लिया था। ऐसा समाचार है कि इस विधेयक को सभा में पेश करने से पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने और गृह-कार्य मंत्रालय ने गुप्त रूप से संशोधनों पर भी विचार किया है । यह बात बहुत गलत है और मैं सका विरोध करता हूं ।

महानगर परिषद् (मैट्रोपोलिटन काउंसिल) एक वाद-विवाद समिति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिये, इस पर लोक-धन क्यों व्यय किया जाये। **(अन्तर्बाधा)**

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि दिल्ली की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक समस्या बहुत से प्राधिकार होता है। इस से दिल्ली की जनता को बहुत कठिनाई होती है। लोगों को विभिन्न स्थानों पर विद्युत् के विभिन्न दर देने पड़ते हैं। जल की समस्या स्थाय है। इसका एक कारण यह है कि इस के लिये कोई केन्द्रीय प्राधिकार नहीं है।

दिल्ली के स्थानीय समस्याओं के समाधान का कार्य विभिन्न मंत्रालय तथा नगर निगम करते हैं। उनमें परस्पर किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। इसके फलस्वरूप लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार, को एक ऐसा विधेयक लाना चाहिये था जिनके अनुसार प्रशासन का केन्द्रीयकरण हो सकता। वर्तमान विधेयक में कई त्रुटियां हैं।

इस विधेयक में 5 सदस्यों के नामनिर्देशन की व्यवस्था है। हम इस उपबन्ध का विरोध करते हैं। यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत है। इस परिषद् में कुल 42 सदस्य होंगे और उन में 5 नामनिर्देशित होंगे। यह उचित नहीं है। इससे तो गृह-कार्य मंत्री वास्तविक शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यह न्यायसंगत बात नही है।

इस विधेयक में एक प्रशासक की व्यवस्था की जा रही है। उसको बहुत अधिकार दिये जा रहे हैं। उसे दिल्ली का मुग़ल सम्राट बनाया जा रहा है। इस में महानगर परिषद का अनादर किया जा रहा है। इसे इस परिषद् से अधिक अधिकार नहीं मिलने चाहियें। वह इस परिषद् का विघटन भी कर सकेंगे। सरकार को लोगों द्वारा निर्वाचित परिषद् को अधिकार देने चाहिय। इस उपबन्ध को विधेयक से हटा देना चाहिये।

महानगर परिषद् के प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ नियम प्रशासक बनायेंगे और कुछ स्वयं परिषद बनायेंगी। इन दोनों में मतभेद की स्थिति में प्रशासक द्वारा बनाये गये नियम चलेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रशासक को इसमें भी अधिक अधिकार मिलेंगे। हमें सरकार के इस निर्णय पर आश्चर्य है। यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है।

वित्तीय मामलों में भी परिषद् को कुछ भी अधिकार नहीं दिये गये हैं। सरकार को खण्ड 21 के अन्तर्गत महानगर परिषद् को वित्तीय मामलों में निर्णय करने तथा उनको क्रियान्वित करने का अधिकार देना चाहिये।

एक कार्यपालिका परिषद् की व्यवस्था भी विधेयक में है। इसके चार सदस्य होंगे। उनको राष्ट्रपति नामनिर्दिष्ट करेंगे। यह भी अनुचित है। मैं चाहता हूं कि इनका चुनाव महानगर परिषद् करे। यदि प्रशासक और कार्यपालिका के बीच किसी प्रकार का मतभेद हो जाये तो वह विषय राष्ट्रपति को भेजा जायेगा परन्तु इस बीच के समय में प्रशासक अपनी मनमानी कर सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कार्यपालिका के भी कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे। इस प्रकार यह मानना पड़ेगा कि दिल्ली के लोगों को कोई अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं। महानगर परिषद् तो केवल मन्त्रणा देने के लिये ही होगी।

मेरा गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापिस लें और सभी दलों और पक्षों से सलाह कर के एक ऐसा विधेयक लायें जिसमें विधान सभा और मंत्री परिषद् बनाने की व्यवस्था हो। ऐसा विधेयक दिल्ली के लोगों की आशाओं के अनुसार होगा।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : बहुत लम्बे समय के बाद दिल्ली प्रशासन विधेयक लाया गया है। मेरे विचार में इस विधेयक द्वारा इस सभा के सदस्यों से उपहास किया जा रहा है। खण्ड 21 के अनुसार

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

महानगर परिषद् को चर्चा करने और सिफारिशें करने का अधिकार दिया जा रहा है। इस के निर्णयों को कार्यान्वित करने का अधिकार नहीं होगा। इसे तो केवल एक सलाहकार निकाय ही बनाया जा रहा है। हमें लंदन नगर परिषद् के समान एक महानगर परिषद् बनानी चाहिये।

सरकार को शासन को ठीक प्रकार से चलाने के लिये परिषद् को अधिक अधिकार देने चाहिये और केवल चर्चा करने वाला निकाय नहीं बनाना चाहिये। महानगर परिषद् राज्य सूचि में दर्ज सभी विषयों पर चर्चा करेगी और फिर सिफारिश करेंगी। इसके अतिरिक्त उसका और कोई कार्य नहीं होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उसको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है।

वास्तव में सभी अधिकार तो केन्द्रीय गृह-मंत्रालय अपने पास रख रहा है। शेष बहुत से कार्य नगर निगम केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय करेंगे। इस प्रकार प्रशासन में कई निकायों का हाथ होगा। इस से इस में सुधार की कोई आशा नहीं की जा सकती। इस विधेयक से विधेयक से कोई भी पार्टी सन्तुष्ट नहीं है। सरकार को संयुक्त समिति को इस विधेयक में आमूल परिवर्तन करने चाहिये ताकि यह लोगों की आशाओं के अनुरूप बन सके। और महानगर परिषद् को अधिक अधिकार देने चाहिये। प्रशासक को नामनिर्देशन का काम नहीं दिया जाना चाहिये। इससे प्रशासन में कठिनाईयां उत्पन्न हो जायेंगी। यदि सरकार देश की राजधानी में विशेष प्रकार का शासन चाहती है तो यह विधेयक उस उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं करता। इस विधेयक का किसी भी पार्टी ने समर्थन नहीं किया।

सरकार को यहां पर हो रही आलोचना पर ध्यान देना चाहिये। इस विधेयक को संयुक्त समिति के सुपुर्द किया जा रहा है। यह अच्छी बात है परन्तु सरकार को वहां पर उदारता से काम लेकर इसमें आमूल परिवर्तन करने चाहियें। इस में लोगों की आशाओं के अनुसार परिवर्तन करने चाहिये। समिति को लोगों की सलाह लेनी चाहिये और सम्बद्ध लोगों के हितों को सन्मुख रखकर इस विधेयक में उसी प्रकार परिवर्तन करने चाहिये। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि संघ क्षेत्र से सात सदस्य संसद् में आते हैं, क्योंकि संविधान की राज्य सूचि के विषयों को संसद् में नहीं लाया जा सकता। सरकार को दिल्ली नगर में भी अन्य बड़े बड़े नगरों के समान कानून लागू करने चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): इस विधेयक का किसी भी दल ने समर्थन नहीं किया है। सभी दलों के प्रवक्ताओं ने इस की निन्दा की है। नगर निगम ने भी इसे पसन्द नहीं किया। फिर ऐसा विधेयक लाने से क्या लाभ है? शायद गृह-कार्य मन्त्रालय में किसी ने इसे अच्छा विधेयक समझा हो। अब हम इस विधेयक को एक संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जा रहा है। वह समिति इसमें मामूली परिवर्तन करेगी वह इसमें आमूल परिवर्तन नहीं कर सकती। मैं जानना चाहता हूं कि आप यदि महानगर परिषद् को ठीक समझते है तो देश के अन्य बड़े नगरों में भी ऐसी ही व्यवस्था क्यों नहीं लागू करते? मैं गृह-कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली से इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दिल्ली का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह भारत की राजधानी है। विदेशी दूतावास यहां पर ही हैं। व्यापार के क्षेत्र में यह एक बड़ा केन्द्र है। शिक्षा का भी यह एक बड़ा केन्द्र है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहां पर विधान सभा की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। यदि अन्य स्थानों पर यह व्यवस्था कर दी गई है तो यहां पर क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता?

इस विधेयक के अनुसार दिल्ली में बहुत से प्रशासनिक निकाय होंगे। इससे प्रशासन में और जटिलता आ जायेगी। अच्छा तो यही होगा यदि सभी अधिकार एक विधान सभा को सौंप दिये जायें। हमें लंदन तथा वाशिंगटन में चल रही व्यवस्था से लाभ उठाना चाहिये। सरकार को प्रशासन में कार्यकुशलता लाने के लिये एक विधान सभा बनानी चाहिये। दिल्ली की जनसंख्या 30 लाख के लगभग है और आप विधान मंडल नहीं बनाना चाहते। संयुक्त राष्ट्र के कई ऐसे देश भी सदस्य हैं जिन की जनसंख्या केवल चार लाख के लगभग है।

महानगर परिषद् के सदस्यों को एक विधान सभा के सदस्यों की भांति वेतन तथा भत्ते मिलेंगे। उनके निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जायेगा। वहां सभी बातें एक विधान सभा के समान होंगी परन्तु उस निकाय का नाम महानगर परिषद् होगा। यदि आप एक विधान सभा के समान व्यवस्था कर रहे हैं तो आपको उस परिषद् की नाम भी विधान सभा रख देना चाहिये। मैं श्री वासुदेवन नायर की इस बात से सहमत हूं कि यदि परिषद् के कुछ सदस्यों का नामनिर्देशन हुआ तो यह प्रजातन्त्र के विपरीत होगा। मैं इस प्रणाली के प्रति आपत्ति व्यक्त करता हूं।

इस विधेयक में व्यवस्था की जा रही है कि महानगर परिषद के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम परिषद् तथा प्रशासन दोनों बनायेंगे। यह उपबन्ध भी ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रशासक को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। उसे राष्ट्रपति के तथा राज्यपाल के भी कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

दिल्ली से चने जाने वाले संसद्-सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। इससे दिल्ली के लोगों को कोई विशेष लाभ नही होगा। आप महानगर परिषद् बना कर यहां के लोगों की भलाई नहीं कर रहे हैं। मैं इस विधेयक के आने से प्रसन्न नहीं हूं क्योंकि इसमें दिल्ली को प्रजातंत्रीय ढांचे का प्रशासन देने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : This Bill is very defective and it would be better if it is withdrawn. There is no use in sending this Bill to Joint Committee.

There should not be any difference between the administration of Union territories and States. There should be democratic set up in all the Union territories. There is some such arrangement in Himachal Pradesh and Manipur but all powers have not been given to the people's representatives there. The powers being given to Metropolitan Council in Delhi are less than the powers of a Municipal Commitee. A Legislative Assembly enjoys three types of rights viz. power of legislation, power to control the finances and power to decide about the development plans. In the case of this council, it will only make some recommendation.

The real power and initiative will with be Administrator. I request that should be Legislative Assembly in Delhi and, if necessary, the Constitution should be amended for this.

There is a provision for nomination of five persons. I am entirely against provision. It will encourage corruption. I feel that all the members should be elected ones. I welcome the provision regarding reservations of seats for persons belonging to scheduled castes. There should be reservation for people of Backward classes and women. I demand that 30 out of 50 members should belong to this categories. This Bill should be amended accordingly.

The head of Executive Council should, be selected the Administrator and other Executive Councilors should be appointed on his advice. This Executive council should remain in Office as long as it enjoys the confidence of Metropotion Council.

I feel Government is giving more representation in Parliament to areas which are directly under Central Government. In doing so it hopes that it will be able to return more Congress party's nominees. In this connction I demand that these areas should be given the right to have full fledged Legislative Assemblies. This is the only way to restore the democratic rights of people

[**Shri Madhu Limaye**]

of these areas. This alloting of more seats in Parliament is not adequate. If this Bill not going to be withdrawn, I welcome its reference to Select Committee.

श्री बालकृष्णन (कोइलपट्टी) : जब तक लोगों द्वारा महानगर परिषद् तथा कार्यकारी परिषद् का चुनाव नहीं होता इन के स्थान पर अन्तरिम परिषदें एक चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा चुनी जायेंगी। इन अन्तरिम परिषदों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिये। इसे संयुक्त समिति कर सकती है। अनुसूचित जातियों के लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनको जैसे महानगर परिषद् में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है उसी प्रकार कार्यकारी परिषद् में भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : FIRST ANNUAL REPORT OF CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : श्रीमन्, इससे पूर्व कि श्री यशपाल सिंह जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा का समय बढ़ाया जाये। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिये दो घंटे का समय बहुत ही कम है। मैंने अध्यक्ष महोदय को भी लिखा था और उन्होंने उचित समय पर इस पर विचार करना मान लिया था।

Shri Brij Raj Singh (Bareilly) : I also support Dr. Singhji's proposal.

Shri Madhu Limaye (Moghyr) : Two hours more might be allotted.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको कितना समय चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Two hours more might be given.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir, with your permission, I beg to move the following motion :

> "कि यह सभा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर जो 30 अगस्त 1965 के सभा पटल पर रखा था, विचार करती है।"

Sir, when this Commission was constituted we had high hopes for it but unfortunately they have not been fulfilled even one percent. They have acted only like a small court and their procedure is such as leaves the big officials untouched. Still it is a positive step in the right direction. Those who wanted the Home Minister to resign wanted the efforts for the checking of corruption to be stopped. If nothing substantial could be achieved, this is because of the fact the corruption had roots in our society for the last 200 years or so and in two and a half years no miracle could happen. Merely a Minister or a Commissioner would not be able to make much headway, a public consience against corruption would have to be created. Let the true Gandhism be allowed to come forward and help in this work. The way in which one Shri R. C. Dutt a big official in Company Law Administration gave a false affidavit in the Punjab High Court to win favour of the Ministers and to help M/s Mahindra Mahindra & Co. belonging to his son-in-law, by unfair means and inspite of a discussion in Parliament over this affair...

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नाम लेकर किसी पर आरोप लगाना इस सभा की प्रतिष्ठानुकूल नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई नाम नहीं लिया जाना चाहिये। हां, मामलों का उल्लेख किया जा सकता है ।

Shri Madhu Limaye : When these names had been mentioned in various documents, books etc. whether those names could not be mentioned even then ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल उन्हीं मामलों का उल्लेख किया जा सकता है जिन का निर्णय हो चुका हो ।

Shri Yashpal Singh : I can do without mentioning names. He was not only retained as Secretary of Company Law Board but also given additional responsibility of Revenue Secretary in Finance Ministry. I do not want these things to happen under the very nose of the Prime Minister.

I want a black-list of the corrupt persons to be prepared and given wide publicity in the newspapers. A partisan attitude, a half-hearted attempt would achieve nothing. An awakening would have to be brought among all the 45 crore Indians. If production increased, the conditions would not have been so bad. It is regrettable that here 85% of our people are engaged in Agriculture and still we are hungry when in U.S.A. only 22 percent of their people are engaged in agriculture and they produce enough to feed 50 countries. Slackness and shirking work should also be included in corruption. Let the business establishments, Banks, Courts etc. remain open round the clock. Let the daily diary of M.P.s., Ministers and others be maintained and examined to see whether they do full work or not. The misuse of amenities like staff cars etc. 9 te big officers should also be checked as, this is also another form of corruption. Organisations like Children's Film Society, Bharat Sewak Samaj, who get Government assistance should also come under the purview of the Vigilance Commission. The Commission should submit its report at the end of one year to show what they have done.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो 30 अगस्त, 1965 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

चर्चा का समय दो घंटे और बढ़ाया गया है और प्रत्येक माननीय सदस्य 10–15 मिनट का समय ले सकता है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : हमें श्री यशपाल सिंह का आभार मानना चाहिये कि उन्होंने यह मामला सदन के समक्ष चर्चा के लिये प्रस्तुत कर दिया। मेरा विचार यह है कि सतर्कता आयोग का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध है। इसे कुछ वर्ष पूर्व श्री नन्दा ने शुरू किया था। इस चर्चा के सन्दर्भ में हमें कुछ मूल बातों का ध्यान रखना होगा। वह यह है कि जब तक हमारे देश का के प्रशासन में नियमों और सिद्धान्तों में भारी परिवर्तन नहीं किये जाते, तब तक इस आयोग के स्थापित किये जाने से कोई लाभ होने की आशा नहीं है। इसके प्रतिवेदन से भी कोई लाभ नहीं होगा। फिर गत दो वर्षों में जो भी हालात थे उनमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो भी सफलतायें उपलब्ध हुई है वे बहुत ही सराहनीय है। मेरा यह मत है कि यदि सरकार द्वारा इस दिशा में ईमानदारी से कार्य न किया जाता तो इस तरह सफलता मिलने की आशा बहुत कम थी। इस बारे में कार्य

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

करना ही असंभव हो जाता। इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिये कि श्री नन्दा के कार्यों का देश पर प्रभाव हुआ है। भ्रष्टाचार के उन्मूलन के मामलों में सरकार को काफी सफलता प्राप्त हुई है। मुझे आशा करनी चाहिये कि यह चर्चा प्रतिवर्ष होगी और हमें इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिलता रहेगा।

काफी बड़े पैमाने पर देश भर में छापे मारे गये हैं। यह कार्य सरकार के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया गया है। यह भी उसी आन्दोलन का प्रभाव है जिसे कि गृह-मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया गया है। चाहे कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा हो अथवा किसी और दिशा में। परन्तु स्फूर्ति का केन्द्र बिन्दु वही है। श्री यशपाल सिंह ने यह भी ठीक कहा है कि भ्रष्टाचार एक बड़ी गहरी बीमारी है और इसे एकदम समाप्त करना बड़ा कठिन है। समय तो लगेगा ही। देखने वाली बात यह है कि इस दिशा में ईमानदारी से अथवा हार्दिक प्रयास किये गये हैं अथवा नहीं। और इन प्रयासों का समाज के शिक्षित वर्ग पर हो रहा है अथवा नहीं। इसका अन्दाजा लगा सकने का पूरा वातावरण है। यह भी देखा जा सकता है कि इन प्रयासों का लोगों और संस्थाओं पर कोई प्रभाव हो रहा है। यह बात निर्विवाद रूप से कही जा रही है कि बेईमान व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों एक आंतक की भावना पैदा हो गई है। उनमें अब यह साहस नहीं रह गया कि खुलेआम भ्रष्टाचार कर सकें। एक बात इस दिशा में और भी है कि यह भ्रष्टाचार बहुत पुराना रोग है। यह केवल स्वतन्त्रता के बाद ही पैदा नहीं हुआ। स्वतन्त्रता के बाद भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। और यह वृद्धि "सिविल सर्विस" की वृद्धि के अनुपात के अनुसार हुई हैं।

मेरा निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरन्तर संग्राम करने की आवश्यकता है। जो कुछ प्रारम्भिक रूप में इसके लिये किया जाना सम्भव है, वह कर लिया गया है। यदि सभी वर्गों का सहयोग उपलब्ध होता रहे तो हम बहुत सीमा तक भ्रष्टाचार को दूर करने में सफल हो जायेंगे। प्रशासनिक सुधार आयुक्त की नियुक्ति भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक उल्लेखनीय बात है। मैं इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि इस आयुक्त के निदेश पद काफी विस्तृत प्रकार के होने चाहिये जिससे वह हमारे देश के लिये अपेक्षित प्रशासनिक सुधारों को भी शामिल कर लिया जाय। फिर भी प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति के लिये मैं प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं? यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बहुत महत्वपूर्ण पग है। इससे देश के लिये अच्छे भविष्य की आशा की जा सकती है। अब ऐसा वातावरण निर्माण होगा कि देश में भ्रष्टाचार को पनपने का कोई अवसर प्राप्त पैदा नहीं होगा।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : श्री यशपाल सिंह जी के बाद इस विषय पर कहना कुछ निरर्थक ही है। परन्तु मैं श्री शुक्ला के कथन से अपने विचार की श्रृंखला को बनाता हूं।

[**श्री विद्याचरण शुक्ल पीठासीन हुए**
SHRI VIDYACHARAN SHUKLA *in the Chair*]

उन्होंने कहा कि उस मामले का निष्पक्ष भाव से परीक्षण किया जाना चाहिए। और उनका यह भी कहना है कि विरोधी दलों को इस का परिक्षण करना चाहिए। मैं इसका विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय चौंकसी आयोग के प्रतिवेदन में मूल रूप से दो मिथ्या पूर्व धारणामें हैं। पहली यह कि भ्रष्टाचार की समस्या का प्रशासनिक सेवाओं में सदाचार के साथ सह अस्तित्व है। दूसरी बात यह है कि यह धारणा गलत है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों के उचित अधिकारियों को कमकर दिया जाय। यदि ऐसा किया जाता है तो यह अन्याय है और यह उनके माननीय गौरव को नष्ट करने की समस्या है। मेरा कहना है कि यह बातें गलत है।

सारी समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने पर यह पता चलता है कि वास्तविक समस्या यह है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार पर किस प्रकार युक्ति संगत नियन्त्रण किया जाय यह समस्या

नहीं है कि भ्रष्टाचार का समूल नाश करने की बात की जाय। मेरा निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार की आधुनिक समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि इस देश के लिए विशेष नहीं है। लगभग प्रत्येक देश में थोड़ी बहुत यह समस्या है। मेरे विचार में यह समस्या बीसवी शताब्दी के आरंभ में सभी लोकतंत्रीय तथा औद्योगिक रूप में विकसित देशों में पैदा हुई। इसकी उत्पत्ति सरकारी कृत्यों में वृद्धि हो जाने तथा इसके अनुरूप प्रशासनिक प्राधिकार के विकास से हुई है। इसके अतिरिक्त भी एक कारण है, और वह यह था कि प्रशासनिक प्राधिकार के कृत्यों के बढ़ जाने से प्रशासनिक स्वविवेक का विकास हुआ। और इन दो कारणों के फलस्वरुप ही देश में भ्रष्टाचार की वृद्धि हुई।

हमारे देश में भ्रष्टाचार की दृष्टि से अनिवार्य रूप से समस्या यह नहीं है कि प्रशासनसे भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय। इस दिशा में मझे यह निवेदन करना है कि सरकारी कर्मचारियों पर राजनीतिज्ञों का बहुत भारी प्रभाव है। अत: यह एक बड़ी भारी समस्या है कि इन सरकारी कर्मचारियों को उस प्रभाव से निकाला जाय। और इसके द्वारा जो विषैला वातावरण बनाता है उसे रोका जाय। बड़ी स्पष्ट बात है कि यह समस्या केवल केन्द्रीय चौकसी आयोग की स्थापना से ही हल नहीं होगी। और हमने देख भी लिया है कि आयोग की स्थापना के बाद यह समस्या हल नहीं हो रही है। और इस दिशा में आयोग का कुछ लाभ नही हो रहा। मेरा विचार यह है कि भारत सरकार तथा गृह-कार्य मंत्रालय ने जानबूझकर इस समस्या की ओर ध्यान नही दिया है। सतर्कता आयोग की स्थापना करके उन्होंने इस बारे में नितान्त भाव को व्यक्त किया है। इस सब के बावजूद यह ठीक है कि गृह-कार्य मंत्रालय की ओरसे इस समस्या को हल करने लिए काफी प्रयास हुए है। और उन प्रयासों में एक उपाय यह भी था कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के आचार तथा अनुशासन सम्बन्धी नियमों में सुधार किया है। और यह भी कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी नियम (संशोधन) अधिनियम आदि लागू किया है।

लोगों की शिकायतों इत्यादि को देखने के साथ साथ सरकार को भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकार को अपने विभिन्न विभागों द्वारा निरन्तर कई प्रकार के उपाय करने पडते है। जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसका गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने से केवल यह ही पता नही चलता है यह कार्य कितना व्यापक है। परन्तु यह भी जानकारी होती है कि इसे कितने परिश्रम से तयार किया गया है। कोई सन्देह नहीं कि यह कार्य काफी सराहनीय है। केन्द्रीय सतर्कता विभाग को जो काम सौपा गया था वह इसने भली प्रकार से पूरा किया गया है। पर मेरा कहना है कि यदि गह-कार्य मंत्री की प्रतिक्षा केवल इसी बात तक सीमित थी कि वह भ्रष्टाचार के नियन्त्रण, तथा उसे सीमित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे तो वह स्वयं में व सारी शक्तियों को निहित कर रहे हैं जो कि सामूहिक रूप से सारे मंत्रि मंडल को उपलब्ध है। यदि उनकी प्रतिज्ञा यह थी कि वह उन सब उपायों का कठोरता तथा ईमानदारी से पालन करेंगे जो कि उन्हें प्राप्त है तो उन्होंने निश्चय ही अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया है।

अब यहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि श्री नन्दा जी उदासीन रहे अथवा त्याग पत्र दे दें। यह चर्चा का विषय सारे देश में आज है। सदन को भी पता है कि श्री नन्दा ने असम्भव बात करने की घोषणा की थी। और यह मुझे आशा है की जो कुछ सम्भव है वह तो वह इमानदारी से करेंगे ही।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों को बोलते समय अपनी अभिव्यक्ति पर काबू रखना चाहिए। फिर भी माननीय सदस्यों के भाषण सुनकर मेरा मत बना है कि हम विदेशों में अपने दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से समस्या नही पाये हैं। देश

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

में हर जगह यह चर्चा है कि देश में भ्रष्टाचार का बोल बाला है। परन्तु दुःख यह है कि सारी स्थिति लोग मंत्री महोदय को आकर मुद्दे पर कहते नहीं है। और वसे यह बात लोग कहते रहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस तरह के बात से कई बार यह लगता है कि इस देश में भ्रष्टाचार के अतिरिक्त और कुछ है ही नही। मेरा कहना है कि इस प्रकार की बातें करने से सारे देश का वातावरण दूषित हो गया है। विदेशों में हमारे अपनी ही इस प्रकार की बातों से हमारे सम्बन्ध में विदेशों में बड़ी गलत धारणायें बन गयी है। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमें भ्रष्टाचार की बात करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहए कि यह बात सूझ बूझ के साथ की जाय। और इसके अतिरिक्त यह सारी चर्चा व्यक्तिगत भावनाओं से रहित होना चाहिए। प्रश्न को उचित संदर्भ में समझने के प्रयास करना चाहिए। और सारी समस्या को सोचके वक्त यह बात सामने रहनी चाहिए कि देश के सामुहिक हित में यह देश के विरुद्ध नही जानी चाहएि। देश की ख्याती पर उसका कुप्रभाव नहो पड़ना चाहिए। और देश तथा सरकार का नाम बदनाम नही होना चाहिए।

इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमें आरोप लगाते समय किसी भी प्रकार का हल्कापन महसूस नहीं करना चाहिए। समय पर ही हमें यह महसूस कर लेना चाहिए कि गैर जिम्मेदारी की भावना से किसी प्रकार का मुकदमा इत्यादि चला देने से बहुत हानि हो जाने की सम्भावना है। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि एक बार यदि किसी व्यक्ति की ख्याती गिर जाये तो उसे फिर से निर्माण करना असम्भव सा हो जाता हैं।

हमारे समक्ष सतर्कता आयोग का प्रतिवेदन है। उसके अध्ययन से पता चलता है कि प्रारम्भिक जांच के बाद केवल 23 मामलों को आगेबढी जांच के लिए भजा गया है। यह कुछ भी बात नहीं बनी। वही बात हुइ है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहियां। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आयुक्त ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और भ्रष्टाचार उन्मलन की दिशा में काफी सफलता प्राप्त की है परन्तु मेरा निवेदन यह है कि यह पूछा जा सकता है कि क्या इस संस्था को इतनी शान के साथ स्थापित करना उचित था। यदि सरकार को कोई संस्था की स्थापना करनी थी तो इससे अधिक उपयोगी संस्था अर्थात् "ओम्बड्स मैने" की स्थापना करनी चाहएि। कम से कम ऐसा करने से हमारी अपनी प्रणाली तथा प्रशासनिक प्रतिभा तो व्यक्त हो जाती।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोगों की शिकायतों को सुनने का जो आयुक्त है वह भी सतर्कता आयुक्त के आधीन होना चाहिए। उसे किसी भी हालत में गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा एक या दूसरे प्रकार से दबाव डालने का सदा सन्देह बना रहेगा। साथ यह भी होगा कि सतर्कता आयुक्त को इस बारे में शिकायत बनी रहेगी। अब समय आ गया है कि केन्द्रीय जांच कार्यालय को सतर्कता आयुक्त के अधीन रखा जाय। केन्द्रीय जांच कार्यालय को अधिक महत्वाकांक्षी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामलों में विदेशियों से राय लेकर चलना हमारे देश को शोभा नही देता। बड़ी स्पष्ट बात है कि इससे देश के बारे में लोगों मे बुरी भावनाओं का संचार होता है।

यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भ्रष्टाचार के नाम पर होने वाला नकली काम बन्द हो जाय। इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए कि नकली सदाचार समितियां बन्द कर दी जाय। मेरा अनुभव यह है कि कुछ अभद्र तत्व इस प्रकार की समितियों पर छा गये हैं। ये तत्व लोगों से अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए अपनी अनुचित बातें मनवाने का प्रयत्न करते हैं। सरकार से यह आशा की जानी चाहिए कि सरकार प्रशासनिक असुविधा पैदा नही होंने देगी। मामलों को तय करने में देरी नही लगनी चाहिए। प्रशासनीय परशानियों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। यदि यह सब बातें सरकार सफलता से कर दे तो भ्रष्टाचार की सारी समस्यायें

स्वतः हल होनी लग जायेगी। प्रशासन पर राजनीतिज्ञों का प्रभाव कम होना चाहिए। एक बार एक योजना आयोग के विशिष्ठ सदस्य ने कहा था कि राजनीतिज्ञ कभी भी सरकारी अधिकारियों को अकेली छोड़ते ही नहीं है।

सभापति महोदय : श्री हरि विष्णु कामत।

श्री दाजी (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय ने बोलने के लिये मुझसे कहा था। किन्तू चूंकि श्री कपूरसिंह का ग्रुप मुझसे बड़ा है अतः उन्हे प्राथमिकता दी गई।

सभापति महोदय : मैंने श्री कामत को बोलने के लिए कहा है।

श्री दाजी : तब मैं नही बोलूंगा और मैं बोलना ही नही चाहता हूं।

(इसके पश्चात श्री दाजी सभा भवन से बाहर चले गये)
(Shri Daji then left the House.)

सभापति महोदय : श्री कामत अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, यह संयोग की बात है कि आज से ठीक दो वर्ष पहले 30 नवम्बर 1963 को गृह-कार्य मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी और आज हम 30 नवम्बर, 1965 के दिन सतर्कता आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा कर रहे हैं।

सतर्कता आयोग की स्थापना के समय मैंने इस महत्वपूर्ण बात पर आपत्ति प्रकट की थी कि एक ऐसे व्यक्ति को आयोग का प्रधान नहीं बनाया जाना चाहिए जिसके पूर्व इतिहास को देखते हुए उस व्यक्ति में विश्वास पैदा न हो सके। किंतु इसके बावजूद भी सरकार ने वर्तमान प्रधान की नियुक्ति करके अपनी मनमानी की। आयोग का प्रधान बनने से पहले जब उन्होंने मैसूर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति का पद छोड़ा तो उन्होंने कई मुकद्दमों की सुनवाई पूरी कर ली थी और उनमें बहस भी पूरी हो चुकी थी किन्तु उन्होंने उन मुकद्दमों को बिना निर्णय दिये ही छोड़ दिया। इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें वादी तथा प्रतिवादी, दोनों पक्षों, का कितना धन व्यय हुआ होगा तथा उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी। इसके बावजूद भी उन्हें आयोग का प्रधान बनाया गया। ऐसा लगता है कि वह मैसूर उच्च न्यायालय के पद की तुलना में आयोग का प्रधान का पद प्राप्त करने के सम्बन्ध में अधिक सतर्क रहे।

चूंकि अभी इस आयोग को नियुक्त किये बहुत कम समय हुआ अतः इसकी उपयोगिता और इसके कार्य का मूल्यांकन करना कठिन है। किन्तु चर्चाधीन प्रतिवेदन से जो तथ्य सामने आये हैं उससे आयोग के सम्बन्ध में कुछ कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। आयोग ने जो प्रक्रिया अपनाई है और प्रतिवेदन में जो तथ्य बताये गये हैं उनसे अनेक बातें सामने आई हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो कुछ मामलों में जांच करने के लिये कहा गया था और जांच के बाद ये मामले सतर्कता आयोग को सौंप दिये गये थे। किन्तु प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़ों के अनुसार केन्दीय जांच ब्यूरो के विचार सतर्कता आयोग के विचारों से भिन्न थे और आयोग ने अधिकांश मामलों में कोई कार्यवाही न करने का निर्णय किया।

यह सर्वमान्य बात है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उड़ीसा के मामलों में अत्यन्त सराहनीय कार्य किया था। ब्यूरो ने इस कार्य में न केवल सर्वोत्तम योग्यता ही दिखाई अपितु उसके कार्य से यह सभा भी पूर्णतः सन्तुष्ट है। उड़ीसा का मामला अभी तक अनिर्णित ही पड़ा है। समझ में नहीं आता कि सरकार

[श्री हरी विष्णु कामत]

इसे इस तरह अनिर्णीत ही क्यों रखना चाहती है । प्रधान मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन मिल जाने पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जायेगी। उड़ीसा विधान सभा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है । किन्तु फिर भी मामला वैसे ही पड़ा है । सरकार कोई न कोई बहाना कर इस सम्बन्ध टाल मटोल की नीति पर चल रही है ।

हमारे पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग लगभग एक डाकखाने के रूप में ही कार्य कर रहा है । आयोग के पास हजारों शिकायतें आती है आयोग उनमें से कुछ शिकायतें सम्बन्धित मंत्रालयों को और कुछ सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं । आयोग स्वयं किसी मामले की जांच नहीं करता है । समझ में नहीं आता आयोग इस बात की जानकारी कैसे रखता है कि इन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाती है । आयोग को इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि राज्यों तथा मंत्रालयों द्वारा उनको भेजे गये मामले में क्या कार्यवाही की ।

यह खेद की बात है कि जिला सलाहकार समितियों को भ्रष्ट्राचार की शिकायतें सुनने का अधिकार नहीं दिया गया है । ये सलाहकार समितियां उन समितियों से भी खराब है जो राज्य सरकारों ने जिलों में प्रशासनिक मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये नियुक्त की है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सर्तकता विभाग वास्तव में सतर्क बनाया जाये । उसें जो कार्य सौंपा गया है वह निष्टा पूर्वक पूरा किया जाना चाहिए । आज कोई भी इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि सतर्कता विभाग में किसी भी स्तर पर उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से कार्य किया जा रहा है ।

अनेक राज्यों में यह एक प्रथा सी बन गई है कि राज्यों के सेवानिवृत्त मुख्य सचिवों को राज्य सर्तकता आयोग का प्रधान नियुक्त किया जाता है । सरकार को यह प्रक्रिया शीघ्र समाप्त कर देनी चाहिए ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के सम्बन्ध में सन्थानम समिति ने अपने प्रतिवेदन में बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं किन्तु सरकार ने उन्हे स्वीकार नहीं किया । एक ओर तो सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करती है और दूसरी ओर वह इस सम्बन्ध में योजनाबद्ध रूप से कार्य नहीं करती । जब तक भ्रष्टाचार उच्चस्तर से समाप्त नही होता तब तक हम उसे निम्न पर समाप्त नहीं कर सकते है । यही कारण है कि सन्थानम समिति ने विशेषरूप से अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि यदि किसी मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आये तो उसकी न्यायिक जांच की जानी चाहिये । किन्तु सरकार ने इस सिफारिश को नहीं माना । सरकार इस प्रकार की दोरंगी नीति पर चल रही है ।

अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये जब तक सन्थानम समिति की सिफारिशो को पूरी तरह स्वीकार कर लेती तब तक राष्ट्र तथा सभा को संतोष नहीं होगा । इस प्रकार सतर्कता आयोग नियुक्त करना इस दिशा में केवल मात्र अन्यमनस्क कार्यवाही है । इस से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है । यदि गृह कार्य मंत्री महोदय को अपनी प्रतिज्ञा पूरी ही करनी है तो वह कारगर ढंग से कार्य करें ।

श्री दाजी : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि श्री नन्दा जी ने दो वर्ष पूर्व इस बात का दावा किया था कि वह दो वर्ष में देश से भ्रष्टाचार को समूल नष्ट कर देंगें किन्तु इस दिशा में अभी कोई भी प्रगति नहीं हुई है । इस समय जबकि इस महत्वपूर्ण विषय पर वाद

[श्री दाजी]

विवाद चल रहा है सभा में श्री नन्दा तथा अन्य कई मंत्रिगण उपस्थित नहीं हैं। यह बहुत खेद की बात है। यह न केवल सभा के प्रति अशिष्टता है अपितु इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामलों की उपेक्षा करना भी है।

देश में, घूसखोरी, पक्षपात, भाई भतीजावाद, आदि कई रूप में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सतर्कता आयुक्त ने स्वयं यह कहा है कि भ्रष्टाचार की समस्या एक एकीकृत समस्या है और यह समस्या अलग अलग टुकडों में हल नहीं की जा सकती है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये चारों ओर से प्रयत्न किये जाने चाहिये और इसे जड़ से उखाड़ डालना चाहिये।

इस समय आवश्यकता इस बातकी है कि सतर्कता आयोग को थोड़े अधिकार देकर केवल अधिकारियों को ही बलि का बकरा न बनाया जाये अपितु पूर्ण अधिकार प्राप्त ओम्बइसमैन की भांति कोई संस्था बनाई जाये जो सभी स्तरों पर सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों की पूरी तरह जांच कर सके।

भ्रष्टाचार का आधार काला धन है। आज धन कमाने के लिये कई तरीके प्रयोग में लाये जाते हैं। आज राजनैतिक स्तर पर भ्रष्टाचार के व्यापक रूप में फैलने की बात कही जाती है। अभी हाल में वित्त मंत्री महोदय के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्रधान मंत्री महोदय को दिया गया है। राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रियों के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मंत्रियों आदि के सम्बन्धियों ने उनके पद का अनुचित लाभ उठाकर काफी धन कमाया है। यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? किन्तु सरकार इस राजनैतिक भ्रष्टाचार का सामना करने से हिचकिचाती है। सन्थानम समिति की सिफारिश के अनुसार राजनैतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये जब तक कोई निकाय स्थापित नहीं किया जाता तब तक राजनैतिक भ्रष्टाचार की समस्या हल नहीं हो सकती है। संसद् सदस्यों अथवा राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा किसी मंत्री अथवा मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप सम्बन्धी याचिका स्वतः ही किसी न्यायाधिकरण के पास भेजी जानी चाहिये। इस न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय अथवा उच्चत्तम न्यायालय की योग्यता का व्यक्ति होना चाहिए। सन्थानम समिति ने यह सुझाव ठीक ही दिया था कि ऐसी शिकायतें याचिका के रूप में सभा में प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि जो व्यक्ति उन पर हस्ताक्षर करते है उन्हें अपना उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा। यदि शिकायत झूठी हो तो शिकायत करने वाले को परिणाम भुगतने होंगे। भ्रष्टाचार के कई पहलू हैं और सतर्कता आयोग उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करने की क्षमता नहीं रखता है अतः भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिये एक ऐसा न्यायाधिकरण हो जो निष्पक्ष रूप से उनकी जांच कर सके।

सरकार भ्रष्टाचार की समस्या को टालती रही है। आज राष्ट्र की आवश्यकता को देखते हुए एक ओर तो जनता जेवर, धन आदि राष्ट्र को दे रही है और दूसरी ओर बडे बड़े व्यापारी अनुचित ढंग से काला धन कमाने में लगे हुए हैं। सरकार फिर भी उनके प्रति उदार है और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती। कुछ दिन पहले कानपुर के एक व्यापारी से 23 लाख रुपये की बकाया राशि की वसूली नहीं की गई। सरकार को बड़े उद्योगपतियों के पास काले धन का पता है किन्तु वह कुछ कार्यवाही ही नहीं करती। सरकार कुछ बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिये उनके शेयर बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदती है। सरकार ने कर अपवंचन करने वालों के विरुद्ध कभी कार्यवाही नहीं की है। कर अपवंचन करने वाला व्यक्ति देशद्रोही है और उसे इस अपराध की सजा मिलनी चाहिए।

सेवानिवृत व्यक्तियों को गैर-सरकारी संस्थानों में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। इससे भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायता मिलेगी, यदि कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार

[श्री दाजी]

के आरोप में नौकरी से निकाल दिया जाये तो उसे गैर-सरकारी संस्थान अपने यहां नौकरी पर रख लेते हैं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यह दुःख की बात है कि सरकार इस बुराई को दूर करने के बजाय इसमें सहयोग दे रही है।

यह एक विचित्र बात है कि यदि कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो समाचारपत्र उस समाचार को बढ़ा चढ़ाकर छापते हैं किन्तु कोई बड़ा व्यापारी किसी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है तो उसकी कोई खबर ही नहीं छपती है। सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं करती। इसका मुख्य कारण यह है कि सत्तारूढ़ व्यक्ति बड़े-बड़े व्यापारियों के साथ मिले हुए हैं। जब तक उनकी इस प्रकार की अनुचित सांठगांठ चलती रहेगी हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। यदि सवास्तव में भ्रष्टाचार को दूर करना है तो बड़े-बड़े व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। तभी प्रजातंत्र की रक्षा हो सकेगी ।

यदि सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है तो उसे राजनैतिक भ्रष्टाचार के लिये एक न्यायाधिकरण स्थापित करना चाहिए। लाइसेंस देने के लिए एक स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाना चाहिए ताकि लाइसेंस देने में पक्षपात न दिखाया जा सके। बड़े उद्योगों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिये भी एक शक्ति प्राप्त न्यायाधिकरण होना चाहिए। सरकार के लिए इस आपातकाल में इस प्रकार की कार्यवाही करना सरल है।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : Mr. Deputy Speaker, Sir, it is not for the first time that we are discussing this issue of corruption. It can not be denied that corruption is there. Therefore, Government have taken measures to annihilate it. Wherever financial dealings are involved corruption is to be found there. It has been there for the ages if you go through the history. My friends opposite to me have been charging the Government for corruption. Let come forward and say will all sincerity how far they have cooperated with Government in curbing corruption. I think in fact they have not discharged their duty.

It is a social evil which can be controlled when everybody extends his fullest cooperation to Government.

Shri Nanda made a declaration two years ago that he would eradicate corruption within two years. Had the people fully cooperated with him he would have achieved his goal. Shri Nanda appointed a Central Vigilance Commission and took steps to revise Government Servant's Conduct and Disciplinary Rules, introduced Anti-corruption Laws Act, code of conduct for Ministers etc. In addition to it he laid his hand on Import and Export Trade Control Organisation, Directorate General of Supplies and Disposals, Directorate General of Technical Development, Central Public Works Department, etc. where corruption is alleged. He appointed a number of such bodies to check corruption in the public administration. Desired results have not been achieved but it is felt by the general public that we should fight corruption. Shri Nanda has done his best in this field. The Vigilance Commission found 2032 people guilty of corruption. It has done a tremendous job but I feel that fulfilling of the mission and programme of Shri Nanda will depend on the cooperation of legislatures, institutions and the countrymen.

Shri Bade (Khargon) : Mr. Deputy Speaker, Sir, Shri Nanda had stated that if he would not end corruption within two years, he would resign. But corruption has not declined so far. I thank Shri Nanda as this has atleast been able to attract the attention of the Government to this issue of corruption. Corruption is

[Shri Bade]

rampant in three forms, paper currency, leather currency and currency. Corruption in these forms is not just limited to the lower level but there is corruption at the level of senior ministers as well. "Corruption has many weapons beginning with flattery, lavish entertainment, including ladies of easy virtue, costly presents and lastly money and gold" states. Shri K. L. Punjabi on his look on 'Corruption in Public Administration'. All these things are going on.

As the initiative taken by Shri Nanda the attention of the entire nation was drawn to the question of corruption. He set up *Sadachar Samitis*. In some States bogus *Sadachar Samitis* sprang up and they are flourishing. If we analyse the causes of corruption we will find the party rule responsible for it, who required fund and started raising donations. It is the congress party which accepted large sums in donations. Since they accept money from industrialists, who are not interested in becoming ministers, they have to pay leed to their dictates. That is how corruption comes in. In some of the 16 States Vigilance Commissions have been appointed and there is one in my State, Madhya Pradesh also. But it is under the charge of State Home Minister, without whose consent the cases are not proceeded with. I think there should be an independent body if it is to work efficiently. On going through the report of the Vigilance Commission I find that it is Just summary and details of the amount and categories of employees involved, the particular departments involved have not been given. The report states that 318 complaints pertaining to State Governments were forwarded to them for disposal. What happened to these 318 complaints. Then, further it is stated that 1200 anonymous complaints were received against gazetted officers. It has not been stated whether they were investigated. I feel that the report is not complete and the powers given to Commission are so little that it has been appointed merely to mislead the people.

There is also an Anti-corruption Department. But the influential congressmen considered to be leaders in villages approach the ministers and exercise pressure on them not to proceed with the cases. That is the state of affairs in all the States. In fact the present rule is a quota, permit and licence rule. An export promotion committee has been formed. I know of five art silk that the same individual is granted export as well as import licences. Has the Government paid their attention to the large scale corruption in the grant of import and export licences.

You talk of raising standard of living of the people. You will find the houses of ministers, big industrialists and chairmen of corporations so lavishly furnished that the palaces of erstwhile maharajas will also stand no comparison to these. Mahatama Gandhi had preached simple living and high thinking but those people claiming themselves to be his disciples believe in high living and simple thinking. They send their children to convent schools and spend sixty to hundred rupees on them per month. All this high living requires money. Unless we follow the principles of Mahatma Gandhi and lead a simple life corruption cannot be annihilated. You must stop receiving donations etc. from big industrialists and should not play in their hands.

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 1 दिसम्बर, 1965/10 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, December 1, 1965/*Agrahayana* 10, 1887 (*Saka*).

GIPN—S5—9 L. S./66—12-10-66—600